हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

14 मार्च, 1989

खण्ड 1, अंक 14

अधिकृत विवरण

विशय सूची

मंगलवार 14 मार्च, 1989

पृश्ठ संख्या

स्थगित तारांकित प्र न एवं उत्तर	(14)1
तारांकित प्र न एवं उत्तर	(14)30
अध्यक्ष, पंजाब विधान सभा का स्वागत	(14)50
तारांकित प्र न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(14)50

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र न के लिखित उत्तर	(14)57
विभिन्न विशयो को उठाया जाना	(14)59
ध्यानाकर्शण प्रस्ताव –	
ईटों की कमी से सम्बन्धित	(14)61
वक्तव्यः–	
खाद्य तथा पूर्ति मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव सम्बन्धी	(14)61
समितियों की रिपोर्टस पेश करना –	
(i) कमेटी औन पब्लिक अकाउन्टस की 28वीं रिपोर्ट	(14)64
(ii) कमेटी औन पब्लिक अन्डरटेकिग्ज की 28वीं और 29वीं रिपौर्टस	(14)64
(iii) कमेटी औन ऐस्टिमेटस की 21वीं रिपोर्ट	(14)65
(iv) कमेटी औन दि वैलफेयर औफ शडयूल्ड कास्टस एण्ड शल्यूल्ड ट्राइब्ज की 14वीं रिपोर्ट	(14)65
विल्ज –	
(i) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (न. 1) बिल, 1989	(14)65

राज्यपाल से संदेश	(14)67
बिल्ज (पुनरारम्भ) –	
(ii) दि हरियाणा रिलीफ औफ ऐग्रीकल्चरल इनडैनिडनैस बिल, 1989	(14)67
(iii) दि हरियाणा हाउसिंग बोर्ड (अमैंडमैंट) बिल, 1989	(14)83
(iv) दि पंजाब मोटर व्हीकल्ज टैक्सेशन (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1989	(14)91
(v) दि पंजाब ऐन्टरटेनमैंटस डियूटी (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1989	(14)100

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 14 मार्च, 1989

विधान सभा की बैठक, हरियणा विधान सभा हाल,विधान भवन, सैक्टर 1 चण्डीगढ मे प्रातः 9.30 बजे हुई । अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चटठा) ने अध्यक्षता की ।

स्थगित तारांकित प्र न एवं उत्तर

Mr. Speaker: Hon'ble Members, before we take up the regular list of Starred Questions for to-day, Starred Question no. 771 in the name of Shri Yogesh Chand Sharma, which was postponed on 23-2-1989, will be taken up.

Appointments made in Faridabad Complex

***771. Shri Yogesh Chand Sharma**: Will the Minister of State for Local Government be pleased to state that category-wise details of appointments; of any, made in the Faridabad Complex during the period from 1987-88 todate together with their complete addresses and mode of their appointment?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh): The requisite information is laid on the Table of the House vide Annexures 'A' and 'B'.

ANNEXURE-'A'

List of Employees Appointed during 1-4-87 to 28-2-89

Sr.	Posts	Total Employees	Through Employment Exchange/ Haryana Public Service Commission	Through Zila Sainik Board	In death case Government instruction	Direct recruitment in Emergency	
						Adhoe	Daily wages
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Assistant Engineer (Horticulture)	1	1				
2	Assistants	4	4				
3	Vaccinators	2	2				
4	Water meter Mechanic	1	1				

5	Insect Supervisor	5	5				
6	Crafts Teacher	3	1	1			1
7	Auxilary Nurse & Midwife	1				1	
8	Carpenter	1	1				
9	Junior Librarian	2	2				
10	Street Light Inspector	1	1				
11	Field Worker	1	1				
12	Belder	3	3				
13	Cleaner	5	5				
14	Lavotary Attendent	1		1			
15	Safai Karamchari	239	209	11	12	5	2
16	Helper to Mechanic	2				2	

17	Surveyor	1	1				
18	Clerk	21	1		2	16	2
19	Steno-typist	1				1	
20	Patwar	1				1	
21	J8unior Engineer	6	1			5	
22	Tubewell Driver	8					8
23	Assistant Sanitary Inspector	3				3	
24	Assistant Draftsman	1				1	
25	Fireman	1					1
26	Driver	1					1
27	Road Roller Driver	1				1	
28	Mali	9			2	6	1

29	Helper to Elecrician	1				1	
30	Peon	8			7	1	
31	Mali-cum-Chowkidar	3				3	
		338	239	13	23	47	16

ANNXURE-‘B’

Statement showing the Name and Address of Employees appointed from 1-4-87 to 28-2-89.

Sr. of Ann. ‘A’	Sr	Name of Employee and Father’s Name	Complete Address	Name of Post	D.O.A.	Mode of appointment Through Employment Exchange or otherwise	Appointment made on Regular/ Ad-hoc/ Daily wages	Sanct. upto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	S. Punia S/o Sh. Surinder Punia	H.No. 182, Urban Estate No. 2, Hisar	Assistant Engineer (horticulture)	9-10-87	Haryana Public Service Commission	Regular	
2	2	Balbir Singh S/o Sarup	Kothi No. 1174,	Assistant	21-10-87	Employmen	Regular	

		Singh	Sector 14, Faridabad			t Exchange		
	3	Daya Singh S/o Labha Singh	H.No. 10/512, Near New Bank of India, Old Faridabad	Do	12-11-87	Do	Do	
	4	Prem Parkash S/o Udhey Singh	H.No. 502, Sector-14, Faridabad	Do	27-9-88	Advertisement through News Paper after Non-availability Certificate	Do	
	5	Mahender Singh S/o Udhey Singh	H.No. 75, New Janta Colony,	Do	27-9-88	Do	Do	

			Faridabad					
3	6	Jagdish S/o Mehar Singh	2-D, Canal Colony, Faridabad	Vaccinator	18-11-88	Do	Do	
	7	Balbir Singh S/o Nanda Ram	-Do-	Do	18-11-88	Do	Do	
4	8	Manga Ram S/o Soni Ram	Village Satoi, Post Office Fatehpur Biloch, Faridabad	Water-meter Mechanic	13-5-88	Employment Exchange	Do	
5	9	Hari Singh S/o Girraj Parshad	Sanjay Colony, Near Mata Vashno Devi Mandir,	Insect Supervisor	3-3-88	Do	Do	

			Sector-22, Faridabad					
	10	Harinder Kumar S/o Kishori Lal	Kothi No. 1, Sector 18-A, Faridabad	Inspect Supervisor	3-3-88	Employment Exchange	Regular	
	11	Ram Singh S/o Budh Ram	Village Satoi, Post Office Fatehpur Biloch, Faridabad	Do	3-3-88	Do	Do	
	12	Subhash Chand S/o Ranjit Singh	Village & Post Office Sikri, District, Faridabad	Do	3-3-88	Do	Do	
	13	Om Parkash S/o Rajpal	Village & Post Office	Do	3-3-88	Do	Do	

		Singh	Tigaon, Faridabad					
6	14	Miss Gita Rani D/o Chattar Singh	Village & Post Office Onwarl, District Rohtak	Craft Teacher	28-5-88	Do	Do	
	15	Miss Krishna Kumari D/o Veer Bhan	Village & Post Office Tosham, Distrist Bhiwani	Do	28-5-88	Sainik Board	Do	
	16	Miss Raj Kumari D/o R.S. Rana	C/o Mental Hospital, Amritsar	Do	23-6-88	Direct	Dailywages	
7	17	Smt. Nirmal Sehgal	Civil Hospital, Faridabad	Auxilary Nurse & Midwife	6-11-87	Do	Adhoc	

8	18	Karan Singh S/o Chhaju Ram	H.No. 109, Chirimar, Kumahar wada, Old Faridabad	Carpenter	22-4-88	Employment Exchange	Regular	
9	19	Miss Rekah Rani D/o Chikkan Lal	H.No. 608, New Marla, Colony Palwal	Junior Librarian	4-4-88	Do	Do	
	20	Ishwar Singh S/o Dhan Singh	H.No. 1637, Type-I, N.H. IV, Faridabad	Do	4-4-88	Do	Do	
10	21	Rajbir Singh S/o Hari Chand	Village Radhav, Post Office Farmana, Distrist	Street Light Inspector	1-9-88	Do	Do	

			Sonepat					
11	22	Gijender S/o Mehar Chand	Village Akhara, Palwal	Field Worker	8-1-88	Direct	Adhoc	
12	23	Smt. Asri W/o Sahabuddin	Village & Post Office Dhoj, Tehsil Ballabgarh	Beldar	23-7-87	Direct	Regular	In Death Case of her husband
	24	Smt. Ganeshi Bai W/o Amir Chand	H.No. 171, New Janta Colony, Faridabad	Do	1-7-87	Do	Do	Do
	25	Sahib Ram S/o Roop Chand	2D/WH/B-78, NIT, Faridabad	Do	2-8-88	Do	Do	Death Case

13	26	Bijinder Singh S/o Shib Singh	1059, Sector 29, Faridabad	Cleaner	6-5-88	Employment Exchange	Do	
	27	Lekh Raj S/o Jormal	Kothi No. 727, Sector-15, Faridabad	Do	6-5-88	Do	Do	
	28	Ram Gopal S/o Tola Ram	Village & Post Office Faridapur, Tehsil Ballabgarh	Do	6-5-88	Do	Do	
	29	Sher Singh S/o Shahji Ram	Village & Post Office Bahin, Tehsil Hathin, Faridabad	Do	6-5-88	Do	Do	

	30	Jawahar Singh S/o Girraj Singh	Village & Post Office, Prithla, Tehsil Palwal, Faridabad	Do	6-5-88	Do	Do	
14	31	Miss Sunita D/o Roop Chand	Civil Hospital, Old Faridabad	Laboratory Attendant	14-1-88	Sainik Board	Do	
15	32	Ramesh S/o Raghubir	Village & Post Office Anagpur, Faridabad	Safai Karamchari	29-4-87	Death Case	Do	
	33	Ashok Kumar S/o Jana Ram	Jhugi No. 8, Neelam Bata Jhugies,	Do	19-9-87	Do	Do	

			Faridabad					
	34	Papu Ram S/o Dal Chand	H.No. 4, Sanjay Colony, Faridabad	Do	21-10-87	Do	Do	
	35	Brij Mohan S/o Sukhan	H.No. 5K, 3A, Faridabad	Safai Karamchari	15-4-88	Employment Exchange	Regular	
	36	Sulochna W/o Thuggan	5 M. 82, Faridabad	Do	15-4-88	Do	Do	
	37	Bimla W/o Ramesh	Bhagat Singh Colony, Faridabad	Do	15-4-88	Do	Do	
	38	Bato Devi W/o Bankey Lal	2C, N.I.T. Faridabad	Do	15-4-88	Do	Do	
	39	Mala W/o	2C, N.I.T.	Do	15-4-88	Do	Do	

		Rangu	Faridabad					
	40	Rajwati D/o Bane Singh	Harijan Basti, Old Faridabad	Do	15-4-88	Do	Do	
	41	Kanshi Ram S/o Hardyal	2C, NIT Faridabad	Do	15-4-88	Do	Do	
	42	Smt. Saupi W/o Natbu	Gandhi Colony, Faridabad	Do	15-4-88	Do	Do	
	43	Parma W/o Chander	2C, NIT Faridabad	Do	15-4-88	Do	Do	
	44	Lajwanti W/o Vijay	Badh Mohalla, Old Faridabad	Do	15-4-88	Do	Do	
	45	Nanwa S/o Sunni	Jharsetly, Ballabhgarh	Do	15-4-88	Do	Do	

	46	Jagdish S/o Ami Chand	Gandhi Colony, N.H. -5, NIT Faridabad	Do	15-4-88	Do	Do	
	47	Vidhya W/o Rishh Pal	Harijan Basti, Ballabhgarh	Do	15-4-88	Do	Do	
	48	Kirpa S/o Mohan Singh	Jhugi Near School, Faridabad	Do	8-4-88	Death Case	Do	
	49	Ratnu S/o Kashi Ram	2C, NIT Faridabad	Do	15-4-88	Employment Exchange	Do	
	50	Shushil Kumar S/o Mamraj	Krishan Nagar, Faridabad	Do	12-4-88	Death Case	Do	
	51	Loanshri W/o Siri Bhiga Ram	2C, NIT Faridabad	Do	17-4-88	Do	Do	

	52	Ramesh S/o Hardeva	Indira Colony, Faridabad	Do	31-5-88	Employment Exchange	Do	
	53	Rajinder S/o Girdhari	C/o B-7, N.I.T., Faridabad	Do	30-5-88	Do	Do	
	54	Kamla W/o Rajpal	Village Uchagaon, Ballabgarh	Do	22-7-88	Do	Do	
	55	Raju W/o Ashok Kumar	H.No. 423, Sihi Gate Ballabgarh	Do	23-7-88	Do	Do	
	56	Rajji W/o Rajender	H.No. 129, Sihigate Ballabgarh	Do	23-7-88	Do	Do	
	57	Shamwali W/o Sohan Lal	H.No. 212, Sihigate	Do	23-7-88	Do	Do	

			Ballabgarh					
	58	Maya W/o Om Parkash	H.No. 10, Sihi Gate Ballabgarh	Do	23-7-88	Do	Do	
	59	Lilawanti W/o Ranjit	Village Jharsantli, Ballabgarh	Do	23-7-88	Do	Do	
	60	Ramwati W/o Roshan Lal	H.No. 226, Sihi Gate Ballabgarh	Do	23-7-88	Do	Do	
	61	Surmarti W/o Kehar Chand	H.No. 28, Sihi Gate Ballabgarh	Do	23-7-88	Do	Do	
	62	Dayawanti W/o Sohan Lal	H.No. 127, Sihi Gate Ballabgarh	Do	23-7-88	Do	Do	
	63	Kela W/o	Village	Do	23-7-88	Do	Do	

		Parkash	Ambala, Post Office, Hathin, Tehsil Palwal, Faridabad					
	64	Sant Lal S/o Chiranji Lal	Village & Post Office Faruq Nagar, Gurgaon	Do	23-7-88	Sainik Board	Do	
	65	Sumitra W/o Mawasi Ram	Village & Post Office Jharsently, Ballabgarh	Do	23-7-88	Employment Exchange	Do	
	66	Parkash S/o Musadi	Village Sirmthla, Post Office, Ghongele,	Do	23-7-88	Do	Do	

			Distt. Gurgaon					
	67	Kamla W/o Harbans	H.No. 126, Siri Gate, Ballabgarh	Do	23-7-88	Do	Do	
	68	Nanu Ram S/o Sohan Lal	H.No. 401, Siri Gate, Ballabgarh	Do	23-7-88	Do	Do	
	69	Rameshwar S/o Devi Ram	H.No. 129, Siri Gate, Ballabgarh	Safai Karamchari	23-7-88	Employment Exchange	Regular	
	70	Dalip Singh S/o Chote Lal	H.No. 107, Siri Gate, Ballabgarh	Do	23-7-88	Do	Do	
	71	Itwari S/o Cheti	Village & Post Office Sihi,	Do	23-7-88	Do	Do	

			Ballabgarh					
	72	Raj Kumar S/o Ram Phal	Village & Post Office Sihi, Ballabgarh	Do	23-7-88	Do	Do	
	73	Puran S/o Nanak Chand	H.No. 112, Siri Gate, Ballabgarh	Do	23-7-88	Do	Do	
	74	Rajwati W/o Madan	Siri Gate, Ballabgarh	Do	23-7-88	Do	Do	
	75	Satu W/o Chote	Village Jharsantli, Ballabgarh	Do	23-7-88	Do	Do	
	76	Shnati W/o Om Parkash	H.No. 10/18, Gandhi Colony, Old	Do	23-7-88	Do	Do	

			Faridabad					
	77	Ramrati W/o Itwari	Village Sarai Khawja, Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	78	Hans Raj S/o Bhajni	Village Mainagla, Tehsil Palwal	Do	23-7-88	Do	Do	
	79	Ajit Singh S/o Kishori Lal	H.No. 106, Harijan Mohalla, Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	80	Mehender Singh S/o Sanwalia	H.No. 23, Harijan Mohalla, Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	

	81	Mam Chand S/o Sohan Lal	Village & Post Office Anangpur, Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	82	Kallu S/o Shyama	Village & Post Office, Badarpur Syed, Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	83	Lakhmi S/o Shiv Charan	Village Mohatpur, Post Office, Kheri Kalan, Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	84	Khema S/o Lallu	Village & Post Office, Fatehpur Biloch,	Do	23-7-88	Do	Do	

			Ballabgarh					
	85	Parveen S/o Monu	H.No. 320, Baselwa Mohalla, Old Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	86	Ashrfi W/o Chandu	Village Tikawali Post Office, Kherikala, Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	87	Bharpai S/o Jit Ram	Ward No. 2, Baselwa Mohalla, Old Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	88	Ombir S/o Chiranjni Lal	Village Bhagpur,	Do	23-7-88	Do	Do	

			Tehsil Palwal, Faridabad					
	89	Kalicharan S/o Sagan	Jhuggi No. 112/2-C, Faridabad N.I.T.	Do	23-7-88	Do	Do	
	90	Nanak Chand S/o Bisu	Jhugi near 2-C/118, N.I.T., Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	91	Maya W/o Madan Mohan Lal	Juggi Neelam Bata Near Syndicate Bank, Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	92	Simla W/o	H.No. 14,	Do	23-7-88	Do	Do	

		Ombir	Gandhi Nagar, N.I.T., Faridabad					
	93	Soba W/o Dharam Chand	Jhugi No. 7, 2C/7, NIT, Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	94	Shiv Charan S/o Kishan Lal	H.No. 37, Sanjay Colony, Sector-22, Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	95	Raj Singh S/o Duli Chand	Village Kasali, Tehsil Sicandrabad, District Bulandseha	Do	23-7-88	Do	Do	

			r (U.P.)					
	96	Ramesh Chand S/o Sun Punia	H.No. 16, Dabua Colony, Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	97	Rishi Chand S/o Nanu Ram	Jhugi No. 35, I/C, N.I.T., Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	98	Ramrja S/o Sanwalia	2C/118, NIT Faridabad	Safai Karamchari	23-7-88	Employment Exchange	Regular	
	99	Sukhbir S/o Charani	Village Bhundri, Post Office, Pali, Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	

	100	Dhanpal S/o Surja	Jhugi No. 575-P, NH-3, NIT, Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	101	Lachi S/o Chandi	H. No. 1 A/70, Air Force Road, Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	102	Ashok Kumar S/o Lila Ram	Jhugi near 2C/118, NIT, Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	103	Ballu S/o Kishan	Jhugi No. 172, Near 2 C Block, Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	104	Prem W/o Mahenderpal	Jhugi No. 25, 1 A,	Do	23-7-88	Do	Do	

			N.I.T., Faridabad					
	105	Santra W/o Nafe Singh	H.No. J/44 Adarash Colony, NH-IV, Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	106	Santra W/o Het Ram	Jhugi No. 10 Near 3 G/170, Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	107	Kusam W/o Parkash	H.No. 2C/5, N.I.T., Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	108	Bir Pal S/o Ram Chandi	Village Ghaggar Allapur, Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	

	109	Nanak S/o Sohan Lal	Village Rivajpur, Post Office Kheri Kalan, Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	110	Santa W/o Shiv Ram	Village & Post Office, Kheri Kalan, Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	111	Rajinder S/o Sunehri	Village & Post Office, Prithala, Tehsil Palwal, Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	112	Budh ram S/o	Harijan Colony,	Do	23-7-88	Do	Do	

		Ghusu	Barth Mohall, Faridabad					
	113	Chattar S/o Chandu	Village Sidula, Post Office, Badarpur Said, Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	114	Raju S/o Kunji	H.No. 5, Bandhi Colony, Sector 18, Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	115	Ishwar Singh S/o Nanak Chand	H.No. 118, Barh, Mohalla, Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	

	116	Shoraj S/o Ami Lal	H.No. 274, Ward No. 6, Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	117	Hari Singh S/o Mangal	H.No. 420, Barh Mohalla, Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	118	Rajesh s/o Amar Singh	H.No. 101, Ward No. 10, Old Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	119	dhani Ram S/o Pillu Ram	village Mewla Marajpur, Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	120	Vinod Kumar S/o Gian Singh	H.No. 39, Barh Mohalla,	Do	23-7-88	Do	Do	

			Faridabad					
	121	Shilla W/o Rajinder	Ward No. 2, Old Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	122	Meharajwati W/o Bhagmal	H.No. 404, Barh Mohalla, Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	123	Kamla W/o Budh Raj	barh Mohalla, Old Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	124	Kashmiri W/o Shimbhu	M/1442, Railway Road, Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	125	Raju S/o Sant	Village Rivajpur,	Do	23-7-88	Do	Do	

		Ram	Distt. Faridabad					
	126	Maya W/o Tek Chand	Harijan Basti, Old Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	127	Dhanoo W/o Ramesh	H.No. 148/10, Old Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	128	Santosh Kumar S/o Ami Chand	Jhuggi No.325, Neelam Bata Road, Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	129	Mahipal S/o Nihal Singh	H. No. 1A/96, N.I.T., Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	

	130	Chander S/o Ghasi	H. No. 84, Thakurwara , Village: Ajronda, Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	131	Daya Chand S/o Puran	C/o 5j/85, Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	132	Ram Kishan S/o Ballu	Village Dhoj Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	133	Rakesh S/o Manghu Ram	H.No. 2C/5, N.I.T., Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	134	Balbir S/o Gopi	Jhuggi NO. 44, adarash colony, Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	135	Taja Ram S/o	Village Mohana	Do	23-7-88	Sanik	Do	

		Nanga	Pali, Faridabad			Board		
	136	Amar Kali W/o Zile Singh	Jhuggi NO. B-10, Neelam Bata Road, Faridabad	Do	23-7-88	Employment Exchange	Do	
	137	Nirmala W/o Daya Chand	H.No. 2C/5, N.I.T., Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	138	Ranbir S/o Hari Kishan	Village Kalyan Pur, Jhuggi NO. 77, Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	139	Karamvir S/o Madan Pal	Village Nawada, Pali,	Do	23-7-88	Do	Do	

			Faridabad					
	140	Ram Sarup S/o Mangal	Jhuggi No. 80, Nissan Hut, NH-5, Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	141	Ram Dev S/o Sohan Lal	Jhuggi No. 513, Shiv Sharda Colony, Ballabgarh	Do	23-7-88	Do	Do	
	142	Rohtas S/o Sohan Lal	Village Kani Garh (U.P)	Do	23-7-88	Do	Do	
	143	Joshi S/o Shiv Charan	2C/8, NIT Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	144	Jagrti S/o Omi	Village Badkhal, Sector 4,	Do	23-7-88	Do	Do	

			Faridabad					
	145	Pallu S/o Shivu	Village Ladhva Pur, Ballabgarh	Do	23-7-88	Do	Do	
	146	Prembati W/o Om Parkash	Jhuggi Near H.No. 2C/118, NIT Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	147	Maya w/o Siri Chand	Jhuggi Near H.No. 2C/118, NIT Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	148	Amar Singh S/o Parmal	H.No. 3C/190, NIT, Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	

	149	Mam Chand S/o Parkash Lal	H.No. 2097, Jawahar Colony, Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	150	Lakhmi Chand S/o Shis Ram	Village & Post Office, Khari Kalan, Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	151	Om Parkash S/o Sumrat	Jhuggi Near H.NO. 2C/118, Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	152	Santu S/o Battu	Village Lala Kheri, Sohana, Gurgaon	Do	23-7-88	Do	Do	
	153	Om Parkash	Jhuggi Near	Do	23-7-88	Do	Do	

		S/o Gopal	H.No. 2C/7, N.I.T. Faridabad					
	154	Surender S/o Ram Lal	H.No. 2C/7, N.I.T. Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	155	Parvesh S/o Gangu Ram	H.No. 2C/7, N.I.T. Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	156	Rajesh S/o Magu Ram	H.No. 2C/5, N.I.T. Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	157	birbati W/o Dharamvir	Jhuggi NO. 140, Kalyan Puri, Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	158	Rajwati W/o	H.No. 1A, 22,	Do	23-7-88	Do	Do	

		Mam Chand	Faridabad					
	159	Raju S/o Gopal	2C/8, N.I.T. Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	160	Vikram S/o Talu Ram	H.No. M-21, Gandhi Colony, Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	161	Pat Ram S/o Nathu	Village & Post Office Hardanapur Faridabad	Do	23-7-88	Do	Do	
	162	Premwati W/o Babu Lal	Jhuggi No. 1, Near Police Chowki, N.I.T. Faridabad	Do	24-7-88	Do	Do	

	163	Mukesh S/o Gangu	H.No. 2C/7, N.I.T. Faridabad	Do	24-7-88	Do	Do	
	164	Ganga Saran S/o Ram Gopal	Jhuggi Near H.No. 2C/7, N.I.T. Faridabad	Do	24-7-88	Do	Do	
	165	Duli Chand S/o Sukh Ram	H.No. 513, Crusher Jhuggi, Faridabad	Do	24-7-88	Do	Do	
	166	Budh Ram S/o Sohan Lal	Balmiki Harijan Basti Old Faridabad	Do	25-7-88	Do	Do	
	167	Ratti Ram S/o Mangtu Ram	Harijan Basti, Barh Mohalla,	Do	25-7-88	Do	Do	

			Faridabad					
	168	Krishan W/o Gulab Singh	Village Palla, Amar Nagar, Faridabad	Do	25-7-88	Do	Do	
	169	Satpal S/o Ghandru	H.No. 821, Sector-16-A, Faridabad	Do	25-7-88	Do	Do	
	170	Bhwati W/o Ram Lal	H.No. 1687, Sector 16, Faridabad	Do	25-7-88	Do	Do	
	171	Prem W/o Banwari	Jhuggi No. 183, Bhagat Singh Colony, Faridabad	Do	25-7-88	Do	Do	

	172	Kamla W/o Shiv Charan	Jhuggi No. 1186, Bata Chowk, Faridabad	Do	25-7-88	Do	Do	
	173	Sardari W/o Lakhan	Jhuggi No. 155, Railway Road, Faridabad	Do	25-7-88	Do	Do	
	174	Chander W/o Sohan Lal	H.No. 149, Railway Road, Faridabad	Do	25-7-88	Do	Do	
	175	Sunder Lal S/o Birbal	H.No. J-14, Adarsh Colony, Faridabad	Do	25-7-88	Do	Do	
	176	Bimla W/o	H.No.	Do	25-7-88	Do	Do	

		Asha Ram	153.10, Balmiki Basti, Faridabad					
	177	Satbir S/o Sohan Lal	H.No. 149, Railway Road, Faridabad	Do	25-7-88	Do	Do	
	178	Rajender S/o Badlu	H.No. 306, Balmiki Basti, Faridabad	Do	26-7-88	Do	Do	
	179	Mahender S/o Jagiri	Village & Post Office Chandpur, Tehsil Ballabgarh.	Do	26-7-88	Do	Do	
	180	Vijay Pal S/o	C/o H.No.	Do	26-7-88	Do	Do	

		Puran	451/16A, Faridabad					
	181	Siri Chand S/o Banwari	Village Malerna, Ballabgarh	Do	27-7-88	Do	Do	
	182	Mahender S/o Lal Ram	Village & Post Office Tigon, Ballabgarh	Do	27-7-88	Do	Do	
	183	Girraj S/o Sohan Lal	Jhuggi No. 292, Sohna Road, Faridabad	Do	27-7-88	Do	Do	
	184	Kishanwati W/o Sis Ram	H.No. 280, Village Saran, Faridabad	Do	27-7-88	Do	Do	

	185	Shakuntla W/o Sh. Hari Ram	H.No. 117, Harijan Basti, Old Faridabad	Do	27-7-88	Do	Do	
	186	Bhagal S/o Sodhgar	Harijan Basti Old Faridabad	Do	27-7-88	Sainik Board	Do	
	187	Tassan S/o Shankar	Village Nirala, Tehsil Ballabgarh, Faridabad	Do	27-7-88	Employment Exchange	Do	
	188	Jagdish S/o Bhajan Lal	Village Mani, Faridabad	Do	28-7-88	Do	Do	
	189	Sunder S/o Rattan Lal	Village & Post Office Latipur,	Do	28-7-88	Do	Do	

			Dhankour (U.P.)					
	190	Kashmiri W/o Bhima	Village & Post Offcie Dhoj, Faridabad	Do	28-7-88	Death Care	Do	
	191	Ramesh Chand W/o Tulsi Ram	H.No. 5-3/90, Faridabad	Do	28-7-88	Employment Exchange	Do	
	192	Nathi S/o Munshi Ram	C/o H.No. 1033, Type-IV, Faridabad	Do	28-7-88	Do	Do	
	193	Mai Lal S/o Khama	Village & Post Office, Chriya, District Bhiwani	Do	3-8-88	Sainik Board	Do	

	194	Siri Chand S/o Chiranji Lal	Village & Post Office Firozpur Zhirka, District Gurgaon	Do	3-8-88	Do	Do	
	195	Vidya W/o Budh Ram	Village & Post Office, Sihi, Faridabad	Do	9-8-88	Do	Do	
	196	Maya Devi W/o Babu Lal	C/o Govt. Middle School, Village Ajronda, Faridabad	Do	9-8-88	Sainik Board	Do	
	197	Ami Lal S/o Fakira	Harijan Basti, Barh Mohalla,	Do	9-8-88	Do	Do	

			Faridabad					
	198	Bhagwati W/o Fatti	H.No. 28, Gandhi Colony, Faridabad	Do	9-8-88	Do	Do	
	199	Gaindi W/o Lalu	H.No. 2C/5, Faridabad	Do	9-8-88	Employment Exchange	Do	
	200	Fulwari W/o Ho Ram	Jhuggi No. 239, 2C/4, Faridabad	Do	9-8-88	Do	Do	
	201	Virmi W/o Jawan	Jhuggi No. M-361, Milhard Colony, Faridabad	Do	9-8-88	Do	Do	
	202	Sarvan W/o Dhoji Ram	H.No. 2C/2, N.I.T.,	Do	9-8-88	Do	Do	

			Faridabad					
	203	Anguri W/o Ram Lal	H.No. 2C/8, N.I.T., Faridabad	Do	9-8-88	Do	Do	
	204	Rattni W/o Kishan	Village & Post Office, Sihi, Faridabad	Do	10-8-88	Do	Do	
	205	Panna Devi W/o Bhajan Lal	H.No. 24, Gandhi Colony, Barh Mohalla, Faridabad	Do	10-8-88	Do	Do	
	206	Sunhera W/o Thui Ram	H.No. 2C/118, N.I.T., Faridabad	Do	10-8-88	Do	Do	

	207	Sona W/o Ganesh	Hirdey Ram Colony, Faridabad	Do	10-8-88	Do	Do	
	208	Ramo W/o Dharma Singh	Jhuggi NO. R-22, N.H. IV, Faridabad	Do	10-8-88	Do	Do	
	209	Prem W/o Karam Chand	H.No. 2C/3, N.I.T., Faridabad	Do	10-8-88	Do	Do	
	210	Harpal S/o Suraj	Khokha No. 7, Nehru Ground, Faridabad	Do	10-8-88	Do	Do	
	211	Chanderwati W/o Om	Jhuggi No. 65, Faridabad	Do	10-8-88	Employment Exchange	Do	

	212	Anguri W/o Soni Ram	H.No. 130, Jhuggi NO. 9/66, Faridabad	Do	10-8-88	Do	Do	
	213	Rambhola W/o Masesn	H.No. 2C/118, N.I.T., Faridabad	Do	10-8-88	Do	Do	
	214	Kashmini W/o Banarsi	Jhuggi No. 2C/118, N.I.T., Faridabad	Do	10-8-88	Do	Do	
	215	Surjo Devi W/o Thawaria	Jhuggi No. 41, Sector-4, Faridabad	Do	10-8-88	Do	Do	
	216	Kadar S/o Pama	H.No. 227, Ward No. 1,	Do	10-8-88	Death Case	Do	

			Ballabhgarh					
	217	Chandu S/o Chattria	H.No. A-61, Faridabad	Do	10-8-88	Employment Exchange	Do	
	218	Dolat Ram S/o Hira Lal	Balmiki Mohalla, H.No. 446/16, New Basti, Faridabad	Do	13-9-88	Sainik Board	Do	
	219	Balbir S/o Dayali	Village Bhodsi, Faridabad	Do	7-9-88	Do	Do	
	220	Satvir S/o Budhan	Village Palak, Faridabad	Do	24-10-88	Death Case	Do	
	221	Parkash S/o Bakshi	Do	Do	3-11-88	Do	Do	

	222	Ramesh S/o Payara Lal	Jhuggi NO. 16, 18/6, Faridabad	Do	1-12-88	Employment Exchange	Do	
	223	Malkn S/o Kanni	Jhuggi Near Anaj Mandi, Ballabhgarh	Do	1-12-88	Do	Do	
	224	Anarwati W/o Prabhu	Jhuggi No. 80, Gandhi Colony, N.I.T., Faridabad	Do	1-12-88	Do	Do	
	225	Bajinder S/o Kishan Lal	H.No. 37, Sanjay Colony, N.I.T., Faridabad	Do	1-12-88	Do	Do	
	226	Jagdish S/o Chhottey	Village Phue FaRidabad	Do	1-12-88	Do	Do	

	227	Madan S/o Prem	Village Durga Pur, Faridabad	Do	1-12-88	Do	Do	
	228	Munna Lal S/o Sohan Lal	Jhuggi No. 129, Neelam Bata Road, Faridabad	Do	1-12-88	Do	Do	
	229	Siri Pal S/o Tej Singh	Village & Post Office, Palwal, Faridabad	Do	1-12-88	Do	Do	
	230	Raghvir S/o Rai Singh	Village & Post Office, Kheri, Faridabad	Do	1-12-88	Do	Do	
	231	Gyan Wati W/o Tui Ram	Jhuggi No. A-19, Neelam	Do	1-12-88	Do	Do	

			Bata Road, Faridabad					
	232	Vidhya W/o Phul Singh	Village Bhkurpur, Ballabhgarh	Do	1-12-88	Do	Do	
	233	Charan Singh S/o Juggi	H.No. 1A/270, NIT, Faridabad	Do	1-12-88	Do	Do	
	234	Raju S/o Chiranji Lal	H.No. 110, Harijan Basti Barh Mohalla, Faridabad	Do	1-12-88	Do	Do	
	235	Parkash Singh S/o Sh. Duli Chand	Village Sarai Khwaja, Faridabad	Do	1-12-88	Do	Do	

	236	Babu Lal S/o Cheru	H.No. 536/16, Faridabad	Do	1-12-88	Do	Do	
	237	Bir Chand S/o Itwari	Village Badar Pur Said, Faridabad	Do	1-12-88	Do	Do	
	238	Mai Ram S/o Shankar Lal	H.No. 68, Gandhi Colony, Old Faridabad	Do	1-12-88	Do	Do	
	239	Jai Pal S/o Har Gian	Village Fatehpur Chandela, Post Office Railway Road, Faridabad	Do	1-12-88	Do	Do	

	240	Gain Chand S/o Khajan	Village Mahawatpur, Faridabad	Do	1-12-88	Do	Do	
	241	Dhan Pal S/o Sh. Chhaju Ram	Village Nawada, Faridabad	Do	1-12-88	Do	Do	
	242	Dharamvir S/o Sunni	Village Allika, Palwal, Distt. Faridabad	Do	1-12-88	Do	Do	
	243	Raju S/o Ram Saroop	Jhuggi No. 97, Hassan Pur, Faridabad	Do	1-12-88	Do	Do	
	244	Hari Singh S/o Bharu	Nission Hut No. 100, N.I.T.,	Do	1-12-88	Do	Do	

			Faridabad					
	245	Nanak Chand S/o Risal Singh	Village Nawada, Pali, Faridabad	Do	1-12-88	Do	Do	
	246	Khajan Singh S/o Chatru	Village Mohna Badh, Post Offic Pali, Faridabad	Do	1-12-88	Do	Do	
	247	Phool Chand S/o Gian Chand	Village Firoj Pur, Ballabhgarh	Do	1-12-88	Do	Do	
	248	Vijay S/o Rameshwar	H.No. 66, Ward No. 4, Faridabad	Do	1-12-88	Do	Do	
	249	Anguri W/o	Jhuggi No. 93, Railway	Do	1-12-88	Do	Do	

		Bastan	Road, Faridabad					
	250	Bala W/o Kailash	H.No. 2C/8, Faridabad	Do	1-12-88	Do	Do	
	251	Mam Chand W/o Asha Ram	Village Jainda Pur, Tehsil Palwal District Faridabad	Do	1-12-88	Do	Do	
	252	Rajbir S/o Sukki Ram	H.No. 392, Ward No. 1, Sihi Gate, Ballabhgarh	Do	1-12-88	Do	Do	
	253	Sahrbati W/o Nanak Chand	H.No. A-112, Ballabhgarh	Do	1-12-88	Do	Do	

	254	Sh. Raju s/o Lala Ram	H.No. 125, Ward No. 1, Ballabhgarh	Do	1-12-88	Do	Do	
	255	Sh. Inder Singh S/o Sh. Harpal	Village & Post Office Pali, Tehsil Ballabgarh	Do	1-12-88	Do	Do	
	256	Sh. Amarpal S/o Sh. Basanta	Village & Post Office Fatehpur, Biloch, Ballabgarh, Faridabad	Do	Do	Do	Do	
	257	Sh. Shyam S/o Sh. Pama	H.No. 227, Ward No. 1, Harijan Basti, Old Faridabad	Do	Do	Do	Do	

	258	Sh. Pappi S/o Sh. Sunehri	Village & Post Offce Prithla, Faridabad	Do	Do	Death Case	Do	
	259	Smt. Prem W/o Sh. Om Parkash	H.No. 2C/8, N.I.T., Faridabad	Do	23-7-88	Employment Exchange	Do	
	260	Sh. Jaggu S/o Sh. Bir Pal	Village Unchagaon, Ballabhgarh	Do	Do	Do	Do	
	261	Sh. Mahabir Singh S/o Sh. Gunni	Village Simthla, Distt. Gurgaon	Do	Do	Do	Do	
	262	Sh. Om S/o Sh. Dhoji	H.No. 69, Chawla Colony, Ballabhgarh	Do	Do	Do	Do	

	263	Sh. Satbir Singh S/o Sh. Mohar Pal	Village & Post Office, Pali, Faridabad	Do	Do	Do	Do	
	264	Smt. Krishan W/o Sh. Sohan	Bhagat Singh Colony, Faridabad	Do	14-7-88	Direct	Adhoc	31-3-89
	265	Smt. Santosh W/o Sh. Khem Chand	Sector 18, Faridabad	Do	2-5-88	Do	Do	-do-
	266	Sh. Faquir Chand S/o Sh. Kala Ram	Jhuggi in Bhagat Singh Colony, Faridabad	Do	13-5-88	Do	Do	-do-
	267	Smt. Sumitra W/o Sh. Hari	Harijan Basti,	Do	Do	Do	Do	-do-

		Dass	Ballabhgarh					
	268	Smt. Sheela W/o Sh. Parkkash	Vill. Jharsethli, Ballabhgarh	Do	26-6-88	Do	Do	-do-
	269	Sh. Chhatar Singh S/o Sh. Nanu	Bhagat Singh Colony, Faridabad	Do	26-5-88	Direct	Daily Wages	31-3-89
	270	Smt. Maya W/o Sh. Bhagwan	Harijan Basti, Old Faridabad	Do	6-5-88	Do	Do	-do-
16	271	Sh. Balbir Singh S/o Sh. Nathu Ram	Village & Post Office Prabhu Wala, District Hisar	Do	12-5-88	Do	Adhoc	-do-

	272	Sh. Hans Raj S/o Banwari Lal	Village Sarai District Faridabad	Do	20-5-88	Do	Do	-do-
17	273	Sh. Mohan Lal S/o Sh. Basant Lal	2727/7A, Green Park, Faridabad	Do	21-12-88	Employment Exchange	Regular	-do-
18	274	Sh. Sukhdev Kumar S/o Sh. Ram Chand	H.No. 6, Sector-18-A, Faridabad	Do	1-7-87	Direct	Adhoc	-do-
	275	Sh. Maqsod Ahmed S/o Sh. Smail Khan	Village Rajpur Post Office: Gulata Teh. Punhana, District Gurgaon	Do	29-7-87	Do	Do	-do-

	276	Sh. Ishwar Chand S/o Sh. Doji Ram	Village Satpura, Tigaon, Ballabhgarh	Do	15-9-87	Do	Do	-do-
	277	Sh. Subhash Chand S/o Khayali Ram	B-A/136, Radha Nagar, Ballabhgarh .	Do	20-10-87	Do	Do	-do-
	278	Sh. Raj Kumar S/o Sh. Chaman Lal	Mohalla Budhipara, Old Fridabad	Do	Do	Do	Do	-do-
	279	Sh. Mahinder Kumar S/o Sh. Gopi Chand	H.No. 341, Sector 15-A, Faridabad	Do	Do	Do	Do	-do-
	280	Sh. Ram Chand S/o Sh.	2-J/73, N.I.T.,	Do	Do	Do	Do	-do-

		Mani Pal	Faridabad					
	281	Sh. Pawan Kumar S/o Sh. Umed Singh	Village Baren Distt. Bhiwani	Do	29-10-87	Do	Do	-do-
	282	Sh. Mahabir S/o Krishan Lal	H.No. 890, Chawla Colony, Ballabhgarh.	Clerk	6-11-87	Direct	Ad hoc	31-3-89
	283	Sh. Shankar Lal S/o Banwari Lal	H.No. 89, Chawla Colony, Ballabhgarh.	Do	Do	Do	Do	-do-
	284	Sh. Rajinder Kumar S/o Sh. Ved Parkash	Mohalla Ahirwara, Old Faridabad	Do	18-12-87	Do	Do	-do-

	285	Smt. Chanchal Rani	105, 3A Widow Home, N.I.T., Faridabad	Do	28-2-88	Do	Daily Wages	-do-
	286	Sh. Rajesh Prasar S/o Sh. Lok Chand Sharma	10/18, Mohalla Barh, Old Faridabad	Do	28-2-88	Do	Adhoc	-do-
	287	Sh. Ram Parsad S/o Sh. Sahu Ram	Packet-C 213-C Phase-II, Mayur Vihar New Delhi-91	Do	11-4-88	Do	Do	-do-
	288	Sh. Anil Rakheja S/o Sh. Shiv	H.No. 48, Punjabi Mohalla,	Do	28-6-88	Do	Do	-do-

		Kumar	Ballabhgarh					
	289	Sh. Raj Pal Singh S/o Sh. Deep Chand Tawatia	Village Alawalpur, Teh. Palwal, Faridabad	Do	30-5-88	Do	Do	-do-
	290	Sh. Om Parkash S/o Sh. Dehi Ram	Village & Post Office Shamri, Teh. Gohana.	Do	30-7-88	Court Case	Daily Wages	-do-
	291	Sh. Ranjit Singh S/o Sh. Afiatun	Bhikam Colony, Ballabhgarh.	Do	2-1-88	Employment Exchange	Regular	-do-
	292	Sh. Rattan Lal S/o Sh. Garib Sehai	Vill. Jallahapur Khalsa, Post Office	Do	9-1-89	Do	Do	-do-

			Aharwan, Palwal, Faridabad					
	293	Sh. Sanjeev S/o Sh. Joginder	C/o Sh. Balbir Singh Tubewell Driver, Tebewell No. 2, Milk Plant Road, Ballabhgarh.	Do	9-1-89	Death Case	Adhoc	-do-
	294	Smt. Ravi Kashyap W/o Sh. Ramji Lal	Ward No. 5, Kumaharwar, Ballabhgarh.	Do	2-12-89	Death Case	Regular	-do-

19	295	Sh. Inderjeet Makkar S/o Sh. Sada Nand	557/4, Shastri Nagar, Tohana, Hissar	Steno-Typist	3-7-87	Direct	Adhoc	31-3-89
20	296	Sh. Udai Singh S/o Sh. Bihari	H.No. 310, Sector-16, Faridabad.	Patwari	1-4-88	Do	Do	Do
21	297	Sh. Shyam Singh S/o Sh. Suraj Bhan	Ballabhgarh.	Junior Engineer	30-10-87	Do	Do	Do
	298	Dalbir Singh S/o Perhlad Singh	C/o Lal Chand Tek, H.No. 2498, Housing Board Colony, Sector-7,	Junior Engineer	3-11-87	Direct	Adhoc	31-3-89

			Faridabad					
	299	Ram Parkash S/o Dalip Singh	Village & Post Office Badsi, District Bhiwani	Do	8-4-88	Do	Do	-do-
	300	Vir Pal S/o Harchandi	Village & Post Office Silouthi, Asawti, Teh. Palwal.	Do	30-10-87	Do	Do	Do
	301	Ranbir Singh S/o Chatter Singh	1561/7-E, Faridabad	Do	16-9-87	Do	Do	28-2-89
	302	Surender Singh S/o Bhajan Lal	2301/16, Faridabad	Do	7-12-87	Court Case	Regular	Do
22	303	Puran Lal S/o	Village & Post Office	Tebewell	1-4-87	Direct	Daily	28-2-

		Kanhiya	Bhankri, District Faridabad	Driver			Wages	89
	304	Ibrahim Khan S/o Gutta	Village & Post Office Bahin, District Faridabad	Do	30-10-87	Do	Do	Do
	305	Ram Naresh S/o Puran	C-601, Dabua Colony, Fridabad	Do	25-1-88	Do	Do	30-1-89
	306	Zile Singh S/o Kishori Lal	DI-760, Shekhpura, Tehsil Palwal.	Do	30-1-87	Do	Do	Do
	307	Ganpat Singh	Village & Post Office	Do	1-12-87	Do	Do	Do

			Bahin, Faridabad.					
	308	Tarsem Kumar	Tehsil Palwal, Faridabad.	Do	1-4-87	Do	Do	28-2-89
	309	Dhan Singh S/o Hari Singh	E-1195, Dabua Colony, Faridabad	Tubewell Driver	22-4-88	Direct	Daily Wages	31-1-89
	310	Krishan Kumar S/o Surjit Singh	Village Sarola, Post Office Khuden, District Rohtak.	Do	5-5-88	Do	Do	28-2-89
23	311	Rajender Singh S/o Jai Narain	2635/16, Faridabad	Assistand Sanitary Inspector	10-4-87	Do	Adhoc	28-2-89

	312	Shiv Ram Saini S/o Padam Singh	Village Unchagaon, Ballabhgarh.	Do	23-6-88	Do	Do	Do
	313	Parmod Kumar S/o M.K. Sharma	560/18, Faridabad	Do	29-4-88	Do	Do	Do
24	314	Jitender Singh S/o Harish Singh	457/23, N.I.T. Faridabad	Assistant Draughtsman	29-10-87	Do	Do	31-3-89
25	315	Liak Ram S/o Umrao	Central Green, Faridabad	Fireman	16-5-88	Do	Daily Wages	31-12-89
26	316	Mohinder Singh S/o Chibban Singh	Central Green, Faridabad	Driver (Substitute)	20-5-88	Do	Do	31-12-89
27	317	Megh Singh	Village & Post Office	Road Roller	26-11-87	Do	Adhoc	28-2-

		S/o Ant Ram	Nangla, Distt. Faridabad	Driver				89
28	318	Tajinder S/o Hari Ram	5-K/22, N.I.T. Faridabad	Mali	18-1-88	Do	Do	31-3-89
	319	Dev Dutt S/o Gudriya	Ward No. 9, Kumharwara, Ballabhgarh.	Do	28-1-88	Do	Do	31-3-89
	320	Mewa Ram S/o Ram Singh	Village Mukhru, Tehsil Salwan, Raibareli, U.P.	Do	28-1-88	Do	Do	31-3-89
	321	Brij Pal S/o	Village	Mali	Do	Do	Do	Do

		Mawasi	Bhmroula, Tehsil Palwal, Faridabad					
	322	Nanak S/o Shiv Charan	Village Badashpur, Post Office Kheri Kalan, Faridabad	Mali	Do	Do	Do	Do
	323	Tirlchan Lal S/o Harnam Dass	5-D/768, NIT Faridabad	Mali	21-5-88	Do	Adhoc	31-3-89
	324	Kanti Devi W/o Sudama Singh	250/10, Bhim Basti, Faridabad	Mali	30-5-88	Death Case	Regular	
	325	Parkash S/o Tek Chand	Central Green,	Mali	28-2-88	Direct	Daily Wages	Do

			F.C.A., Faridabad					
	326	Madan Lal S/o Chander Bhan	2K/43, N.I.T. Faridabad	Mali	2-12-88	Death Case	Regular	
29	327	Ram Mehar S/o Bharat Singh	Central Green, Faridabad	Helper to electrician	25-6-88	Direct	Adhoc	28-2-89
30	328	Phool Wati S/o Prithi Singh	Village Dhauj, Tehsil Ballabhgarh	Peon	1-5-87	Death Case	Regular	
	329	Upkar Singh S/o Kesar Singh	33/5, Block-3, Bhagat Singh Colony, N.I.T,	Peon	23-5-87	Do	Do	

			Faridabad					
	330	Usha Devi W/o Rajender Singh	Village & Post Office Zewar, Tehsil Amb, District Una, H.P.	Peon	4-11-87	Do	Do	
	331	Bharat Bhushan S/o Murli Dhar	2K/43, N.I.T., Faridabad	Peon	25-2-87	Do	Do	
	332	Rajender S/o Tulsa Ram	2B/96, N.I.T., Faridabad	Peon	3-6-88	Do	Do	
	333	Man Devi W/o Mahender Singh	Mohalla Brij Wada, Ballabhgarh	Peon	10-11-88	Do	Do	
	334	Smt. Bhagrathi W/o Prem	5-R, Park Complex	Peon	16-1-89	Do	Do	

		Singh	Quarter, N.I.T. Faridabad					
	335	Kishori Lal	Central Green Jhuggies, N.I.T. Faridabad	Peon	13-6-88	Direct	Adhoc	28-2-89
31	336	Amar Chand	Central Green Jhuggies, N.I.T. Faridabad	Mali-cum-Chowlidar	19-4-88	Direct	Adhoc	31-3-89
	337	Dharamvir S/o Rattan Lal	Village Nawada, Koh., Faridabad	Do	26-10-87	Do	Do	
	338	Jitender Lal	Central	Do		Do	Do	

			Green Jhuggies, N.I.T. Faridabad					

श्री योगेश चन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, अनेक्चर 'ए' में कहा गया है कि कुछ डायरैक्ट रिक्रूटमैंट ऐमरजैंसी में की गई। मैं मंत्री जी से कलैरिफिकेशन चाहता हूं कि वह ऐमरजैंसी क्या थी? उन्होंने ऐमरजैंसी की आड़ लेकर 47 लड़के ऐडहौक और 16 लडके डेली वेजिज पर लिए। इसमें ऐम्पलायमैंट ऐक्सचेंजिज के रूल्ज एंड रैगुलेशंज को वायलेट किया गया है। जिस अफसर ने यह रिक्रूमैंट की क्या उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सर, फरीदाबाद कम्पलैक्स में डेली बेजिज पर और ऐडहौक बेसिज पर जो रिक्रूटमैंट हुई है वह ज्यों ज्यों नीड अराइज होती है, जिसको ऐमरजैंसी कह लीजिए, उसके बेसिज पर कर लेते हैं। इन पोस्टों को भी डिपार्टमैंट ने ऐम्पलायमैंट ऐक्सचेंजिज को नोटिफाई कर दिया है। बहुत जल्द ही ऐम्पलायमैंट ऐक्सचेंजिज के जरिए इनको भर दिया जाएगा।

श्री उदय भान: अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों फरीदाबाद कम्पलैक्स में कुछ ऐडहौक बेसिज पर लगे लोगों की छटनी की गई थी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे कितने लोग हटाए गए थे?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सर, मेरे पास जो सवाल आता है वह अप्वांयटमैंटस का है छंटनी का नहीं।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फरीदाबाद कम्पलैक्स के ऐडमिनिस्ट्रेटर ने जो

रिक्रूटमैंट की है क्या उसमें कोई पक्षपात करने की शिकायत मिली है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

श्री रतन लाल कटारिया: स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 338 लड़कों को जो अप्ववांयटमैंट दी गई, इनमें अनुसूचित जाति के कितने लोग लिये गये? क्या इससे आरक्षण का कोटा पूरा किया गया या नहीं?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, यह डिटेल तो मेरे पास नहीं है कि कितने शडयूल्ड कास्टस के, कितने बैकवर्ड क्लास के और कितने जनरल कैटेगरी के लोग लिए गए। लेकिन आम तौर पर रिजर्वेशन का ध्यान पूरी तरह से रखा जाता है।

श्री उदय भान: स्पीकर साहब, पिछले साल मेरे सवाल के जवाब में बताया गया था कि फरीदाबाद कम्पलैक्स में आरक्षण जून, 1988 तक पूरा कर दिया जाएगा। क्या वह पूरा हो गया है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, पिछला सवाल क्या था और उसका जवाब क्या था उसका मुझे तो इस समय इलम नहीं है लेकिन मैं सूचित करना चाहूंगा कि मौजूदा गवर्नमैंट इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि रिजर्वेशन पूरी की जाए।

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि ऐडहौक और डेली वेजिज पर भी काफी लोग लिए गए हैं लेकिन उनमें से पिछले दिनों कुछ लोगों को निकाला भी गया था। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनको रखा किस लिए था और जो लोग 240 दिन या उससे ऊपर पूरे कर चुके हैं उनको निकाला क्यों गया है? वे कोर्ट में भी जा सकते हैं। अगर वे कोर्ट में चले गए तो सरकार को नुकसान होगा। अध्यक्ष महोदय, इनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर के एरियाज के हैं और ऐडहौक पर भर्ती किए गए हैं। क्या इनको यहां पर स्किल्ड वर्कर या फोर्थ क्लास नहीं मिलते थे? फिर पहले उन्हें भर्ती क्यों किया गया और बाद में क्यों निकाला गया? (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः महेन्द्र प्रताप जी आप बैंठे, आपका प्वायंट आ गया है। The supplementary should be brief and to the point.

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, फरीदाबाद कम्पलैक्स ऐडमिनिस्ट्रेशन में लोकल सैल्फ गवर्नमैंट ने टोटल 338 लड़कों की अप्वांयटमैंट की उनमें से केवल 63 लड़के डेली वेजिज पर लिए गए थे। जो 63 लड़के डेली वेजिज पर लिए गए वे भी ऐमरजैंट हालात को देखते हुए लिए गए। उनकी सफाई के लिए, स्ट्रीट लाइट और सिवरेज की मेंटेनैंस के लिए डेली वेजिज पर भर्ती किया गया। यह कोई बहुत ज्यादा नम्बर नहीं है। अगर वहां

से डेली वेजिज पर लगे हुए लोग निकाल भी दिए गए होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी परफौरमैंस देख करके ही उनको निकाला गया होगा। जो कर्मचारी काम ही नहीं करेगार उसको तो सर्विस से निकालना ही पड़ेगा। इसमें 240 दिन की सर्विस पूरी करने का कोई चक्कर नहीं है। यह सरकार पर काध्य नहीं है कि जिसकी 240 दिन की सर्विस पूरी हो गई उसको नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। हाई कोर्ट की जो जजमैंट है उसकी इन्अरप्रटेशन और तरह की है। गवर्नमैंट पर यह बाईडिग नहीं है कि जिसकी 240 दिन की सर्विस पूरी हो गई है उसको सर्विस से नहीं निकाला जा सकता। उसको शो काज नोटिस दे करके या महकमें में यदि उसके खिलाफ कोई कम्पलेंट हो तो उस बिना पर उसकी छुट्टी की जा सकती है।

श्री योगेश चन्द शर्माः स्पीकर साहब, पिछले दिनों फरीदाबाद कम्पलैक्स ऐडमिनिस्ट्रेशन में से 700 लड़के सर्विस से निकाले गए थे। इसलिये मैं मिनिस्टर साहब से डायरैक्ट क्वैश्चन पुट कर रहा हूं कि अगर उन 700 लड़कों को सर्विस से निकालना ही था तो उनकी भर्ती क्यों किया गया था? स्पीकर साहब फरीदाबाद कम्पलैक्स ऐडमिनिस्ट्रेशन में से जो लड़के निकाले गए हैं उनमें हाहाकार मची हुई है। इसलिए मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन लड़कों को सर्विस से क्यों निकाला गया है? कया उन सब की परफौरमैंस एकदम खराब हो गई थी?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, लड़कों की छंटनी के बारे में तो माननीय सदस्य ने पूछा ही नहीं। माननीय सदस्य ने तो यह पूछा है कि जब से मौजूदा सरकार आई है तब से लेकर अब तक फरीदाबाद कम्पलैक्स में कितने लोगों को अप्वायंटमैंट मिली तथा मोड औफ रिक्रूटमैंअ और सोर्स औफ रिक्रूटमैंट क्या है? अब जो यू पूछ रहे हैं कि लड़कों की छंटनी क्यों हुई और किस लिए हुई it requires separate notice. उसके बाद ही इस तरह की डिटेल्ज दी जा सकती है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी की ववाक पटुता की प्रशंसा करता हूं और आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि इन्होंने अनैक्शचर ''ए'' के पेज 2 सीरियल नम्बर 21, 28 और 30 पर लिखा है कि 6 जूनियर इंजीनियर्ज, 9 माली और 8 पीयन्ज भर्ती किए गए। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वहां पर कोई ऐपिडैमिक फैल गया था जो जुनियर इंजीनियर्ज भर्ती करने पड़े?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मैं तो नहीं समझता कि जुनियर इंजीनियर्ज ऐपिडैमिक की रोकथाम के लिए भर्ती किए जाते हैं। वहां पर चूंकि कोई एमरजैट नए काम आ गए, कम्पलैक्स में नया काम चल पड़ा, सैक्टर बनने शुरू हो गए और दूसरे डिवैल्पमैंट के काम चल पड़े इसलिये उनको भर्ती किया गया। यदि इनकी रिक्विजिशन ऐम्पलायमेंट ऐक्सचेंजिज को भेजी जाती तो उसमें बहुत ज्यादा समय लगता और काम सफर करता। अब

ऐडहौक बेसिज और डेली बेजिज पर लगे हुए 63 कर्मचारियों की पोस्टें ऐम्पलायमैंट ऐक्सचेंजिज को नोटिफाई कर दी गई हैं। ज्यों ही वहां से नाम आ जायेंगे उनकी जगह रेगुलर भर्ती कर ली जाएगी।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker: Now, we take up the regular list of question for today.

Construction of New Roads in Tehsil Panipat

***685. Chaudhri Satbir Singh Kadian**: Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following roads in Tehsil Panipat:

(i) from Rishulu to Sewah;

(ii) from Jawara to Ahar, and

(iii) from Bunalakhu to Sharmi, and

(b) if so, the time by which the roads, as referred to in part (a) above, are likely to be constructed?

Public Works Minister (Shri Om Parkash Bhaedwaj):

(a) There is a proposal under consideration of the Govt. in respect of roads at Sr. no. (i) and (ii). There is no proposal under consideration in respect of road at Sr. No, (iii).

(b) Final decision about roads at Sr. No. (i) and (ii) will be taken as early as possible upon the availability of funds.

चौ. सतबीर सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन सड़कों को बनाये जाने के लिए फण्ड कब तक अवेलेबल हो जायेंगे और उन पर कब तक काम शुरू हो जायेगा?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाज: स्पीकर साहब, ये सड़कें मन्जूरशुदा नहीं हैं। इन सड़कों को जल्दी ही मन्जूर कर दिया जायेगा क्योंकि अब दिल्ली भी दूर नहीं है और दिसम्बर भी दूर नहीं रहा। इन सड़कों पर हम जल्दी ही काम शुरू करवा देंगे।

चौ. सतबीर सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय के नोटिस में लाना चाहता हूं कि मेरे हल्के में दो सड़कें सिकन्दुरपुर से राम नगर और इसराना से रामनगर ऐसी हैं जो मन्जूरशुदा भी हैं और जिन पर मिट्टी भी पड़ चुकी है। अब इन पर आगे का काम न होने की वजह से वहां पर मिट्टी बह रही है और पैसा बेकार जा रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन सड़कों को कब तक पूरा करवा दिया जायेगा?

श्री औम प्रकाश भारद्वाज: अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि इनके हल्के में 6 सड़कों पर काम चालू था। इन 6 सड़कों में से 3 सड़कों काम कंपलीट हो चुका है। एक सड़क जो सिकंदरपुर से जीतगढ़ तक है, इस

पर मिट्टी का काम हो गया है और बाकि काम भी जल्दी ही शुरू करवा कर इस सड़क जो जल्दी ही कम्पलीट कर देंगे।

Opening of J.B.T. and O.T. Centres

***802 Seth Lachhman Dass Bajaj**: Will the Minister for Eduction be pleased to state-

(a) weather there is any proposal under consideration of the Government to start J.B.T. (Hindi, Sanskrit and Punjabi), B.A. B.Ed., C.P.Ed. and O.T. classes at Karnal; and

(b) whether there is also any proposal under consideration of the Government to bifurcate the Government High School, Prem Nagar, Karnal ito Boys and Girls School, separately?

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री (श्रीमती सुशमा स्वराज): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक निवेदन करना चाहती हूं कि सवाल का जो लिखित जवाब सर्कुलेट किया गया है उसमें 'सिवाह' शब्द डिलीट किया समझा जाये क्योंकि यह गलती से लिखा गया है और सवाल का जवाब इस प्रकार है –

(क) भारत सरकार की स्कीम के अधीन एक जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान, जिला करनाल में स्थापित किये जाने का मामला सरकार के विचाराधीन है। इस संस्था द्वारा ओ.टी. तथा डी.एड. की कक्षाएं चलाई जायेगी। इसके अतिरिक्त करनाल में बी.

ए. बी.एड. तथा सी.पी.एड. की नई कक्षाएं चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) हां।

सेठ लछमन दास बजाज: अध्यक्ष महोदय, मैं मंन्त्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं कि सारे हरियाणा में करनाल जिला एक ऐसा जिला है जहां पर कोई गवर्नमैंट कालेज तथा इंजीनियरिंग कालेज नहीं है और ओ.टी., बी.एड. तथा संस्कृत पढ़ाने का कोई प्रबन्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष: बजाज साहब आप इंजीनियरिंग कालेज की तरफ कहां चले गए?

सेठ लछमन दास बजाज: अध्यक्ष महोदय, यह सवाल इसी सवाल से संबंध रखता है। इंजीनियरिंग कालेज भी वहां पर नहीं है। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि क्या करनाल में कोई इंजीनियरिंग कालेज खोला जायेगा?

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, जहां तक बी. एड. क्लासिज का सवाल है, मैं इन्हें बताना चाहूंगी कि सारे हरियाणा में केवल एक जिला को छोड़ कर सरकारी कालेज किसी जिले में नहीं है। जहां तक करनाल का सवाल है वहां पर एक प्राईवेट संस्थान डी.ए.वी. कालेज फार विमैन है, जहां पर बी.एड. की क्लासिज लगाई जाती है। इसलिए अब वहां पर सरकार की

तरफ से बी.एड. क्लासिज शुरू करने की कोई बात विचारधीन नहीं है।

श्री आत्मा सिंह गिलः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जब हमारे मुख्यमंत्री जी अमेरिका से अपना ईलाज करवा कर आये थे तो उस समय उन्होंने घोशणा की थी कि यहां के स्कूलों में पंजाबी लागू की जायेगी। मैं यह भी इनके नोटिस में लाना चाहता हूं कि जहां पर पंजाबी क्लासिज हैं, वहां पर कोई पंजाबी टीचर नहीं है। मैं मंत्री जी से जानना चाहात हूं कि जहां पर बच्चे पंजाबी पढ़ना चाहते हैं क्या वहां पर पंजाबी टीचर जायेंगे या नहीं?

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय मैं इन्हें बताना चाहूंगी कि जहां पर पंजाबी क्लासिज हैं वहां पंजाबी पढ़ने वाले बच्चों को पंजाबी टीचर ही पढ़ाते हैं और वहां पर पंजाबी टीचर ही लगाये हुए हैं।

श्री आत्मा सिंह गिलः अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः इनके नोटिस में लाना चाहता हूं कि जब अमेरिका से सी.एम. साहब इलाज करवा कर आये थे तो उस समय उन्होंने सारे स्कूलों में पंजाबी पढ़ाने के बारे में घोशणा की थी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि स्कूलों में कब तक पंजाबी टीचर लगा दिए जाएंगे क्योंकि इस समय स्कूलों में पंजाबी टीचर नहीं लगे हुए। दूसरे इस समय पंजाबी की क्लासिज कहां कहां पर चल रही है?

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को पहले ही बता चुकी हूं कि जहां पर पंजाबी क्लासिज हैं, वहां पर पंजाबी टीचर ही उन्हें पढ़ा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: ये पूछ रहे हैं कि इस समय पंजाबी की क्लासिज कहां कहां पर चल रही है।

श्रीमती सुशमा स्वराज: इस समय मुझे इस बारे में पता नहीं।

श्री हरनाम सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से जानना चाहात हूं कि हमारे हरियाणा में इस समय कितने स्कूल ऐसे हैं जिनमें पंजाबी टीचर्ज लगे हुए हैं और उनमें कितने कितने विद्यार्थी पंजाबी पढ़ रहे हैं? साथ ही साथ मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि कितने विद्यार्थियों की अलग अलग स्कूलों से पंजाबी पढ़ने की मांग आई है?

श्रीमती सुशमा स्वराज: स्पीकर साहब, डा. हरनाम सिंह जो आंकड़े मांग रहे हैं ये किसी दूसरे सवाल के जवाब में दिए जा सकते हैं क्योंकि ये इस सवाल से संबंध नहीं रखते।

श्री योगेश चन्द्र शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया की जानकारी में लाना चाहता हूं कि फरीदाबाद जिले में न किसी प्राईवेट कालेज में और न किसी सरकार कालेज में ओ.टी. और बी.एड. की क्लासिज हैं। इसलिये क्या वहां पर सरकार की बी.एड. और ओ.टी. की क्लासिज चालू करने का विचार है?

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष जी, रैगुलर कालेजों में ओ.टी. की क्लासिज नहीं दी जाती। मैंने पहले भी एक सवाल के लिखित जवाब में बताया था कि ओ.टी. क्लासिज हम 'डाइट' के तहत खोल रहे हैं। 'डाइट' फरीदाबाद में भी खुलेगा। ओ.टी. क्लासिज 'डाइट' में दी जाएगी। रैगुलर कालेजों में ओ.टी. क्लासिज नहीं दी जाएंगी।

श्री हरनाम सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि हरियाणा में पंजाबी पढ़ाने की क्या नीति है और किन–किन स्कूलों में पंजाबी पढ़ाई जा रही है?

Mr. Speaker: This question is not relevant. Please take your seat.

श्री रणजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मन्त्री महोदय ने एक सवाल के जवाब में बताया था कि 'डाइट' के तहत जे.बी. टी. की क्लासिज खोली जाएंगी लेकिन मैं इनसे यह पूछना चाहूंगा कि इस स्कीम के तहत इन्स्टीच्यूशन्ज कहां कहां और कब तक खोले जाएंगे?

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, यह सवाल मेन सवाल से सम्बन्धित नहीं है।

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष जी इसका मैं जवाब दे देती हूं। 'डाइट' स्कीम के तहत दो सैंटर तो इसी साल खोल दिए जाएंगे, 6 के लिए पैसा हमारे पास इसी वर्श में आ रहा है और 4

अगले वर्श में खोलेंगे। 8 सैंटर्ज का विवरण इस प्रकार हैः अम्बाला में मोहड़ा, जिला भिवानी में बिरही कलां, जिला सिरसा में डीग, जिला सोनीपत में बीसवां मील, जिला गुड़गांव में गुड़गांव शहर, जिला महेन्द्रगढ़ शहर, जिला जीन्द में इक्कस और जिला रोहतक में मदीना। जिला सोनीपत में बीसवां मील और जिला गुड़गांव में गुड़गांव शहर में स्थापित होने वाले इन्स्टीच्यूशन्ज इसी वर्श खोल हिए जाएंगे। करनाल कुरूक्षेत्र, फरीदाबाद और हिसार में इन्स्टीच्यूशन्ज खोलने के लिए स्थान अभी निर्धारित नहीं किये गए हैं, अगले वश्र ये स्थान भी तय कर लिए जाएंगे।

श्री अध्यक्षः बहिन जी, कभी तो ऐसे सवाल का जवाब आप दे देती हैं और कभी कहती है कि जवाब मेरे पास नहीं है।

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष जी, मैं आपकी इस औब्जर्वेशन का जवाब देना चाहूंगी। आपने कहा कि कभी तो मैं जवाब दे देती हूं और कभी कह देती हूं कि जवाब मेरे पास नहीं है। जहां तक नीति का प्रश्न है, मंत्री से यह अपेक्षा की जाती है कि उसे अपने विभाग की सारी नीति के बारे में पूरा ज्ञान हो। चूंकि इन्होंने मुख्यता नीति के बारे में प्रश्न किया था, इसलिये मैंने कहा कि मैं जवाब दे देती हूं। जहां तक आंकड़ों का सम्बन्ध है, इस बारे में यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि मंत्री को अपने विभाग के सारे आंकड़े पता हों। आंकड़े हर समय मंत्री के पास अवेलेबल नहीं होते। नीति के बारे में जब चाहें, माननीय सदस्य सवाल पूछ सकते हैं।

चौ. सतबीर सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि 'डाइट' जो करनाल जिले में 'सिवाह' में खुलनी थी, और जहां 14 कमरे अवेलेबल हैं और रेलवे स्टेशन भी हैं, उस जगह का नाम क्यों काटा जा रहा है?

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष जी, इनका सवाल है कि लिखित जवाब में से सिवाह का नाम क्यों काट दिया गया? मैं इन्हें बताना चाहूंगी कि सिवाह का नाम गलती से लिखा गया था। 'डाइट' के लिए 'सिवाह' प्रपोज्ड नहीं था। 'सिवाह' नवोदय स्कूल के लिए प्रपोज्ड था क्योंकि गवर्नमैंट औफ इंडिया की स्कीम के तहत 12 के 12 जिलों में नवोदय स्कूल खुलने हैं और 12 के 12 जिलों में 'डाइट' खुलनी है। तो गलती से विभाग द्वारा 'सिवाह' का नाम लिख दिया गया था। सिवाह में नवोदय स्कूल खुलेगा।

Flood Relief Fund

***777. Sh. Jai Singh Rana**: Will the Revenue Minister be pleased to state –

(a) the total amount of grant received from the Central Government and from other sources for 'Flood Relief' during the year 1988-89; and

(b) the districtwise details of the amount, if any, didbursed.

राजस्व मंत्री (श्री सूरज भान):

(क) केन्द्रीय सरकार ने वर्श 1988–89 के दौरान बाढ़ राहत काय्र के लिये 3213.68 लाख रूपये के खर्च की सीमा निर्धारित की थी। इस सीमा के विरूद्ध अब तक 20.99 करोड़ रूपये की राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त हुई है।

दिनांक 1.4.88 से 15.2.89 तक ''मुख्यमंत्री राहत कोश'' में, दान के रूप में 302.89 लाख रूपये की राशि प्राप्त हुई है। स्वयं सेवी संस्थाओं ने बाढ़ से प्रभावित लोगों को पका हुआ भोजन भी सप्लाई किया।

(ख) बाढ़ राहत उपायों के लिए जिलावार अलौट की गई राशि का विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

क्र.	विवरण	अम्बाला	करनाल	कुरूक्षेत्र	जींद	सिरसा	हिसार	सोनीपत	फरीदाबाद	गुड़गांवा	रोहतक	नारनौल	भिवानी	जोड़
1	मृतक व्यक्तियों को दी गई सहायता													
	(i) बाढ़ में	1.60	0.30	1.10	0.20			0.10	0.20			0.10	0.20	3.80
	(ii) गैस के रिसन से	1.302.60	1.50						0.20					5.10

2	मकान मुरम्मत ग्रांट	29.50	26.66	95.00	22.85	24.35	96.50	3.00	14.46	3.00	0.15	0.19	17.36	333.02
3	खाद्या एवं आश्रय	5.00	4.50	9.50	10.00	13.00	17.00	4.00	10.00	2.00	2.00			77.00
4	पशुओं हेतू चारा व खुराक			0.13				0.25						0.38
(जलग्रस्त गांवों में प ु खुराक के विवरण हेतु निदेशक पशुपालन व विभाग को 9.62 लाख रू. दिये गये)														9.62
5	मनुश्य स्वास्थ्य रक्षा	4.45	3.45	4.45	3.45	5.45	5.45	4.45	2.35	0.35	0.45	0.35	0.35	35.00
6	अतिरिक्त पौश्टिक आहार	14.46	3.36	4.74	3.48	5.93	10.87	3.44	3.72					50.00

7	पशुचिकित्सा	(सभी जिलों को 40 लाख रू. के मूल्य की दवाईयां वितरित की गई)												40.00
8	रेत साफ करने हेतु सबसीडी तथा नलकूपों की मुरम्मत	20.50	7.50	54.00	9.50	9.00	47.00	1.00	1.50					150.00
9	कृशि इन–पुट सबसीडी	1.15	5.75	20.58	60.35	27.10	93.85	22.30	8.85	6.00	5.00	5.00	6.15	262.08
10	ग्रामीण/शहरी जल विवरण	8.15	1.85	1.00	7.45	5.50	15.75	4.60			12.35		10.35	91.90
	(मशीनरी ठीक करने के लिये 24.90 लाख रूपये दिये गये)													
11	क्षतिग्रस्त सड़कों की मुरम्मत	105.00	45.00	110.00	60.00	25.00	40.00	15.00	50.00					450.00

12	स्थानीय निकास द्वारा देखीााल की जाने वाली सड़कों की मुरम्मत	12.00	11.71	9.50	5.00	8.73	21.26	5.80	4.00	4.00	8.50	5.50	4.40	100.00
13	वाटर कोर्सिस की मुरम्मत		1.60	1.40	6.90	11.70	17.90	7.50					8.00	55.00
14	सिंचाई व बाढ़ नियन्त्रण कार्यों की मुरम्मत व पुर्नस्थापन	(सर्कल–वार (जिलावार नहीं) राशि अलाट की गई)												1169.00
15	आबादी में से पानी	–यथोपरि–												160.00

	निकालना													
16	बिजली उपकरणों की मुरम्मत तथा पुर्नस्थापन	34.89	39.12	103.37	38.81	4.68	55.51		8.14	24.27		15.94		324.73*
	*290.00 लाख रूपये की राशि केन्द्रीय सहायता से तथा शेश राशि हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के साधनों से।													
17	क्षतिग्रस्त पौधों का बदलता (वन विभाग)	6.42	2.45	4.41	1.56	1.95	0.76	1.36	1.09					20.00
18	लघु अवधि के ऋण को परिवर्तित करना	अभी तक कोई भी राशि नहीं बांटी गई।												

19	आवास ऋण	45.00	59.22	64.00	40.00	193.40	50.00	5.00	10.25					466.87
20	मुख्यमंत्री राहत कोश से विवरण करना	56.11	24.16	51.63	27.42	35.66	32.46	22.20	15.54	2.78	11.97	1.68	42.06	323.67
21	रिंग बांध की मुरम्मत	0.40	0.40	1.12	2.40	0.56	0.64	2.00	0.88	1.60	3.60	0.80		14.40
	जोड़	345.93	239.63	536.43	300.37	372.01	504.95	101.75	131.43	44.00	44.02	29.56	88.47	4142.07

श्री जय सिंह राणा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से बाढ़ राहत के बारे में पूछना चाहूंगा। अधिक वर्शा और बाढ़ के कारण जिन लोगों के मकान नश्ट हो गए थे सरकार ने उनको 400 रूपये और 2 कम्बल प्रति पीड़ित के हिसाब से दिए हैं लेकिन बहुत से लोग इस सहायता से वंचित रह गए हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जो लोग वंचित रह गए हैं, क्या उनको सहायता देने बारे सरकार विचार करेगी?

श्री सूरज भान: अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में बाकायदा तफतीश की गई है और ऐसी कोई बात नहीं है। इसके लिए एक नीति तय की गई थी जिसका मकान गिर गया है उसे यह सहायता देने के लिए एक शर्त रखी गई थी। अगर किसी व्यक्ति के पास चार मकान हैं और वे चारों ही गिर गए हैं तब तो उन्हें 400 रूपये के हिसाब से पैसा मिलेगा। अगर दो मकान हैं और एक गिर गया, एक रह गया तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। मतलब यह है कि सर छुपाने के लिये अगर कुछ बचा है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। यह सीमाएं सैन्टर की ओर ही निर्धारित की गई हैं।

श्री बलबीर सिंह चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि बाढ़ के कारण जो फसल नश्ट हुई है उसका कम्पनसेशन देने के लिये क्या सैन्टर की ओर से बाढ़ राहत सहायता मिली है, अगर नहीं तो कम्पनसेशन देने के लिये सरकार ने कया उपाय किए हैं?

श्री सूरज भान: अध्यक्ष महोदय, सैन्टर ने कम्पनसेशन के लिये एक भी पैसा नहीं दिया है इसका एकमात्र इलाज यही है कि फसल बीमें की स्कीम शुरू की जाये। इस फसल बीमें के अलावा और कोई इलाज नहीं है।

डा. बृज मोहन: स्पीकर साहब, जिनके मकान बाढ़ से गिर गये हैं उन्हें मुआवजा दिया गया है लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जिनके मकानात बारिश में गिर गये हैं क्या उन लोंगों को भी राहत देने का सरकार का विचार है?

श्री सूरज भान: स्पीकर साहब, बारिश से गिरने वाले मकानों के लिए भी वही शर्तें थीं इस तरह से जितने मकान गिरे हैं उन्हें राहत मिली है लेकिन जिनके कई मकान हैं और उनमें से अगर एक भी मकान बचा है तो उनको कुछ नहीं मिला हे।

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि केन्द्रीय सरकार ने वर्श 1988–89 के दौरान बाढ़ राहत कार्य के लिये 3213.68 लाख रूप्ये की सीमा निर्धारित की थी लेकिन अब तक उसमें से तकरीबन 21 करोड़ रूपया केन्द्रीय सरकार ने दिया है। स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा 302.89 लाख रूपया दिया गया है। हरियाणा सरकार ने अब तक 41 करोड़ 42 लाख रूपया तकसीम किया है। क्या मंत्री जी बताएंगे

कि बाकी जो रूपया बचा है, वह फलड अफैक्टिड लोगों को क्या नहीं बांटा गया?

श्री सूरज भान: स्पीकर साहब, बाकी रूपये का तो सवाल ही नहीं है क्योंकि हमने तो ज्यादा बांटा है। मैं आदरणीय मैम्बर साहब को बताना चाहूंगा कि हमने केन्द्र से 192 करोड़ रूपया मांगा था लेकिन हमारे से केन्द्र ने वायदा किया कि 42 करोड़ देंगे। उसमें से दस करोड़ रूपया तो हाउसिंग पर्पजिज के लिए लोन था। उन्होंने हमारे पर 3213.68 लाख रूपये के खर्च की सीमा निर्धारित कर दी थी लेकिन इतना रूपया उन्होंने हमें देना नहीं था। उन्होंने देना था 23 करोड़ 48 लाख रूपया लेकिन हमें अभी तक 20 करोड़ 99 लाख रूपया मिला है। अभी उनसे हमने 2 करोड़ 49 लाख रूपये लेने हैं। जहां तक रूपये बचने का सम्बन्ध है, हमारे पास कुछ नहीं बचा है, हमने तो अपने खजाने में से और सी.एम. के रिलीफ फण्ड में से भी खर्च किया है।

श्री महा सिंह: स्पीकर साहब, जब जमुना में फलड आता है तो वह सदा के लिए कोर्स चेंज कर लेती है। मेरे इलाके में जमुना ने कोर्स चेंज कर लिया है। वहां पर लोगों की जमीनें कट गई हैं, टयूबवैल्ज खत्म हो गय हैं, कोठड़े बह गये हैं। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि वहां पर कोई कम्पनसेशन देने का सरकार का विचार है?

श्री सूरज भान: स्पीकर साहब, इस बारे में इरीगेशन डिपार्टमैंट देख रहा है। कम्पनसेशन देने की कोई बात नहीं है।

चौ. महेन्द्र प्रताप सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने सवाल के जवाब में बतायाहै कि 20 करोड़ 99 लाख रूपया केन्द्रीय सरकार से सहायता के रूप में मिला है। इन्होंने बजट में और गवर्नर ऐड्रैस में दर्शाया है कि 13 करोड़ रूपया दिया है। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि बाकी का वह 8 करोड़ रूपया बाद में मिला है या कब मिला है? दूसरा सवाल मेरा यह है कि मुख्यमंत्री राहत कोश में जो तीन करोड़ रूपया आया है क्या उसके बारे में सरकार के नोटिस में यह बात है कि करोड़ों रूपया ऐडमिनिस्ट्रेशन उगाह रही है और क्या उसकी रसीदें लोगों को दे रहे हैं या नहीं? अगर नहीं, तो क्या ऐसा करने से करप्शन को बढ़ावा नहीं मिला है? (शोर)

Mr. Speaker: This question need not be replied as it is not relevant.

श्री महासिंह: स्पीकर साहब, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। बाढ़ राहत का काम भी रेवैन्यू मिनिस्टर के पास है। क्या इन केसिज में राहत देंगे या नहीं।

श्री सूरज भान: स्पीकर साहब, यह राहत का काम नहीं है जो खेत खराब हो गये, नुक्सान हुआ है, ठोकरें लगानी हैं, वह इरीगेशन विभाग का काम है।

श्री उदय भान: स्पीकर साहब, फरीदाबाद जिले में बाढ़ से बहुत ज्यादा नुक्सान हुआ। केन्द्र से हरियाणा को 20 करोड़ 99 लाख रूपये की मदद मिली है लेकिन उसमें से फरीदाबाद जिले को 1 करोड़ 31 लाख 43 हजार रूपया दिया गया है। इसका क्या कारण है, इतना कम पैसा क्यों दिया गया?

श्री सुरज भान: स्पीकर साहब, जितनी डिमांड आयी और जितनी राशि अवेलेबल थी उसके अनुपात से पैसा जिलों में बांटा गया।

श्री महा सिंह: स्पीकर साहब, बड़ी अलारमिंग सियुएशन है। जमुना ने लोगों की जमीनें काट दी हैं, टयूबवैल्ज बह गये हैं और फसलें तो तबाह हो ही गयी थीं क्या मंत्री महोदय उन्हें भी कोई मुआवजा देंगे या नहीं?

श्री सूरज भान: स्पीकर साहब, टयूबवैल्ज की रिपेयर के लिए लाजमी तौर पर पैसा दिया गया है। जहां तक जमीन खराब होने की बात है, उसके बारे इरीगेशन डिपार्टमैंट को काम सौंपा गया है, बाद में देखेंगे कि वह कर पाया है या नहीं।

श्री योगेश चन्द शर्मा: स्पीकर साहब, आपके माध्यम से मैं एक बात जानना चाहता हूं। अभी अभी मंत्री जी ने एक सवाल के जवाब में यह बताया है कि जिन लोगों के मकान गिर गये थे, उनको कम्पनसेशन दिया गया है। इसके लिये बाकायदा पालिसी बनी हुई है। हुआ इस तरह से कि जब बाढ़ आयी, 20—25 दिन

तक तो पानी वहां पर रूका रहा। पानी वाहं से निकल जाने के बाद जब सर्वे हो गया तो उसके बाद एक या डेढ़ महीने के बाद कुछ मकान गिर गये जिनके मकान बाढ़ आने के बाद गिर गये हैं, उनको भी कोई कम्पनसेशन मिला है या नहीं? अगर नहीं मिला है तो क्या दोबारा सर्वे करवा कर उनको भी कम्पनसेशन देने के लिये सरकार तैयार है?

श्री सूरज भान: अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि जब बारिश होती है तो कुछ मकान तो उसी वक्त गिर जाते हैं लेकिन कुछ 3–4 दिन के बाद गिर जाते हैं। उन सब को इसके तहत कवर किया गया है। अगर कोई ऐसा केस रह गया है तो माननीय सदस्य शिकायत भेज दें, विचार कर लिया जायेगा।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदान: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने लिखित जवाब के विवरण के पेज न. 2 पर आईटम न. 16 में यह फरमाया है कि बिजली उपकरणों की मुरम्मत तथा पुनर्स्थापन के लिये 1 करोड़ 3 लाख 37 हजार रूपये कुरूक्षेत्र में खर्च किये गये हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इन बिजली उपकरणों की मुरम्मत तथा पुनर्स्थापन की क्या डिटेल्ज हैं क्योंकि ये वहां पर नहीं दी हुई हैं?

श्री सूरज भान: सर, ये डिटेलज तो मेरे पास नहीं हैं। हर डिपार्टमैंट को अलग अलग से पैसा दिया गया है मिसाल के तौर पर हैल्थ डिपार्टमैंट और बिजली विभाग को कितना कितना

पैसा दिया गया है, उन्होंने यह पैसा कहां–कहां पर खर्च किया है, इसकी डिटेलज मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री रणजीत सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह फरमाया है कि केन्द्रीय सरकार ने बाढ़ राहत कार्य के लिये 32 करोड़ 13 लाख और 68 हजार रूपये की सीमा निर्धारित की थी जबकि इस पेसे के मुकाबले में अब तक 20.99 करोड़ रूपये की राशि केन्द्र से प्राप्त हो चुकी है और बाकी का पैसा अभी तक नहीं मिला है। साल पूरा होने का आ रहा है। वैसे भी जुलाई के महीने में मौनसून शुरू हो जाता है। क्या उस पैसे को लेने के लिये हमाीर राज्य सरकार कोई स्टैप्स ले रही है ताकि यह पता चला सके कि हमें वह पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है?

श्री सूरज भानः अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि हमें केन्द्र से केवल 20.99 करोड़ रूपया मिला है लेकिन हमने उसके मुकाबले में 4142 लाख 7 हजार रूपया खर्च किया है। हमने इस पेसे का यूटेलाईजेशन सर्टीफिकेट बनाकर केन्द्र सरकार को भेज दिया है। हम उम्मीद रखते हैं कि इस महीने के आखिरी दिनों तक बाकी पैसा भी हमें मिल जायेगा।

श्री हजार चन्दः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने जवाब में फरमाया है कि टयूबवैल्ज की मुरम्मत के लिये पैसा दिया गया है। लेकिन हमारे जिले में एक भी टयूबवैल की मुरम्मत करने के

लिये सहायता नहीं दी गयी है। क्या इनके पास ऐसी कोई रिपोर्ट है कि किन किन लोगों को यह सहायता दी गयी है?

श्री सुरज भान: स्पीकर साहब, मेरे पास यह रिपोर्ट तो जिलावाईज है कि कितने टयूबवैल्ज की मुरम्मत के लिये पैसा दिया गया है लेकिन किन किन लोगों की यह सहायता दी गई है यह सूचना नहीं हैं अगर इनके जिले में किसी को पैसा नहीं दिया गया हो तो यह लिखकर भेज दें, हम ऐग्जामिन करवा कर देख लेंगे।

श्री टेक चन्द नैन: स्पीकर साहब, जो मकान फलड की वजह से या बारिश की वजह से गिर गये हैं, उनको चार सौ या पांच सौ रूपये की राशि इमदाद के तौर पर दी गयी है और 3 हजार से 6 हजार तक लोन दिया गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह राशि काफी है?

श्री सूरज भान: स्पीकर साहब, काफी तो नहीं है लेकिन जो हमारी अमाउन्ट की सीमाएं हैं, उसके हिसाब से ही तो दी जा सकती हैं।

चौ. कुलबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो फलड रिलीफ हमें केन्द्र ने दिया है, उसके बदले में केन्द्रीय पूल में कुछ चावल देने की शर्ते भी लगाई थी, अगर लगाई थी तो कितने चावल देने की शर्त लगाई गई थी?

श्री सूरज भान: अध्यक्ष महोदय, चावल देने की शर्त लगायी जरूर थी लेकिन कितने चावल देने की शर्त लगाई थी, यह सूचना मेरे पास नहीं है। यह फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमैंट के पास होगी।

श्री रतन लाल कटारिया: स्पीकर साहब, मेरे ही एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने यह बताया है था कि यमुना नदी की बाढ़ से हमारी साढ़ चार हजार एकड़ जमीन बिल्कुल यमुना नदी के अन्दर बह गयी है जिसके कारण सैंकड़ों किसान बिल्कुल भूमिहीन हो गये हैं। उनके काम धंधे बिल्कुल चौपट हो गये हैं। क्या उनको कोई राहत देने पर विचार किया जायेगा?

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब आ गया है।

श्री कैलाश चन्द शर्मा: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह कहा है कि स्थानीय निकायों द्वारा देखभाल की जाने वाली सड़कों की मुरम्मत के लिए 5.50 लाख रूपया नारनौल जिले को दिया गया है। मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या यह पैसा सभी नगरपालिकाओं को दिया गया है या कोई नगरपालिकाएं छोड़ भी दी गयी हैं?

श्री सूरज भान: पूरे जिले की अमाउन्ट मैंने दी है। अब कौन–कौन सी म्यूनिसिपल कमेटी को राशि मिली है और कौन सी को नहीं मिली है, इसकी डिटेलज मेरे पास नहीं हैं।

10.00 बजे

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने माना था कि फलड रिलीफ का पैसा देने के बारे में सैन्ट्रल गवर्नमैंट पूल में कुछ चावल देने की शर्त लगाई थी। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इसके अलावा कोई और भी शर्त थी जो सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने लगाई थीं?

श्री सूरज भान: अध्यक्ष महोदय, जिस वक्त यह बात हो नहीं थी उस वक्त मैं भी मौजूद था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बासमती चावल पर लैवी लगाने के बारे में प्रोटैस्ट किया था और कहा था कि बासमती पर लैवी नहीं लगनी चाहिये। मुझे यह ठीक से याद नहीं है कि कितनी लैवी लगा रहे थे लेकिन मुख्यमंत्री जी ने प्रोटैस्ट अवश्य किया था। मुझे यह भी पता नहीं कि वह शर्त पूरी हुई या नहीं हुई लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं कि उस शर्त के पूरा होने या न होने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने जितना रूपया दिया है, वह शर्त के बगैर ही बहुत कम है। हमने रिलीफ में 192 करोड़ रूपया मांगा था लेकिन उन्होंने 42 करोड़ रूपया देने का वायदा किया। उसमें भी 32 करोड़ रूपये की सीमा रखी और हमें अब तक 20.99 करोड़ रूपया ही मिला है।

Revision of Pension of Retires

***829. Sh. Raghu Yadav**: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state –

(a) whether it is a fact that the employees of the state who retired on or after 1-1-1986 have not been paid

gratuity on the same pattern as has been paid by the Central Government on the basis of the recommendatin of the 4th Pay Commission.

(b) if so, the reasons thereof togetherwith the time by which the anomaly, if any is likely to be removed; and

(c) whether there is also any proposal under consideration of the Government at present to revise the pension of the employees who retired before 1-1-1986; if so, hte time by which the aforesaid proposal is likely to be materilized?

उप मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त):

(क) यह सही है।

(ख) चौथे आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद उपदान की सीमा 36000 रूपये से बढ़ाकर 50000 रूपये कर दी गई, जिसे उचित समझा गया है। इसमें कोई विसंगति नहीं है, अतः इसमें और वृद्धि करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) नहीं, श्रीमान।

श्री रघु यादव: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए जो कर्मचारी 1 जनवरी 1986 से पहले सेवा निवृत हुए थे उनकी पैन्शन बढ़ाने की बात के सम्बन्ध में और जैसा कि फोरथ पे—कमीशन ने

ग्रैचुइटी की राशि एक लाख बढ़ाने के लिए कहा है उसी तरह हमारी सरकार भी उसको एक लाख रूपये करने के बारे में पुनर्विचार करेगी?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय जहां तक 1.1. 1986 से पहले सेवा निवृत होने वालों को पैन्शन में अधिक लाभ देने का प्रश्न है वह विचाराधीन नहीं है। मैंने इस बारे में पहले ही ''नहीं'' में जवाब दिया हैं जहां तक ग्रेचुइटी का एक लाख करने की बात हैं जैसा कि केन्द्रीय सरकार ने किया है, अध्यक्ष महोदय, वह हमने 36 हजार रूपए से बढ़ाकर पचास हजार रूपये कर दी है तथा इससे हमारे कर्मचारी और अधिकारी बहुत बड़ी संख्या में कवर हो जाते हैं। बहुत थोड़े से व्यक्ति बचते हैं जिनको लाभ नहीं पहुंचता।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि बहुत थोड़े से कर्मचारी बचते हैं जिनको लाभ नहीं पहुंचता। इन थोड़े से व्यक्तिायों को अगर बुढ़ापे में ज्यादा पैसा दे दिया जाए तो क्या हर्ज है? क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन थोड़े से व्यक्तियों को ज्यादा पैसा देने में क्या दिक्कत है?

श्री बनारसी दास गुप्तः अध्यक्ष महोदय, दिक्कत पैसे की है, फाइनैंशियल इम्पलीकेशंज हैं। अगर यह दिया जाए तो एक करोड़ से भी अधिक का खर्चा बढ़ जाएगा। दूसरी बात यह है कि

जो छोटे कर्मचारी हैं और छोटै अधिकारी हैं वे सोर लाभान्वित हो जाते हैं केवल 1695 कर्मचारी बचते हैं जो ज्यादा तनख्वाह लेने वाले हैं। जो मीडियम वर्ग के और लो श्रेणी के कर्मचारी हैं वे पचास हजार के अन्दर आ जाते हैं।

श्री मंगल सैन: स्पीकर सर, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने रिटायर होने वाले लोगों को रिवाइज्ड पैन्शन का एरीयर कैश की बजाय सिक्योरिटी बौंड में देने का फैसला किया है? क्या इसके खिलाफ शिकायत मिली है और कोई डैपुटेशन भी मिला है तथा इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्ष महोदय, कल मैंने एक काल अटैन्शन मोशन का जवाब देते हुए कहा था कि यह मामला चूंकि सब–जुडिश है इसलिये इस पर अधिक बात नहीं कर सकते।

Oil Refinery, Karnal

***869. Sh. Ranjit Singh**: Will the Minister for Industries be pleased to state –

(a) whether the Government is aware of the fact taht the Oil Refinery to be set up at Karnal by the Central Government is being shifted to some other State and

(b) if the reply to part (a) above is in affirmative, the steps taken or proposed to be taken by the Government to set up the said Refinery at Karnal?

Industries Minsiter (Dr. Kirpa Ram Punia):

(a) No, Sir.

(b) Government has been impressing upon the Central Government to start construction. Our effeorts will continue.

श्री रणजीत सिंह: स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि स्टेट गवर्नमैंट ने सैन्ट्रल गवर्नमैंट से इस बारे में कोई खतोकिताबत की है। क्या सैन्ट्रल गवर्नमैंट की किसी टीम में वहां विजिट किया है, क्या रिफाइनरी के लिए कोई जमीन ऐक्सावर की गई है और अगर जमीन ऐक्वायर की गई है तो क्या लोगों को कोई कम्पनसेशन दिया गया है और दिया गया तो वह कितना है?

डा. किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, जमीन ऐक्वायर ही चुकी है। जो जमीन ऐक्वायर हुई है वह है 2080 एकड़ 2 कनाल और 10 मरले और चार करोड़ दस लाख चार हजार साल सौ बारह रूपए कम्पनसेशन दिया जा चुका है।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी योजना बनायी गयी है जिससे इस कारखाने के बनने से ऐनसिलियरी यूनिटस लग सकें। क्या इस बात के लिये कोई सर्वे भी करवाया गया है कि कहां कहां इन यूनिटस के लगने की संभावना है? क्या कोई ऐसी प्रपोजल सरकार के विचाराधीन है?

डा. किरपा राम पुनिया: अध्यक्ष महोदय, हम ने इस बात को बहुत ऐग्जामिन किया है और इसके लिये हमाने दो प्रोजैक्टस तैयार किये हैं। एक है पैट्रोलियम कम्पलैक्स और दूसरा है डाऊन स्ट्रीम प्रोजेक्ट। पैट्रोलियम कम्पलैक्स की टोटल प्रोजेक्ट कौस्ट 1932 करोड़ रूपए की तैयार की गई है और भारत सरकार को भेजी है इसी तरह से जो डाऊन स्ट्रीम प्रोजैक्ट हैं, इसके लिये हमने 675 करोड़ रूपये का एक और ऐस्टिमेट तैयार करके भारत सरकार को दिया हुआ है लेकिन बदकिस्मती की बात है कि भारत सरकार ने वे दोनों प्रोजैक्टस रिजैक्ट कर दिये हैं।

श्री रणजीत सिंह: स्पीकर साहब, सवाल पूछने से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि गुजरात में एक आयल रिफाइनरी अलौट हुई थी। उसके बाद उन्होंने दूसरा स्औप लिया नेफता क्रैकर प्रोजैक्ट अलौट करवाने का। इसका मतलब यह है कि ऐसा करने से 3 हजार करोड़ रूपए के प्रोजैक्टस और आते हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से एक बात जानना चाहता हूं इन्होंने अभी बताया कि करनाल रिफाइनरी के लिये वे प्रधानमंत्री को पत्र भी लिख रहे हैं और उनसे मीटिंग भी कर रहे हैं। इसके इलावा गुजरात की तरह क्या आपने नेफता क्रेकर जैसा दूसरा प्रोजैक्ट लेने के लिये भी कोई कोशिश की है? जहां तक करनाल में रिफाइनरी चालू होने का सम्बन्ध है, उस बारे में मैं जानना चाहता हूं कि, क्या कोई सैन्टर की टीम वहां पर आई? क्या कोई टैण्डर वगैरह फलोट किये गये हैं या नहीं। क्या एन.डी.सी. और ई.आई.एल.

जैसी कंपनियों से इस बारे में सम्पर्क किया गया या नहीं। जमीन तो आपने ऐक्वायर कर रखी है उसके बाद कोई काम शुरू हुआ है या कि सिर्फ पेपर्ज पर ही सब कुछ है?

डा. किरपा राम पुनिया: स्पीकर सर, हफता 10 दिन पहले यह सवाल आया था। उसका उतर मैंने दिया था कि यह प्रोग्राम जानबूझ कर भारत सरकार द्वारा डिले किया जा रहा है। वैसे इसकी ऐप्रूवल भारत सरकारसे सितम्बर, 1984 में आ गई थी और इसकी फिजीबिलिटी रिपोर्ट अक्तूबर, 1982 को ऐप्रूव हो चुकी थी। प्रधानमंत्री महोदय ने इसका फाउंडेशन स्टोन भी 30 मार्च, 1987 को हमारे विधान सभा चुनाव से पहले रखा था। यह तो एक इलैक्शन स्टण्ट ही था। इतना करने के बावजूद भी भारत सरकार की ओर से इस प्रोजैक्ट से सम्बन्धित कोई कार्यवाही नहीं की गई। हमने जमीन ऐक्वायर कर रखी है। इस सम्बन्ध में हमने भारत सरकार को कई बार डी.ओज. भी लिखे हैं। कई बार खतो किताबत भी कर चुके हैं। जब प्लान डिस्कस हो रहा था तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने पर्सनल तौर पर इस मैंटर को टेक अप किया था। जहां तक नेफता क्रैकर प्रोजैक्ट का सम्बन्ध है, इस बारे में, मैंने पहले ही जिक्र किया है कि हमने पैट्रोलियम कम्पलैक्स और डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट, दो प्रोजैक्ट गवर्नमैंट आफ इंडिया को जो दिये है, यह नेफता क्रैकर के लिये ही तैयार किये हैं।

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने ठीक ही कहा कि केन्द्र सरकार जानबूझ कर इसे डिले कर रही

है। प्रधानमंत्री महोदय ने जो शिलान्यास भी किया था, वह भी एक किस्म का पोलिटिकल स्टण्ट था इसके अलावा इन्होंने अपने जवाब के 'ख' पार्ट में कहा है कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार पर निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने के लिये दबाव डाल रही है और हमारे ये प्रयास जारी रहेंगे। वे क्या प्रयास हैं क्या इस बारे में मंत्री महोदय हमें ऐनलाइटन करेंगे?

डा. किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, पिछले सवाल के उत्तर में इस बात पर जोर दिया गया था और उस समय उप मुख्य मंत्री महोदय जी ने इस बात के बारे में जिक्र भी किया था कि जब भारत सरकार के साथ प्लान डिसकशन हो रही थी, उस समय मुख्यमंत्री महोदय ने सभी के सामने इस बात का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री ने अपने अधिकारियों से यह कहा था कि इसकी वाइबिलिटी को दोबारा देखा जाए। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने इसका डटकर विरोध किया। विरोध ही नहीं किया बल्कि यह भी कहा कि यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री बड़े गलत किस्म के बहाने बनाकर इस प्रोजैक्अ को डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने यह भी कहा कि हमें अपना हक लेने के लिये यदि ऐजीटेशन भी करना पड़े तो करेंगे। 19 मार्च को भिवानी में जो रैली हो रही है वह इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने बताया कि 19 तारीख को आन्दोलन की शुरूवाल कर रहे हैं। क्या ये बताएंगे

कि इसके अलावा सरकारी तौर पर भी कोई कार्यवाही कर रहे हैं या नहीं?

डा. किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, इसके अलावा हमारी दूसरी कार्यवाही सरकारी तौर पर चिटिठयां लिखने की है, मीटिंग करने की है। वह जारी रहेगी।

श्री रणजीत सिंह: स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने सारी डिटेल्ज दी कि पहले आयल रिफाइनरी का प्रोजैक्ट लगेगा फिर नेफता क्रैकर का। डा. साहब ने भी चिन्ता व्यक्त की कि इस बारे में जल्दी कार्यवाही करनी चाहिए। अगर ये दोनों प्रोजैक्ट लग जाएं तो स्टेट गवर्नमैंट को साल का 600 करोड़ रूपया मिलेगा। मैं चाहता हूं कि इसी सैंशन के दौरान बता दिया जाए कि 19 तारीख के स्टैप के अलावा सरकार और क्या करने जा रही है?

डा. किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, मैं अर्ज कर चुका हूं कि हमने सरकारी तौर पर प्राईम मिनिस्टर को चिट्टयां लिखी हैं और इसके आगे और भी लिखेंगे। हमने उनके साथ मीटिगें भी की है। इस बारे में हमारा पूरा प्रैशर बना रहेगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि इस बारे में उचित कार्यवाही जल्द से जल्द करवाएं।

चौ. सतबीर सिंह कादयान: स्पीकर साहब, उसमें बलबीर पाल शाह को जमीन आती है। कहीं उसकी वजह से तो केन्द्र

सरकार देरी नहीं कर रही है? क्या वह जमीन दोबारा किसानों को लीज पर दी जाएगी?

डा. किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, चाहे वह जमीन बलबीर पाल शाह की हो या और किसी की हो, वह जमीन सरकारी हो चुकी है। जमीन की वजह से कोई रूकावट नहीं डाल सकेगा।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, इस बारे में हाउस बहुत चिन्तित है कि किसी प्रकार से स्टैप मदरली ट्रीटमैंट हरियाणा प्रान्त के साथ हो रहा है। जब से चौ. देवी लाल की सरकार हरियाणा प्रान्त में आई है तब से चाहे एस.वाई.एल. का मसला है या रिफाइनरी का है, यमुना नगर थर्मल प्लांट का है या फलड रिलीफ का है, अग्रोहा मैडिकल कालेज का है या हिसार यूनिवर्सिटी का नाम चौ. चरण सिंह यूनिवर्सिटी रखने का है, इन सब बातों को लेकर माननीय सदस्य चिन्तित हैं। इनकी चिंता वाजिब है। इसलिये चौ. देवी लाल 19 तारीख को भिवानी में एक नये प्रोग्राम का ऐलान करने वाले हैं। उस दिन हमें इसके लिये जो भी कुर्बानी देने के लिये कहा जाएगा उसे हम हरियाणा प्रान्त के लिए देंगे।

अध्यक्ष, पंजाब विधान सभा का स्वागत

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही

है कि आनरेबल स्पीकर, पंजाब विधान सभा, वी.आई.पी. गैलरी में उपस्थित हैं। इस हाउस के सारे माननीय सदस्य उनका स्वागत करते हैं।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

New Building for Jail

***764. Sh. Kailash Chand Sharma**: Will the Minister for Home be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new building for district Jail in Mohindergarh District; and

(b) if so, whether land has been acquired for the said prupose; if so, the location thereof?

Home Minister (Prof. Sampat Singh):

(a) Yes, Sir.

(b) Notifications under section 4 and 6 of Land Acquisition Act have been issued for acquisition of land.

श्री कैलाश चन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि महेन्द्रगढ़ जिला में किस स्थान पर कितनी भूमि का इसके लिये अधिग्रहण किया गया है?

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, नसीबपुर में 107 कनाल 12 मरले जमीन ऐक्वायर की गई है।

श्री कैलाश चन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, जो जमीन ऐक्वायर की गई है, इसका कम्पनसेशन किस रेट पर और कब तक दिया जाएगा?

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, वाजिब कम्पनसेशन होगा। डिस्ट्रिक्ट क्लैक्टर जो फिक्स करेगा, वही होगा।

श्री कैलाश चन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं एक और जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं कि सैक्शन 4 और 6 के नोटिस कब हुए थे और उसके बाद क्या कार्यवाही हुई है?

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, दफा 4 और 6 के नोटिस हो चुके हैं। अब लैंड ऐक्विजिशन अफसर लैंड ऐक्वायर करेगा। उसके बाद कम्पनसेशन दिया जाएगा। जब एवार्ड आएगा, तभी पता चलेगा कि कम्पनसेशन कितना होगा।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मेरे लायक दोस्त प्रो. सम्पत सिंह बड़े लायक मंत्री हैं। यह सवाल तो महेन्द्रगढ़ नारनौल में जेल बनाने के बारे में है लेकिन मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या करनाल में भी जेल बनाई जाएगी?

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, करनाल में भी नई जेल बनाने के बारे में मामला विचाराधीन है।

श्री योगेश चन्द शर्मा: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या फरीदाबाद में भी डिस्ट्रिक्ट

जेल बनाने के लिए सरकार विचार कर रही है क्योंकि पहले फरीदाबाद गुड़गांवा डिस्ट्रिक्ट के साथ अटैच्ड था?

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, वह भी अंडर कंसिड्रेशन है।

सेठ लछमन दास बजाज: स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने बताया कि करनाल में जेल बनाने का मामला विचाराधीन है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि करनाल में कौन सी जगह पर जेल बनाई जाएगी?

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, करनाल में जेल बनाने के लिये नेवल कुंजपुरा रोड पर 200 एकड़ जमीन ऐक्वायर की गई है।

श्री रतन लाल कटारिया: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कुरूक्षेत्र में कोई जेल बन रही है, अगर बन रही है तो वह कब तक पूरी जो जाएगी?

प्रो. सम्पत सिंह: कुरूक्षेत्र में जेल की बाउंडरी वाल पूरी हो गई है और वह जेल जल्दी ही तैयार हो जाएगी।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्रीर जी से जानना चाहता हूं कि महेन्द्रगढ़ जेल की कंस्ट्रक ान का काम कब तक कम्पलीट हो जाएगा? इसके साथ साथ मैं यह भी जानना चाहात हूं कि केन्द्रीय कृशि मंत्री के खिलाफ जो

मैमोरैडम दिया गया है, उसकी जांच करके उनको उस जेल में बन्द करके जब तक उस जेल का उदघाटन कर दिया जाएगा?

प्रो. सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, यह जेल जल्दी ही तैयार हो जाएगी। जहां तक इस जेल में कैदियों काो रखने की बाात है, उनके खिलाफ ज्यों ज्यों कोर्ट औफ ला में केस प्रोसैस हो जाएंगे और उनको उनके कसूर की सजा सुना दी जाएगी उसके बाद ही उन्हें जेलों में बन्द किया जाएगा।

श्री कुन्दन लाल भाटियाः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फरीदाबाद जेल कब तक कम्पलीट हो जाएगी?

प्रो. सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, वह अंडर कंसिड्रेशन है। कोशिश करैंगे कि सारी फारमैलिटीज जल्दी पूरी हों और उसके बाद वह बननी शुरू हो जाए।

चौ. कुलबीर सिंह मलिकः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चौ. देवी लाल जी की सरकार आने के बाद कैदियों को क्या–क्या रिलीफ मिले हैं?

प्रो. सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, चौ. देवी लाल जी की सरकार आने के बाद जेलों में बन्द कैदियों को काफी सुविधाएं दी गई हैं। पहले उन्हें केवल दो वक्त चाय मिलती थी लेकिन अब चाय के साथ साथ उनको 250 ग्राम दूध भी मिलता है। उनकी प्रिमैच्योर रिलीज का भी फैसला किया गया है। औरत या जिन

बच्चों की उम्र प्रिमैच्योर रिलीज का भी फैसला किया गया है। औरत या जिन बच्चों की उम्र 6 साल की है, जो किसी हीनियस क्राइम में इन्वालव्ड नही हैं और जिनको 20 साल की सजा हुई थी उनको प्रिमैच्यारे रिलीज कर दिया जाता हैं। इसके लिये जेल के अधिकारियों की कमेटी बनी हुई है और उसकी रिकौमैन्डेशन को ध्यान में रखते हुए गवर्नर साहब की इजाजत से उन्हें रिलीज किया जाता है। जो मैच्योर कैदी हैं, उनको साढ़े 8 साल की सजा काटने के बाद रिलीज किया जाता है। जिनको रिगोरस इंम्जिनमैंट होती है, उनको पहले डेढ़ रूपया रोज दिहाड़ी मिलती थी लेकिन अब तीन या चार रूपए दिहाड़ी के कर दिए गए हैं। इसके अलावा कैदियों की एन्टरटेनमैंट के लिए जेल में टी.वी., टू–इन वन और स्पोर्टस बगैरह का भी इन्तजाम किया गया है। इसी प्रकार से आई.टी.आईज. में जिस प्रकार की ट्रेनिंग होती है उसी प्रकार की ट्रेनिग कैदियों के लिये जेलों में शुरू करने जा रहे हैं।

Sir Chhota Ram Engineering College, Murthal

***750. Sh. Bhagwan Sahai Rawat**: Will the Minister for Irrigatin and Power be pleased to state –

(a) the tradewise number of students admitted to Sir Chhotu Ram Engineering College, Murthal during the session 1988-89;

(b) the number of students out of those referred to in part (a) above belonging to the State of Haryana; and

(c) the number of students belonging to the Economically Weaker Sections of the Society?

Irrigation and Power Minister (Sh. Verender Singh):

(a) Electronics Engineering 30

Mechanical Engineering 31

(b) 61

(c) 3.

श्री भगवान सहाय रावत: स्पीकर साहब, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में जो दो ट्रेडज बताई हैं, क्या इनके अलावा भी वहां पर कोई दूसरी ट्रेडज चालू की जा रही हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, वहां पर अगले साल से दो और ट्रेडज इलैक्ट्रिकल और कम्प्यूटर साईस की चालू की जा रही है।

श्री रणजीत सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि सर छोटू राम इंजीनियरिंग कालेज मूरथल में इलैक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग में 30 स्टूडैंटस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 31 स्टूडैंटस को ऐडमिशन दी गई है। इनकी टोटल संख्या 61 है। इन 61 स्टूडैंटस में से हरियाणा प्रदेश के मेरी जानकारी के अनुसार सिर्फ 6 स्टुडैंटस हैं और इकोनोमिकली

विकर सैक्शंज के सिर्फ 3 हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह डिस्पैरिटी क्यों है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिन 6 विद्यार्थियों का जिक्र किया है, उनकी जानकारी के लिए मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि ये 6 विद्यार्थी वे हैं, जिन्होंने हरियाणा के स्कूलों और कालेजों में पढ़ाई की है और बाकी लड़के 61 के 61 वे दाखिल हुए हैं जिन्होंने हरियाणा का डोमिसाइल सर्टीफिकेट दिया है। लेकिन पढ़ाई हरियाणा में नहीं की। इसके अलावा में माननीय सदस्यों की खुशी के लिये एक बात और बताना चाहता हूं कि अब हमने पिछली नीति को रिवाईज कर दिया है। अगले साल जो ऐडमिशन होने जा रहा हैं उसमें 80 प्रतिशत विद्यार्थी वे दाखिल किए जाएंगे जो हरियाणा के स्कूलों और कालेजों में पढ़े होंगे।

श्री भगवान सहाय रावत: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो हरियाणा के विद्यार्थी इस कालेज में दाखिल हुए हैं, उनकी संख्या 6 है या 61 है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, इनकी टोटल संख्या 61 है और जिन बच्चों ने हरियाणा के स्कूलों और कालेजों में शिक्षा पाई है उनकी संख्या 6 है।

श्रीदेवी दास: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि मूरथल गांव की पंचायत ने

यह इन्जीनियरिंग कालेज खोलने के लिए जमीन दी थी। जिस समय मूरथल गांव की पंचायत ने यह जमीन सरकार को दी थी उस समय सरकार ने कुछ सीटस मूरथल गांव के लिए रिजर्व करने की बात कही थी। क्या मंत्री महोदय बताने का कश्ट करेंगे कि भविश्य में मूरथल गांव के लिए और सोनीपत के लिए कुछ सीटस रिजर्व रखी जाएंगी?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, यह ठीक बात है कि जिस समय यह कालेज बनाया गया था, मुरथल ग्राम पंचायतसे इस कालेज के लिए मुफ्त जमीन का वायदे किये थे, यह तो हमें इल्म नहीं है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने मूरथल गांव के लिए एक स्पैशल सीट भविश्य के लिए रिजर्व की है।

श्री भगवान सहाय रावतः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो बच्चे इकोनोमिकली वीक होने के आधार पर ऐडमिट हुए हैं, वे कौन कौन हैं और उनके इकोनोमिकली वीक होने के क्या आधार हैं तथा उसके लिए उन्होंने क्या क्या प्रमाण पत्र दिए हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि जो पिछली पालिसी थी उसमें इकोनोमिकली वीकर सैक्शन के लिए कोई रिजर्वेशन इस कालेज में दाखिला पाने के लिये नहीं थी। लेकिन फिर भी 3 बच्चे वीकर सैक्शन के वे दाखिल किए हैं जिनके पेरैन्टस की सालाना आमदनी

3600 रूपये से कम है। जो रिजर्वेशन पालिसी थी, वह इस प्रकार है –

Scheduled Castes	20%
Backward Classes	10%
Children & dependents of Armed Forces personal and ex-servicemen	4%
Sportsmen & women	2%
Children & grand children of freedom fighters	2%

इस प्रकार 38 परसैन्ट टोटल रिजर्व थी 62 परसैन्ट सीटें जनरल कैटेगरी के लिए थी।

श्री महा सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि हरियाणा के जो 61 लड़के डोमिसाइल प्रमाण पत्र के आधार पर दाखिल किये गये हैं, कया डोमिसाइल की शर्तें इतनी ढीली तो नहीं कि बाहर के लड़कों ने हरियाणा का डोमिसाइल बनवा कर इस इंजीनियरिंग कालेज में दाखिला ले लिया हो? मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेने का आधार क्या है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, डोमिसाइल प्रमाण पत्र डिप्टी कमिश्नर एस.डी.एम. और जी.ए. की तरफ से इशू किया

जाता है और वहीं से ये लड़के अपने–अपने डोमिसाइल प्रमाण पत्र लाये हैं। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जिस सयम इन बच्चों को ऐडमिश दी गई, उस समय इनके डोमिसाइल की दो बार चैकिंग की गई थी। एक बार तो इस कालेज की औथोरिटीज ने ऐडमिशन से पहले चैकिंग करवाई थी। दूसरी बार सी.एम. साहब की जो फलाइंग स्कैवड है, उसने चैंकिंग की। जब पहली बार डी.सी. साहब ने चैकिंग की तो उस उमस दो बच्चों का डोमिसाइल गलत बताया गया। इनमें से एक बच्चे का बाद में ठीक पाया गया। दो बच्चों का डौनिसाइल, सी.एम. साहब के फलाइंग सक्वैड ने गलत बताया था। उनके सबके खिलाफ बाकायदा एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई थी। पार्टी ने दीवानी दावा करके सिविल कोर्ट सोनीपत से स्टे ले लिया ताकि उनका ऐडमिशन खत्म न कर दिया जाए और वहां मुकदमें चालू हैं।

श्री रणजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, डाक्अर साहब द्वारा अक्सर कहा जाता है कि ये बड़े काबिल मंत्री हैं और सारी हाऊस इनकी काबलियत को जानता भी है। मैंने मंत्री महोदय से एक सवाल पूछा था लेकिन उसका जवाब नहीं आया। मैं आदरणीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि कितने विद्यार्थियों ने हरियाणा से डौमिसाईल प्रमाण–पत्र बनवा कर दिया है और इकौनोमिकली वीकर सैक्शन्ज के कुल कितने विद्यार्थी है? मंत्री जी ने अपने लिखित जवाब ''ख'' में हरियाणा राज्य से सम्बन्धित

विद्यार्थियों की संख्या 6 लिखी है, क्या हरियाणा राज्य से इतने ही विद्याार्थी हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, जवाब के भाग ''ख'' में 61 लिखा है, 6 नहीं। मेरे पास जो लिस्ट है उसमें 61 है। हो सकता है जो कापी माननीय मैम्बर साहेबान के पास सर्कुलेट हो कर आई है, उसमें गलती से 6 लिखा गया हो या मिसप्रिन्ट हो गया हो, लेकिन वास्तव में यह संख्या 61 ही है।

श्री मनी राम: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि सर छोटू राम इन्जीनियरिंग कालेज में शिडयूल्ड कास्टस के कितने विद्यार्थी हैं और उनके नाम और पते क्या है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: लड़कों के नाम और पते तो शायद मैं इस समय नहीं बताया पाऊंगा लेकिन 6 लड़के इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दाखिल हुए हैं और 6 लड़के मैकेनिकल इन्जीनियरिंग में दाखिल हुए हैं। शिडयूल्ड कास्टस का कोटा 20 प्रतिशत बनता है और वह कोटा पूरा किया गया है।

डा. बृज मोहन: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि जो चार ट्रेडज शुरू किये जा रहे हैं, क्या उनमें सिविल इन्जीनियरिंग का ट्रेड भी है या नहीं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः चार ट्रेड अगले साल से होंगे। 2 ट्रेडज के लिए इस समय 60 सीटें हैं। एक ऐडीशनल सीट मूरथल के लिए रिजर्व की गई है। अगले साल 2 डिसिप्लिन और शुरू हो जाएंगे जो मैंने अभी बताए हैं। चारों डिसिप्लिन्ज में 150 लड़के रखेंगें।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग से सम्बन्धित जो लड़के हैं, उनके नाम और मौजूदा ऐड्रैस क्या हैं?

Mr. Speaker: This is not a relevant question. You please take your seat.

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अभी बताया कि एक सीट मूरथल के लिए रिजर्व की गई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या रिजर्वेशन पौलिसी में अगले साल से कोई परिवर्तन करने बारे सरकार विचार कर रही है कि हरियाणा के टैकनीकल कालेजों के कैसे रिजर्वेशन होगी?

श्री वीरेन्द्र सिंहः मौजूदा रिजर्वेशन पोलिसी में तबदीली लाने के बारे में विचार किया जा रहा है। मैं सदन के माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि यदि वे कोई सुझाव देना चाहें तो दे दें, उस पर भी गौर किया जा सकात है। ये सुझाव 2–4 दिन के अन्दर दे दिए जाएं, तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने एक सवाल के जवाब में बताया है कि 4 डौमिसाईल बोगस पाए गए थे लेकिन उनमें से बाद में एक ठीक पाया गया। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि डौमिसाईल सर्टिफिकेट के अलावा भी क्या अन्य नीति निर्धारित करेंगे जिससे बोगस डौमिसाईल सर्टिफिकेट दे कर दाखिला न लिया जा सके?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, इस बारे में पालिसी बना दी गई है कि अगले साल 80 फीसदी वही बच्चे ऐडमिशन ले सकेंगे जिन्होंने हरियाणा के स्कूलों और कालिजों से शिक्षा ग्रहण की हो। मेरे ख्याल से अब माननीय मैम्बर की तसल्ली हो जानी चाहिए।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस समय जो रिजर्वेशन पौलिसी सर छोटूराम इन्जीनियरिंग कालेज के लिए है, क्या वही पौलिसी दूसरे टैक्नीकल इन्स्टीचयूशन्ज में भी रहेगी या उनमें कोई भिन्नता होगी?

Mr. Speaker: Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Roads in Panchkula

***891. Sh. Kanti Parkash Bhalla**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) whether it is a fact taht to facilitate traffic double lane roads have been constructed in Panchkula; and if so, whether both the lanes are being used at present; if not, the reasons therefor?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क) जी हां।

(ख) सभी इकहरी सड़कें जहां कहीं भी बनी हुई हैं दोनों तरफ से प्रयोग में लाई जा रही हैं।

Upgradation of Girls High School as 10+2 School in Ellanabad

***905. Sh. Bhagi Ram**: Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Governmnet to convert the Government Girls High School, Ellanabad into 10+2?

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री (श्रीमती सुशमा स्वराज): हां।

Setting up of 33 K.V./132 K.V. Sub-Station at Bhojawas and Kanina

***913. Sh. Narbir Singh**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a Power Station at Bhojawas and Kanina of district Mohindergarh; and

(b) if so, the time by which the afore-said Power Station is likely to be set-up?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क) हां।

(ख) वर्श 1989–90 में भोजावास में एक 33 के.वी. उपकेन्द्र तथा कनीना में एक 132 के.वी. उपकेन्द्र की स्थापना करना प्रस्तावित है।

Construction of Bus Stand at Kharkhoda

***899. Sh. Mohinder**: Will the Minister of State for Transport be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Bus Stand at Kharkhoda in Rohat Constituency of district Sonipat; if so, the time by which it is likely to be constructed?

राज्य परिवहन मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): हां। इस समय इस अड्डे के निर्माण की अवधि बताना सम्भव नहीं।

Suit against M/s Jindal Strips Limited, Hisar

***915. Sh. Jagan Nath**: Will the Minister for Industries be pleased to state –

(a) whether any suit for the recovery of Rs. 1131650 has been filed by the Government against M/s Jindal Strips Limited, Hisar during the year 1986;

(b) whether it is a fact that the above said firm has got the stay order in the aforesaid case from the court; and

(c) if so, the steps, if any, taken or porposed to be taken by the Government to get the stay vacated in the said case?

उद्योग मंत्री (डा. किरपा राम पुनिया):

(क) जी नहीं।

(ख) सरकार ने मई, 1986 में मैसर्ज जिंदल स्ट्रिप्स लिमिटेडद्व हिसार को 1131650 रूपये बयाज सहित वसूल करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। यह राशि अनुदान के रूप में थी जो कम्पनी को गलती से दे दी गई थी। कम्पनी ने इस वसूली के विरूद्ध सिविल कोर्ट से रोधनादेश (स्टे आर्डर) प्राप्त कर लिये थे।

(ग) (i) सरकार ने सीनियर सब जज, हिसार की अदालत में अंतरिम स्थगन आदेश जारी करने का विरोध किया था।

(ii) सरकार ने सीनियर सब जज, हिसार के आदेशों के विरूद्ध जिला न्यायाधीश हिसा की अदालत में अपील की थी, परन्तु यह अपील स्वीकार नहीं हुई।

विभिन्न विशयों का उठाया जाना

श्री रघु यादव: अध्यक्ष महोदय रूल्ज औफ प्रोसीजर ऐन्ड कन्डक्ट औफ बिजनैस के रूल 261 और 262 के तहत मैंने एक विशेशाधिकार हनन का नोटिस दिया था। उसका क्या हुआ?

Mr. Speaker: That has been received today and is being processed.

कामरेड हरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा भी प्रिविलेज मोशन का एक नोटिस पैंडिंग है। उसका क्या फेट है?

Mr. Speaker: I have disallowed.

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मैंने एक ध्यानाकर्शण प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ की जा रही गुप्तचरी के बारे में दिया था, उसका क्या बना है?

Mr. Speaker: Arya ji, it has been disallowed.

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, यह तो बड़ा ही सीरियस मामला है। (व्यवधान व शोर) ....

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैंने कल आपकी सेवा में एक कालिंग अटैंशन मोशन दिया था कि सारे प्रदेश में कहीं पर बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं और कहीं पर दूसरे सरकारी कर्मचारी आन्दोलन कर रहे हैं। यह मामला बड़ा गम्भीर है। क्या आप बताएंगे कि उसका क्या फेट है?

Mr. Speaker: Doctor Sahib, it is under consideration. (Interruptions).

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मैंने आज ही एक कालिंग अटैन्शन मोशन का नोटिस दिया है। उसमें हमारे डिप्टी चेयरमैन, प्लानिंग बोर्ड ने हीरो हांडा के जो साढ़े चार करोड़ रूपये के आउटस्टैंडिंग डयूज एग्जैम्पट किये हैं, उसका जिक्र है। क्या आप बताएंगे कि उसका क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष: वह आज सुबह साढ़े नौ बजे आया है। Arya Ji, you know that decision cannot be taken within minutes. There is some procedure which has to be followed.

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, बिजली कर्मचारियों के बारे में भी मेरा एक कालिंग अटैन्शन मोशन था। उसका क्या हुआ?

Mr. Speaker: It has been received.

श्री रतन लाल कटारिया: स्पीकर साहब, रात को आपने मुझे पिंजौर गार्डन में बताया था –

श्री अध्यक्ष: रात को आप मेरे साथ नहीं थे। (हंसी)

श्री रतन लाल कटारिया: आपने कहा था कि मेरी सीट बड़ी फरटाईल है लेकिन आपने फिर भी मेरी सीट बदल दी है। इसको बदलने की क्या जरूरत थी क्योंकि मुझे तो सीट बदलने की आदत नहीं है। (हंसी)

श्री अध्यक्षः आपकी सीट फरटाईल थी, इसलिये तो बदली है। (हंसी)

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, आन ए प्वाएंट आफ आर्डर! मैं आपकी रूलिंग चालात हूं। कल भातर की संसद में, लोक सभा में एक मर्यादा हनन का प्रस्ताव चौ. देवी लाल के खिलाफ आया था। हमारे सदन के नेता चो. देवी लाल से यह सम्बन्धित है। यह बात अखबार में आई है कि जो चौ. देवी लाल ने कहा है कि वह लोक सभा के स्पीकर, श्री बलराम जाखड़ के खिलाफ इलैक्शन लड़ेंगे, यह मर्यादा हनन का प्रस्ताव उसी सम्बन्ध में आया था। यह हमारे सदन के नेता की अवमानना है। मैं इसके बारे में आपकी रूलिंग चाहता हूं कि क्या इस सदन में हम कोई प्रस्ताव इस बारे में पास कर सकते हैं। वैसे तो यह कांस्टिच्यूशनल मामला है लेकिन यह बड़ी अनफारचुनेट बात है।

श्री अध्यक्षः डा. साहब, एक तो यह लोक सभा का मामला है और दूसरे जहां तक मेरा विचार है किसी भी नागरिक को किसी के खिलाफ कहीं से भी इलैक्शन लड़ने पर कोई बार नहीं है। (विघ्न) अगर चौ. देवी लाल जी कहीं से भी इलैक्शन लड़ना चाहें तो उन्हें कौन रोक सकता है?

श्री मंगल सैनः यह बात शोभा नहीं देती इस बात से तो आप ऐग्री करते हैं।

श्री अध्यक्षः हां, मैं ऐग्री करता हूं।

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव –

ईटों की कमी से सम्बन्धित

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a notice of Calling Attention Motion No. 23 from Sarvshri Mange Ram, Satbir Singh Kadian, Surinder Kumar Madan and Yogesh Chand Sharma, M.L.As., regarding shortage of bricks. I admit it. Now Sh. Mange Ram, M.L.A. may read his notice. The Minister concerned may make a state ment thereafter.

सर्व श्री *मांगे राम, सतबीर सिंह कादयान, सुरेन्द्र कुमार मदान तथा योगेश चन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, हम इस सदन का ध्यान आकृश्ट करते हैं कि राज्य में विकास कार्यों तथा इमारतों के निर्माण आदि के लिये ईटों की भारी कमी की शिकायतें हैं तथा इनकी भारी कमी के कारण उपभोक्ताओं में असंतोश व्याप्त है। अतः सरकार उक्त संकट को दूर करने के लिये तुरन्त कार्यवाही करके सदन को सूचित करे। क्योंकि ईटों के भाव आसमान को छू रहे हैं, इसलिये राज्य से ईटें बाहर ले जाने पर पाबन्दी लगाने की भी तुरन्त कार्यवाही की जाए।

वक्तव्य –

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव सम्बन्धी

खाद्य तथा पूवि मंत्री (श्रीमती सुशमा स्वराज): अध्यक्ष महोदय, हरियाणा राज्य में 1234 लाईसेंस प्राप्त ईटों के भट्ठे हैं। ईटें पकाने का मौसम नवम्बर से आरम्भ होकर जून तक चलता है।

आम तौर पर भट्ठे जुलाई से अक्तूबर तक वर्शा के कारण बन्द रहते है। जनवरी से आगे ईटों की उपलब्धि बढ़नी प्रारम्भ हो जाती है। ईटों के भावों में मौसमी उतार–चढ़ाव मौनसून महीनों में भट्ठों के बन्द रहने के कारण होता है।

वर्श 1987–88 में 131 करोड़ ईटों का उत्पादन हुआ। राज्य के विभिन्न जिलों में भट्ठों पर 1.12.1988 को 29.68 करोड़ ईटें उपलब्ध थीं। ईटों का यह भण्डार मौसम के आरम्भ में भवन निर्माण गतिविधियों की मांग को पूरा करने के लिये प्रर्याप्त था नवम्बर व दिसम्बर 1988 में बार–बार बे–मौसमी वर्शा होने के कारण इन दो महीनों में मौसम ईट पकाने के लिये उपयुक्त नहीं रहा। जनवरी में भी कभी–कभी वर्शा होती रही। इसलिये अच्छी श्रेणी की ईटों का उत्पादन इस वश्र केवल फरवरी से ही आरम्भ हो सका। मौनसून महीनों में भी अक्तूबर तक भट्ठे बन्द रहने का प्रभाव ईटों के उत्पादन पर पड़ा तथा उपभोक्ता को आम तौर पर मौसम के आरम्भ में भट्ठों पर उपलब्ध ईटों के पुराने भण्डार पर ही निर्भर रहना पड़ा। अब मौसम के ठीक होने से ईट उत्पादन का काम गति पकड़ गया है तथा नवम्बर व दिसम्बर में वर्शा के कारण ईटों के उत्पादन में आई कमी अब शीघ्र ही दूर हो जागगी।

जनवरी, 1989 में खाद्य एवं पूर्ति विभाग के ध्यान में लाया गया था कि ईटों के भाव में असाधारण बढ़ौतरी हुई है। इसलिये ईटों की उपलब्धि व इसके भावों की स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिये 27.1.1989 को एक बैठक बुलाई गई

जिसमें अन्य के अतिरिक्त, लोक निर्माण विभाग (सिंचाई), लोक निर्माण विभाग (भवन व सड़कें) तथा हुड्डा के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक में ईटों के उपभोक्ता विभागों के प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्हें ईटों की कमी बारे कोई शिकायत नहीं मिली व ईटों के बाजारी भाव ठीक है। स्लैक कोल की कीमतों में 1.1.1989 से केन्द्रीय सरकार द्वारा बढ़ौतरी की गई है जिसका ईटों के भाव पर मौसमी कारण के साथ–साथ असर पड़ा है। ईटों की बिक्री या कीमतों पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाने से ईटों की उपलब्धि कम हो जाएगी, ईटों की गुणवत्ता दूशित होगी तथा अवैध धन्धा जैसे कम राशि की रसीदें काटना आदि बढ़ जाएगा। अतः ईटों की कीमतों अथवा बिक्री पर नियंत्रण लगाना उचित नहीं समझा गया।

देहली के पास हरियाणा के स्थित भट्ठों के लिये देहली एक अच्छी मार्किट है। ईटों के देहली ले जाने पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना हरियाणा के ईट उद्योग के दीर्घकालीन हित में नहीं होगा। सेल्ज टैक्स वसूली की बदली हुई नीति अनुसार अब भट्ठे वालों से स्थानीय बिक्री कर के स्थान पर यक–मुश्त राशि ली जाती है जब कि अन्तर राज्यीय मूवमैंट के लिये सैन्ट्रल सेल टैक्स लगता है। मैं अपने साथी आबकारी एंव कराधान मंत्री से अनुरोध करूंगी कि वह हरियाणा से देहली को जाने वाली ईटों की मूवमैन्ट को आवकारी एवं कराधान बैरियरज पर पदस्थ अमले में पड़ताल करवाएं ताकि यह सुनिश्चित किय जा

सके कि सैन्ट्रल सेल्ज टैक्स अदा करने के उपरान्त ही हरियाणा से देहली में ईटों की बिक्री हो।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि जब यह ईटों के ऊपर भट्ठे वालों से एकमुश्त सेल्ज टैक्स लेने की पालिसी बनायी गयी, उस वक्त यह विचार क्यों नहीं किया गया कि हमारे प्रदेश से जो ईटें बाहर जाती है, उन पर सैंट्रल सेल्ज टैक्स क्यों न लिया जाये। इस पालिसी से प्रदेश को लाखों करोड़ों रूपये के टैक्स का नुक्सान हुआ है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि इस पालिसी को बताने में कौन आदमी इन्वौल्वड थे?

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, यह पालिसी बनाने में कोई कोताही नहीं हुई है। सैन्ट्रल सेल्ज टैक्स अब भी बाकायदा लगता है। उनसे एकमुश्त सेल्ज टैक्स की राशि लेने का जो फैसला हुआ है, वह हरियाणा में लगने वाले सेल्ज टैक्स के बारे में लिया गया है। यह किसी भी दृश्टि से गलत फैसला नहीं है कि उनसे सेल्ज टैक्स एकमुश्त लिया जाये और सैन्ट्रल सेल्ज टैक्स अन्तर्राज्य मूवमैंट पर अलग से लिया जाये। यह पालिसी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही बनाई गयी है। उन पर सी. एस.टी. अब भी लागू है।

चौ. सतबीर सिंह कादयानः स्पीकर साहब, पिछले साल के और इस साल के ईटों के भाव में बहुत ज्यादा अन्तर है। क्या

ईटों की कमी और 200 रूपये से भी ज्यादा बढ़े हुए भाव को देखते हुए इस चीज की राशनिंग करने की व्यवस्था करेंगे ताकि लोगों को परमिट पर ठीक भाव पर ईटें दी जा सकें?

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष जी, भाव जरूर बढ़ा है लेकिन दो सौ रूपये बढ़ा हो, ऐसी बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने वक्तव्य में तथ्य देकर यह बात बतायी है कि भाव किस कारण से बढ़े हैं। एक तो बेमौसमी बारिश हुई। इसलिये ईटों का उत्पादन ही देर से शुरू हुआ। इनकी कीमत सप्लाई एंड डिमांड पर निर्भर करेगी। जब प्रोडक्शन कम होगी और मांग ज्यादा होगी तो औटोमैटीकली उसके भाव बढ़ जायेंगे। इसलिये भाव चढ़ गये। इसके अलावा स्लैक कोयले की कीमत भी बढ़ाई गयी है। इसके साथ ही लेबर की कीमत भी बढ़ी है। जहां तक इसकी राशनिंग करने का सवाल है, मैं इस बारे में आलरैडी जवाब दे चुकी हूं कि राशनिंग करना बिल्कुल भी हित में नहीं होगा। जब भी किसी चीज की राशनिंग की जाती है तो उसकी अवेलेबिलिटी और क्वालिटी कम हो जायेगी। इसलिये राशनिंग करना किसी भी तरह से हमारे हित में नहीं है।

श्री मांगे राम: स्पीकर साहब, दिल्ली के अन्दर सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने भट्ठे बन्द कर दिये हैं। उन भट्ठो के बन्द होने की वजह से दिल्ली में हजारों ट्रक करनाल से और उसके आसपास के इलाकों से गये। इसका नतीजा यह हुआ कि ईटों के भाव चढ़ गये। पिछले साल ईटों का भाव चार सौ का था अब 700 रूपये

का है। क्या बहिन जी इस बात की ओर ध्यान देंगी कि दिल्ली में ईटों की सकेरसिटी बहुत ज्यादा है। जितने भट्ठे दिल्ली के आस–पास लगे हुए हैं, वहां से दिल्ली को माल जाता है। ऐसा न हो पाये, इसके लिये क्या मंत्री महोदया कोई इन्तजाम करेगी?

श्रीमती सुशमा स्वराज: सर, मैंने इसका जवाब दे दिय है कि हमने इनकी मूवमैंट पर कन्ट्रोल नहीं किया है। हरियाणा में सेल्ज टैक्स तो हमने खत्म कर दिया लेकिन अगर दिल्ली को लेकर जायेंगे तो उस पर सैन्ट्रल सेल्ज टैक्स देना पड़ेगा। यह अपने आप में ही एक बड़ा डिस–इन्सैटिव है। अगर उसमें किसी भी तरह की कोताही होती हो तो बतायें। मैंने अपने वक्तव्य में पहले ही ऐक्साईज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर साहब से यह कह दिया है कि मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि बैरियर्ज पर प्रभावी निरीक्षण हो, इस बात को सुनिश्चित करें ताकि दिल्ली में सी.एस.टी. देने के बाद ही ईटें जायें। इससे वहां ईटें कम जायेंगी।

समितियों की रिपोर्टस पेश करना –

(i) कमेटी औन पब्लिक अकाउंटस की 28वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष: जब कमेटी औन पब्लिक अकाउंटस के चेयरमैन, श्री टेक चन्द, कमेटी की वर्श 1988–89 के लिये 28वीं रिपोर्ट पेश करेंगे।

Sh. Tek Chand (Chairman, Committee on Public Accounts): Sir, I beg to present the Twenty Eighth Report of

the Committee on Public Accounts for the year 1988-89, on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1983-84 (Civil and Revenue Receipts).

(ii) कमेटी औन पब्लिक अन्डरटेंकिंग्ज की 28वीं और 29वीं रिपोर्टस

श्री अध्यक्ष: अब कमेटी औन पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज के चेयरमैन, श्री मंगल सैन, वर्श 1988–89 के लिये कमेटी की 28वीं तथा 29वीं रिपोर्टस पेश करेंगे।

श्री मंगल सैन (चेयरमेन, कमेटी औन पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज): अध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से क्रमशः –

(i) हरियाणा भाण्डागारण निगम के सामान्य कार्यकरण, तथा

(ii) वर्श 1980–81, 1981–82 तथा 1982–83 के लिये हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर वर्श 1988–89 के लिये लोक उपक्रमों सम्बन्धी समिति की 28वीं तथा 29वीं रिपोर्टस प्रस्तुत करता हूं।

(iii) कमेटी औन ऐस्टिमेटस की 21वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष: अब कमेटी आन ऐस्टिमेटस के चेयरमैन, श्री मनी राम, कमेटी की वर्श 1988–89 के लिये 21वीं रिपोर्ट पेश करेंगे।

Sh. Mani Ram (Chairmna, Committee on Estimates): Sir, I beg to present the Twenty-First Report of the Committee on Estimates for the year 1988-89.

(iv) कमेटी औन दि वैलफेयर औफ शडयूल्ड कास्टस एण्ड शडयूल्ड ट्राइब्स की 14वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष: अब कमेटी औन दि वैल्फेयर आफ शडयूल्ड कास्टस एण्ड शडयूल्ड ट्राइब्स के चेयरमैन, सरदार बूटा सिंह, कमेटी की वर्श 1988–89 के लिये 14वीं रिपोर्ट पेश करेंगे।

सरदार बूटा सिंह (चेयरमेन, कमेटी आन दि वैल्फयर आफ शडयूल्ड कास्टस एण्ड शडयूल्ड ट्राइबस): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से वर्श 1988–89 के लिये अनुसूचित जातियों तथा जन–जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति की 14वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

बिल्ज

(i) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (न. 1) बिल, 1989

श्री अध्यक्ष: अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (न. 1) बिल 1989 को इंट्रोडयूस करेंगे तथा उसे कंसीडर करने के लिये मोशन मूव करेंगे।

उपमुख्यमंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): श्री मान्, मैं हरियाणा विनियोग (संख्या–1) बिल, 1989 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मान् मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा विनियोग (सं. 1) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Haryana Appropriatino (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is –

That the Haryana Appropriatino (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now that House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is –

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is –

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Question is –

That Schedule stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is –

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is –

That Title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Deputy Chief Minister will move that the Bill be passed.

उप मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): श्रीमान् मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is –

That the Bill be passed.

The motion was carred.

राज्यपाल से संदेश

Mr. Speaker: Hon'ble Member I have received a message from the Governor which reads as under:-

"I write to acknowledge with thanks the receipt of your demi-official letter NO. H.V.S./L.A. 36/89/4808 dated February 24h, 1989 forwarding a copy of the Motion of Thanks passed by the Haryana Vidhan Sahbha on the 24th February, 1989. I shall be grateful if you could kindly convey my sincere thanks to the Hon'ble Member of the Haryana Vidhan Sabha."

बिल्ज (पुनरारम्भ)

(ii) दि हरियाणा रिलीफ औफ ऐग्रीकल्चरल इनडैटिडनैस बिल, 1989

श्री अध्यक्ष: अब रैवेन्यू मिनिस्टर, दि हरियाणा रिलीफ औफ ऐग्रीकल्चरल इनडैटिडनैस बिल, 1989 को इंट्रोडयूस करैंगे तथा उसे कंसीडर करने के लिए मोशन मूव करेंगे।

Revenue Minister (Sh. Suraj Bhan): Sir, I beg to introduce the Haryana Relief of Agricultural Indebtedness Bill, 1989.

Sir, I also beg to move –

That the Haryana Relief of Agricultural Indebetedness Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Haryana Relief of Agricultural Indebetedness Bill be taken into consideration at once.

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): अध्यक्ष महोदय, हरियाणा कृशि ऋणिता अवमुक्ति विधेयक, 1989, कृशकों, खेतिहर मजदूरों तथा ग्रामीण कारीगरों को ऋणिता से राहत प्रदान करने के लिये, इस हाउस में प्रस्तुत किया गया हैं। मैं इसका समर्थन करने क लिये खड़ा हुआ हूं। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)। डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक इस बिल को प्रस्तुत करने का सम्बन्ध है इसका किसी रूप से विरोध नहीं हो सकता। लेकिन इसमें जो दो सौ रूपये मासिक आय की शर्त रखी गयी है, उसको अगर डबल कर दिया जाये तो और अच्छा होगा। इसके साथ–साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल में यह प्रावधान होना चाहिये था कि

अगर कोई आदमी कमर्शियल बैंकों से लोन लेता है, तकावी लोन लेता है या को–आप्रेटिव बैंकों से लोन लेात है और अगर उसकी रकम ब्याज समेत मूल धन से दुगुनी हो जाती है तो उसे ज्यादा पैसे की रिकवरी नहीं की जाएगी। इस विशय पर राजय सरकार की ओर से केन्द्र सरकार को लिखा भी जाना चाहिये। मौजूदा हालात में केन्द्र सरकार किसानों और खेतिहर मजदूरों के रास्तों में कर्जा लेने के मामले में रोड़ा अटका रही है जिसके कारण कमर्शियल बैक्स और को–आप्रेटिव बैक्स का लोगों का कर्जा माफ नहीं हो रहा है। हमारी सरकार ने कर्जा देने वाली एजेंसियों को यह हिदायतें दे रखी हैं कि अगर किसी का मूल कर्जा इंट्रैस्ट समेत डबल हो जाता है या डबल से ज्यादा हो जाता है तो डबल से ऊपर वाली राशि वसूल नहीं कर सकते। उस हद तक यह बात अच्छी है लेकिन उतना अच्छा नहीं हुआ जिस तरीके से हमारी सरकार करना चाहती थी। उसकी मंजिल तभी पाई जा सकती है जब कमर्शियल बैंक्स भी इसमें शामिल किए जाएं। इस सुझाव के साथ मैं इसका समर्थन करता हुआ अपना स्थान लेता हूं।

श्री मंगल सैन (रोहतक): डिप्टी स्पीकर साहब, आदरणीय राजस्व मंत्री महोदय जो इस बिल को सदन में लाए है, वे बधाई के पात्र हैं। इन्होंने गांवों में बसने वाले उन बेसहारा लोगों के लिये, जिनके पास जीविका उपार्जन का कोई साधन नहीं और मजबूरी में कर्जा ले बैठे, एक अच्छा कदम उठाया हैं। ऐमेरजेंसी के दिनों में मैरिटोरियम लगा दिया था कि यचह कर्जा

वसूल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद गवर्नमैंट आफर इंडिया ने कहा कि इसको ऐक्सटैंड कीजिए। अब इस बिल में कोई बात जोड़ने के लिए ऐक्सटैन्शन की बात कर रहे हैं। यह अच्छी बात है। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि आप इस बात को आज से लागू कीजिए, काहे को पिछली डेट से लागू करते हो। भाई आर्य जी ने ठीक फरमाया कि सैंट्रल गवर्नमैंट नहीं चाहती कि हरियाणा की जनता के दुख दर्द को दूर किया जाए। हम कोई भी जनहित का कदम उठाते हैं तो सैन्टर की सरकार उसे बीच में रोड़ा बन कर आ जाती है। उन्होंने जितने वायदे किए उतना नहीं दिया। प्रधान मंत्री जी करनाल के पास उदघाटन करने आए, बड़े पम्प एंड शो के साथ उद्‌घाटन हुआ। जैसा कि उस दिन उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि प्रधान मंत्री अब कहते हैं कि करनाल रिफाइनरी की फिजिबिलिटी को दोबारा असैस किया जायेगा, आया वह वायएबल है या नहीं यानी लाभकारी है या नहीं। उस रिफाईनरी का शिलान्यास हो गया और अब नए सिरे से उसका मूल्यांकन करेंगे। आज सुबह से चर्चा हो रही है। केन्द्रीय सरकार की हरियाणा के साथ भेदभाव की बड़ी दुखदाई बात है। यह संघीय ढांचे पर प्रहार करने वाली बात है। मैंने बजट स्पीच पर बोलते हुए भी कहा था कि प्रधानमंत्री की यह बचकाना हरकत है। जिन लोगों ने संविधान बनाया था, वे ऐसे देश भक्त थे, जिन्होंने अपनी जवानी जेलों में बिता दी। उन्होंने बहुत मुसीबतें उठाई थीं। आजादी के तुरन्त बाद उनको संविधान बनाना पड़ा। सारी मुश्किलात उनके सामने थीं। उन्होंने केन्द्र और राज्यों की शक्ति विभाजन के लिए यूनियन

लिस्ट, कनक्रैंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट बनाई थी लेकिन इनको उसकी कोई चिन्ता नहीं हैं। इनके परिवार में एक सज्जन थे जो राजनीति करते–करते हवाई जहाज चलाने लगे और एयर क्रैश हो गया। ये हवाई जहाज चलाते–चलाते अब सरकार चला रहे हैं। ये कहीं सरकार को ही क्रैश न कर दें। मैं इस फोर्स पर ज्यादा बात नहीं कहना चाहता क्योंकि उनके भी दो–तीन अनुयायी यहां पर हैं। असलम खां जी तो वैसे ही अन्दर से हमारे साथ है। महेन्द्र प्रताप जी कहीं पर बैठे होंगे और अपनी बात सोच रहे होंगे। वे बाहर बहुत लमकचे मार रहे हैं कि कर्जे माफ करने संबंधी व्हाईट पेपर जारी करो। डिप्टी स्पीकर साहब, अपने वक्त में तो उन्होंने रिवासा काण्ड का व्हाईट पेपर जारी नहीं किया। उस वक्त थाने में भाई बहिन को नंगा किया गया था। उनको अपना समय तो भूल गया। अब उनको व्हाईट पेपर याद आ गया। उपाध्यक्ष महोयद हमने कोई एम.एल.ए. या वजीर तो इलैक्शन में हारता देखा है लेकिन इस तरह इतना हेकड़ मुख्यमंत्री हारता नहीं देखा। चौ. धर्मवीर जिन्होंने उनको चित मारा, बधाई के पात्र हैं। मैं सदन के नेता और सांझे मोर्च के गठबधंन को भी बधाई देता हूं क्योंकि इनकी यूनिटों के कारण ही चौ. बंधी लाल इलैक्शन में चित हुए। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल में एक संशोधन करवाना चाहूंगा कि इस बिल को आज की तिथि से लागू किया जाए।

श्री रतन लाल कटारिया (रादौर–अनुुयचित जाति): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय मंत्री चौ. सूरज भान ने जो 'दि

हरियाणा रिलीज औफ ऐग्रीकल्चरल इनडैटिडनैस', बिल सदन में पेश किया है। मैं उस पर विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बहुत ही अच्छा बिल है। आज जिस तरह की परिस्थितियां देश के अन्दर बनी हुई हैं और जिस तरह से आज छोटे–छोटे किसान और मजदूर के हालात हैं, उनको देखते हुए हमारी सरकार ने यह बिल ला करके बहुत ही अच्छा कदम उठाना है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय यह देश आजाद हुआ था, उस समय संविधान के बनाने वालों ने कनसेप्ट औफ इक्वैलिटी को अपनाया था जिसके तहत देश के अन्दर किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, भाशा और क्षेत्रीयता के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए लेकिन आहिस्ता–आहिस्ता ज्यों–ज्यों इस देश के अन्दर केन्द्र में सत्ताधारी पार्टी की पकड़ मजबूत होती गई, उन्होंने ऐसा सिस्टम अपनाया कि टाटा, बिड़ला, डालमिया और मुफत लाल जैसे लोग इस देश के अन्दर 500–500 करोड़ रूपए कमाने लगे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस देश का बेचारा किसान, मजदूर दिन–रात मेहनत करके हिन्दुस्तान की 80 करोड़ जनता के लिए अनाज पैदा करता है, गन्ना पैदा करता है और चावल पैदा करता है। उसको इस देश के सत्ताधारियों ने तड़फता हुआ छोड़ दिया। उपाध्यक्ष महोदय, आज चारों तरफ देखने में आ रहा है कि इस देश के किसान, मजदूर का शोशण हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, अब आगे गर्मियों का सीजन आ रहा है और आपने टी.बी. में कैम्पा कोला की ऐडवर्टाइजमैंट भी देखी होगी। उपाध्यक्ष महोदय, पार्लियामैंट में एक सवाल के जवाब में बताया गया था कि कैम्पा कोला की

एक बोतल पर 65 पैसे लागत आती है लेकिन जब मार्किट में बिकने के लिए आती है तो उसकी तीन रूपए बोतल के हिसाब से कीमत हो जाती है तो आप देखें की कितना मुनाफा लोगों से लिया जाता है। इस तरह से हिन्दुस्तान के गरीब मजदूर और किसानों की मेहनत की कमाई चन्द लोगों की जेबों में जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, देखने में आया है कि तामिलनाडू, पश्चिमी बंगाल और बिहार प्रदेशों के किसनों को जब खाने के लिए 20–20 दिन तक रोटी नहीं मिलती तो वे लोग आत्म हत्या कर लेते हैं और लोगों ने वहां आत्म हत्याएं की हैं। महात्मा गांधी और लोक नायक जय प्रकाश नारायण ने इस देश में जो सपना देखा था कि आजाद हिन्दुस्तान के अन्दर हर आदमी को न्याय मिलेगा, उनका सपना साकार नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, राजगुरू और सरदार भगत सिंह जैसे लोग हिन्दुस्तान की आजादी के लिए फांसी पर लटके थे और अपने प्राधों की बलि दी थी लेकिन आज हिन्दुस्तान के अन्दर ऐसे–ऐसे प्रधानमंत्री पैदा हो गए हैं जिन पर सरेआम पार्लियामैंट के अन्दर बोफर्स मामले में रिश्वत लेने के इल्जाम लगाए जात हैं और पनडुब्बी में भ्रश्टाचार करने के आरोप लगाए जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही विडम्बना की बात है कि कहां तो इस आजाद मुल्क में सरदार पटेल जैसे आदमी पैदा हुए जिन्होंने निजाम हैदराबाद के द्वारा हिन्दुस्तान में न मिलने के लिए मना करने पर 24 घंटे के अन्दर अन्दर उसको धाराशाही करके रख दिया और हिन्दुस्तान में शामिल कर दिया। यहां पर हिन्दुस्तान में भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जैसे

लोग पैदा हुए, जिन्होंने ताशकन्द समझौते में हिन्दुस्तान की एकता और अखण्डता के लिए अपने प्राण दे दिए थे और उन्होंने हिन्दुस्तान की एक इंच जमीन विदेशियों के हाथ नहीं लगने दी।

11.00 बजे

हिन्दुस्तान का जो फैडरल स्ट्रक्चर है, उस पर आज चारों तरफ से प्रहार हो रहा है। आज का प्रधान मंत्री क्या चाहता है? वह चाहता है कि न्यायपालिका भी उसके कब्जे में रहे। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जब 1973 में इस देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी हुआ करती थी, तो उनके मंत्रिमण्डल में कुमार मंगलम नाम के एक मंत्री होते थे। उन्होंने कहा था कि जुडिशियरी को कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। यही कारण है कि पीछे जो दंगे दिल्ली और दूसरे स्थानों पर हुए थे, उनके लिए जो ठक्कर–नटराजन कमीशन बैठाया गया था, उसने भी अपनी रिपोर्ट में टिप्पणी करते हुए राजीव गांधी को दोशी ठहराया है। यही कारण है कि आज सारे सिस्टम को एक व्यक्ति के साथ जोड़ दिया गया हैं। यह बड़े शर्म की बात है। इस प्रधान मंत्री ने अपने जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह विदेश नीति था और चाहे दूसरी नीति थी, हर जगह पर इस देश को नीचा दिखाने की कोशिश की है। इस प्रधानमंत्री का रवया प्रैस के प्रति दुर्भावनापूर्ण है। इसलिए उसने कांस्टिच्यूशन में 59वीं अमैंडमैंट करके प्रैस को भी दबाने की कोशिश की है। यह प्रधान मंत्री हर मौके पर प्रैस के प्रति प्रहार करता रहा है। पिछले दिनों यह प्राईम मिनिस्टर

नागपुर में गए थे। उस समय एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि जिस प्रकार से बी.बी.सी. लन्दन को समाचार देने की छूट मिली हुई है, क्या उसी प्रकार की छूट हमारे दूरदर्शन और आल इण्डिया रेडियों को भी मिलेगी। इस पर प्रधानमंत्री ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम अखबारों की तरह रेडियो और दूरदर्शन को गैर जिम्मेदाराना नहीं बनाना चाहते। इसी तरह शान्ति निकेतन में एक सभा हुई। उस सभा में बोलते हुए प्रधान मंत्री महोदय ने छात्रों को संबोधित करते हुए नवयुवकों को कहा कि अखबार न पढ़ों क्योंकि अखबार पढ़ने से देश में कोई रचनात्मक कार्य नहीं हो सकते। यानी कोई भी फील्ड प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं छोड़ा जहां पर प्रैस को बदनाम न किया हो। आज के प्रधानमंत्री ने हिन्दुस्तान के फैडरल स्ट्रक्चर को हर तरफ से नश्ट करने की कोशिश की है। यही मूल कारण है कि हमारे देश की प्रतिश्ठा को धब्बा लगा है। मैं सदन को संबोधित करते हएु यह बात कहना चाहता हूं कि जिस चीज का उत्पादन होता है और जब वह बाजार में बिकने के लिए जाती है, तो उसका कोई तालमेल होना चाहिए। उत्पादन लागत तो आती है एक रूपया लेकिन फिर बाद में वह चीज मिले 2 रूपये में तो यह कहां का इन्साफ है? जो इतना बड़ा प्रौफिट होता है, वह सारा इकट्ठा हो कर धनाढय लोगों की जेबों में जा रहा है। जेबें तो धनाढय लोगों की भरती हैं और कश्ट हरिजनों को और आम मजदूर व कर्मचारियों को उठाना पड़ता हे। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो आलू पैदा होता है, उसकी मार्किट के अन्दर 30—40 रूपये प्रति क्विंटल कीमत है। अब जब आगे गर्मियों का मौसम आयेगा

तो इस आलू से एक आलू की टिक्की बनाई जायेगी जो अशोका होटल वे उस जैसे दूसरे होटलों में जहां अमिताभ बच्चन जी व उन जैसे लोग ठहरेंगे, 50 रूपये से 100 रूपये तक में बिकेगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार किसान का और मजदूर को शोशण हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, अब गेहूं की फसल आने वाली है। अब केन्द्रीय सरकार किसानों के लिए एक तीर मारेगी कि हमने किसानों के गेहूं की कीमत 2 रूपये या 5 रूपये प्रति क्विंटल बढ़ा दी है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ यह देखना पड़ेगा कि जहां गेहूं की कीमत साल में 2 रूपये 5 रूपये बढ़ाई जाती है, वहीं एक मारूति कार की कीमत साल में 10 हजार रूपये बढ़ाई जाती है और टाटा का जो ट्रक बनता है, उसकी कीमत साल में 15 हजार रूपये तक बढ़ाई जाती है। आज हिन्दुस्तान के अन्दर चारों तरफ लूट मची हुई है। इसका मुख्य कारण यह है कि जितने भी हमारे बड़े बड़े सरमायेदार हैं, वे सारे के सारे प्रधान मंत्री को चुनाव के समय चन्दा देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधान मंत्री जी इस तरह की नीतियां अपनाते जा रहे हैं, जिसके कारण हिन्दुस्तान में दरिद्रता और बेरोजगारी बढ़ रही है और राज्यों में असन्तोश पनप रहा है। हरियाणा के आदरणीय मंत्री महोदय ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, इसमें इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि 10 प्रतिशत से ज्यादा ब्याज किसी को नहीं देना पड़ेगा। पहले यह होता था कि पिछड़ा हुआ दरिद्र आदमी चाहे, वह किसान हो या बढ़ई हो, चाहे वह लोहार हो या हरिजन हो या सांटे बनाने वगैरा का काम करता

हो, यदि उसने किसी साहूकार या इन्डस्ट्रियलिस्ट से 10 हजार रूपये का कर्ज लिया होता था और जब वह उसे वापिस करता था तो डबल से भी ज्यादा पैसा उसे अदा करना पड़ता था लेकिन इस बिल में ऐसा प्रावधान किया गया है कि 10 प्रतिशत से ज्यादा ब्याज मजदूर किसान या दरिद्र व्यक्ति से चार्ज नहीं किया जायेगा। यह बहुत ही सराहनीय बिल है और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाये, उतनी कम है। मैं इस फोर्म के माध्यम से और इस महान सदन के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं कि वह इस प्रकार की नीतियों पर न चलें, जिससे देश को नुकसान हो। जिस प्रकार भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था और यहां दूध–दही की नदियां बहती थीं, वैसा बनायें उसे पांच सौ साल पीछे न ले जायें। जिस प्रकार वे हर रोज टेलीविजन पर छुनछना पकड़ कर खड़े हो जाते हैं और किसी हरिजन कालोनी का उद्‌घाटन करते हुए किसी गरीब हरिजन बच्चे को जिसके पास ढंग के कपड़े भी नहीं हैं, डबल रोटी का टुकड़ा हाथ में पकड़ाकर कहते हैं कि कौन सी क्लास में पढ़ने हो, बहुत होशियार बनी, खूब पढ़ो, मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार कमजोर और गरीब जनता से मजाक न करें। कहा जाता ह कि आई.ए.एस. और आई.पी.एस. के कंपिटिशन में हरिजन समाज के बच्चे कंपिटिशन में ठीक नहीं उतरते। वे ठीक उतर भी केसे सकते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ाई के लिए पूरी सुविधाएं नहीं मिलती? वे बेचारे किस प्रकार कंपिटिशन में बराबर आ सकते हैं? कहां वे बच्चे जिन्हें पढ़ने के लिए किताबें और पहनने के लिए

कपड़े तक नसीब नहीं होते और कहां देहरादून के मंहगे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे? इनको अगर बराबर अवसर मिलें भी तो उनमें कंपिटिशन कैसे हो सकता है? हमारे प्रधान मंत्री अपनी देहरादून की मण्डली से चारों ओर से धिरे हुए हैं जो इस देश को सामान्तशाही की ओर ले जा रहे हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एकांध काम अच्छा किया। उन्होंने राजाओं, महाराजाओं के प्रिवी पर्स खत्म कर दिये, लेकिन यह इस देश की बद–किस्मती है कि वे राजे महाराजे जिनके प्रिवी पर्स खत्म हो गये थे, वे कांग्रेस के अन्दर घुस गये और अधिकांश प्रदेशों में ये लोग मंत्री या मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जिनकी नसों के अन्दर गरीब की भलाई के लिए कोई खून नहीं है। ये लोग सरकार में बैठ कर कांग्रेसियों के साथ मिलकर गरीबी और दरिद्रता के अन्दर फंसी हुई जनता का शोशण करते हैं और उन्हें अपने फायदे के लिए उपयोग करते हैं। मेरी निजी ओपिनियन है कि इस राज में सामन्तशाही का एक बड़ा वर्ग हावी है जो हिन्दुस्तान की आम जनता, मजदूर, गरीब किसान की भलाई की बात कभी नहीं सोच सकता है। आज हम सब मिलकर हिन्दुस्तान के कांस्टिीच्यूशन में रहते हुए फैडरल स्ट्रक्चर की रक्षा करें। सरकारिया कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है, उसमें इस बात पर टिप्पणी की गई है कि इस प्रकार केन्द्र राज्य के अधिकारों पर बार–बार प्रहार कर रहा है। इससे राज्य दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं। इस सरकारिया कमीशन की यह टिप्पणी नोट करने वाली है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अन्दर कहा है कि केन्द्र राज्यों के अधिकारों को हड़प रहा है, जिस समय

ऐसी बात कही जाती है तो केन्द्र में जो लोग बैठे हैं, उनका बल्ड प्रैशर बढ़ जाता है। जिस प्रकार बढ़े हुए बल्ड प्रैशर के कारण शरीर में खून की कमी हो जाती है और खून में कमी होने से कई प्रकार की बिमारियां जन्म लेती हैं और उनसे इन्सान अस्वस्थ रहने लगता है, ऐसे ही देश में कहीं न कहीं असन्तोश पनपता रहता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री को चाहिए कि वे अपने संकीर्ण हितों से ऊपर उठ कर सारे देश को अपने साथ लेकर चलें। जिन राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें है उन प्रदेशों की लीडरशीप के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चलें। इस समय हिन्दुस्तान के अन्दर गैर कांग्रेसी सरकारें अधिक हैं। हमारा सबसे पहला लक्ष्य देश की एकता और अखण्डता होना चाहिए। मैंने तो अपने परिवार में रहकर यही सीखा है कि सबसे पहले हिन्दुस्तान की एकता और अखण्डता आती है, राश्ट्रीय भावना के अन्दर रहते हुये देश की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। ऐसा करते समय हमें कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाना चाहिए जिससे देश की एकात और अखण्डता कमजोर हो और जिससे विदेशियों को यह मौका मिले कि वे हमारी एकता और अखण्डता पर प्रहार कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं प्रधानमंत्री की विदेश नीति के बारे में अर्ज करना चाहता हूं।

श्री हीरा नन्द आर्य: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। जो कुछ कटारिया साहब कह रहे हैं, उसका इस बिल से कोई

ताल्लुक नहीं है। कटारिया साहब को उसी सब्जैक्ट पर बोलना चाहिए, जो हाउस के सामने पेश है। इस तरह से तो वे वैसे ही हाउस का टाईम जाया कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्षः कटारिया साहब, आप काफी बोल चुके हैं। इसके अलावा आपने हर डिबेट में हिस्सा लिया है। इसलिए अब आप बैठिए।

श्री रतन लाल कटारियाः उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए और आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री कुन्दन लाल भाटिया (फरीदाबाद): डिप्टी स्पीकर साहब, जो बिल हाउस के सामने पेश हुआ है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। कुछ बातें मैं अपने हल्के के बारे में भी अर्ज करना चाहता हूं क्योंकि मुझे पहले भी टाईम नहीं दिया गया था। डिप्टी स्पीकर साहब, फरीदाबाद में बसों की बहुत कमी है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः पहले आप बिल के बारे में बोलें, फिर और चीजों के बारे में बोल लेना।

श्री कुन्दन लाल भाटियाः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं उसी के बारे में बोल रहा हूं। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष: बिल के पीछे स्टेटमैंट आफ औब्जैक्टस एण्ड रीजन्ज दिये हुए होते हैं, उनमें बिल की भावना दी हुई है। आप उन्हें पढ़ कर उसी के हिसाब से बोलें।

श्री कुन्दन लाल भाटिया: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि फरीदाबाद में बसों की बहुत कमी है इसलिए वहां पर बसें बढ़ायी जानी चाहिए। फरीदाबाद इन्डस्ट्रियल एरिया है। गरीब आदमियों को फैक्टरीज जाने में बहुत तकलीफ होती है। यहां पर सरमायेदार बहुत हैं। एक बार जलसे में चौ. देवी लाल, वीरेन्द्र सिंह, श्रीमती सुशमा स्वराज और सम्पत सिंह जी मोजूद थे। उस समय चौ. देवी लाल जी ने कहा था कि फरीदाबाद में जो * * * *

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, भाटिया साहब ने क्या मामला छेड़ दिया है? यह बिल ऐग्रीकलचररिस्टस की इनडेटिडनैस का है। ये पता नहीं कहां से कहां पहुंच गये हैं। इस मौके पर ये बातें कहना कोई रेलेवैन्ट नहीं है। भाटिया साहब गोन्ची ड्रेन से शुरू करते हैं और बदरपुर तक पहुंच जाते हैं। ये बातें रिकार्ड नहीं की जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: भाटिया साहब ने जो बदरपुर के बारे में बातें कहीं, वे रिकार्ड न की जायें। आप इस बिल पर ही बोलें।

श्री कुन्दन लाल भाटिया: जब हम अपने हल्के के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते कि क्या काम करना है तो मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए बैठ जाता हूं।

श्री कैलाश चन्द शर्मा (नारनौल): उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय चौ. सूरजभान जी ने हरियाणा कृशि ऋणिता अवमुक्ति विधेयक, 1989 हाउस के सामने रखा है। मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आदरणीय चौ. सूरजभान जी को मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं और मुझे आशा हे कि वे इस पर विचार करेंगे। यह ठीक है कि जब से यह सरकार सत्ता में आई है, इस सरकार ने चुनाव के दौरान जो भी वायदे किये थे, वे पूरे किये हैं लेकिन इससे पहले की सरकार ने हरियाणा की जनता को, विशेशकर किसानों तथा मजदूरों को एक ाडयन्त्र के अन्तर्गत कर्जदार बना दिया था। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कर्जदार बनते हैं, यह अपनी मर्जी से नहीं बनने क्योंकि कोई भी व्यक्ति कर्जा लेकर खुश नहीं है। कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं और कई बार ऐसी मजबूरी होती है कि उन्हें कज्र लेना पड़ता है। इन हालात के अन्दर जो लोग कर्जदार हो गये हैं, उनको कर्जामुक्त करने की कोशिश यह सरकार कर रही है। परन्तु केन्द्रीय सरकार बार–बार इसके रास्ते में रोड़े अटका रही है। मैं मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि उन्होंने जो 2400 रूपये की सीमा रखी है, उस पर थोड़ा सा विचार करना चाहिये क्योंकि हमें इसी सदन में पिछले दिनों में यह सूचना दी गयी है कि हरियाणा सरकार ने मिनिमम वेजिज जो थे, उनमें परिवर्तन किया है। अब यह 25 और 30 रूपये हो गये हैं। जब हम इस तरह से एक मजदूर को 25 रूपये रोज के देते हैं तो उसकी एक साल में इन्कम 2400 रूपये से ज्यादा हो जाती है। हमारी सरकार एक तरफ तो यह स्पीकार

करती है कि हम मजदूरों को उस कैटेगरी में गिनते हैं कि उनको रोजाना काम करने के लिये 25 रूपये दिये जाएं मगर वही मजदूर अपना कर्जा माफ करवाने के लिये या तो झूठ बोलेगा या उसकी किसी न किसी तरह से गलतब्यानी करनी पड़ेगी या फिर कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इसलिये मेरा कहना यह है कि हमारे मिनिमम वेजिज में परिवर्तन होने के पश्चात् 200 रूपये महीने की आमदनी को कोई महत्व नहीं रह जाता। आज इस मंहगई के युग में आदमी 200 रूपये महीने से गुजारा भी नहीं कर सकता। इसके लिये या तो वज झूठ बोलेगा या फिर वह भूखा मरता होगा। अगर वह भूखा मरने वाला आदमी है, तो वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता। इसलिये मेरा कहना यह है कि इस राशि की लिमिट को बढ़ाया जाये। यह कम से कम मिनिमम वेजिज ऐक्ट के मुताबिक होनी चाहिए। वास्तव में हमारे किसानों को कैसे कर्जदार बनाया गया, इस बारे में अलग–अलग कहानियां गांव में सुनाते रहते हैं कि कैसे–कैसे लोगों को मूर्ख बनाया जाता था और कैसे उनको कर्जदार बनाया गया। मैं भी इस बारे में एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। एक बार एक फौजी फौज से छुट्टी लेकर अपने घर गांव में आया। उसको कुछ पैसा की जरूरत पड़ गयी। उसने वहां के साहूकार से एक सौ रूपये उधार ले लिया। साहूकार ने उसके दस्तखत करवा लिये। वह कहने लगा कि जब मैं अगली बार फौज से छुट्टी आऊंगा, तब आपको यह 100 रूपये मय ब्याज दे दूंगा। अगली दफा जब वह फौजी छुट्टी आया तो सेट के पूछने पर वह कहने लगा कि भाई, इस बार तो मैंने यह खच्रा कर

दिया, वह कर दिया, अगली बार आपको दे दूंगा। सेठ ने उसके सैंकड़े के साथ एक बिन्दी और लगा ली और उसके दस्तखत करा लिये। कह दिया कि चलो अगली बार दे देना। इसी तरह से तीन साल तक लगातार बिन्दियां लगाने के बाद उसका एक सौ रूपये का एक लाख रूपया कर्जा हो गया। वह हर साल बिन्दियां लगाता रहा। जब एक लाख रूपया कर्जा हो गया और फौजी छुट्टी पर आया तो सेठ ने बड़े गुस्से में यह कहा कि कर्जा वापिस दो वरना तुम्हारी जमीन कुर्क कराऊंगा। सौभाग्य से चौ. देवी लाल जैसा गांव में कोई आदमी था, वह कहने लगा कि फौजी तूने, एक लाख रूपये किये और न मकान बनाया और न ही किसी की शादी की, यह रूपया कहां खर्च कर दिया। फौजी कहने लगा कि मैंने एक लाख के तो आज तक कभी दर्शन भी नहीं किये हैं। उसने सारी बात बतायीं। वह आदमी उसको सेठ के पास ले गया। वहां जाकर कहने लगा, सेठ तूने इससे कितने पैसे लेने हैं? वह कहने लगा इतने। उस आदमी ने कहा यह आदमी तेरे कहने पर एक बिन्दी हर साल लगाने के बावजूद इस्तखत करता रहा या नहीं? वह बोला करता रहा। उस आदमी ने काह कि अब मेरे कहने पर एक बात मान। बोला क्या? अब इस एक को उड़ा दें। बाकी पैसे मिल जायेंगे। ऐसा होने के बाद वह आदमी कर्ज मुक्त हो गया। वही काम हमारी सरकार अब कर रही है। कई सालों से जो लोग किसी भी ाडयन्त्र का शिकार हुए हैं, कर्जदार हो गये हैं इन किसानों को कर्जदार इसलिये होना पड़ा है कि आज तक किसान अपनी उत्पादन की लागत नहीं आंकता था। वह उत्पादन लागत

का हिसाब नहीं लगाता था। उसकी कौस्ट औफ प्रोडक्शन क्या होती है वह कभी इस बात का हिसाब नहीं लगाता था। बाकी जितने भी धन्धें हैं, चाहे उद्योग का हो या व्यापारी का है हर व्यक्ति अपनी लागत पहले निकालता है। अगर कोई व्यापारी 5000 रूपये से कोई दुकान शुरू करता है, तो वह सारा हिसाब–किताब लगाता है कि दुकान का किराया कितना, उस 5000 रूपये का ब्याज और अपनी तनख्वाह आदि कितनी। इस हिसाब से उसको हमेशा घाटा रहा है क्योंकि उसकी लागत हमेशा ज्यादा रही है। मैं आपके माध्यम से इस बिल का समर्थन करते हुए आदरणीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि यादि वे इस इन्कम की राशि को बढ़ाने के लिये पुनर्विचार कर लें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री हरनाम सिंह (शाहबाद): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस बिल की हिमायत करता हूं। इसका जो मकसद है, वह बहुत अच्छा है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि खेतिहर मजदूरों को कोआप्रेटिव सोसायटीज से जो कर्जा मिलता है और डौमैस्टिक जरूरत के लिए जो कज्र मिलता है, उस पर इंट्रैस्ट बहुत ज्यादा है। वह इंट्रैस्ट कम होना चाहिए जिससे कि वे अपना गुजारा अच्छी प्रकार से कर सकें और कर्जे के नीचे ज्यादा न दब जाएं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि उनको कम रेट पर कर्जा मिलना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बैंकों से जो कर्जे लिए जाते हैं वापसी पर उनकी रसीद नहीं देते। दस्ती ले लेते हैं या सादा कागज पर रसीद लिख देते हैं।

ऐसा करने से उन लोगों से दुबारा कर्जा वसूल किया जाता है। यह मामला हल करने के लिए कानून में कुछ प्रावधान होना चाहिएं तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि गांव के अन्दर लोग अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए साहूकारों से कर्जा ले लेते हैं और ये साहूकार लोग चौबीस से पचास परसैन्ट तक ब्याज इन गरीब लोगों और मजदूरों से लेते हैं। मेरी प्रार्थना है कि उनकी समस्या को हल करने के लिए कोआप्रेविट बैक्स से पूरा कर्जा दिया जाना चाहिए ताकि उनकी समस्या हल हो और वे गरीब लोग साहूकारों के चंगुल से निकल सकें तथा कानून में कोई सख्त प्रावधान करना चाहिए जिससे साहूकार लोग उनसे ज्यादा ब्याज न ले सकें और गरीबों का शोशण न कर सके। डिप्टी स्पीकर साहब, चोथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कोआप्रेटिव बैक्स से जो क्रोप लोन दिया जाता है, वह आज से दस साल पहले फिक्स किया गया था और दस साल पहले वह 750 रूपए फिकस किया था। आज किसान का खर्चा काफी बढ़ा गया है। इसलिए मेरी प्रार्थना यह है कि अब क्रोप लोन 2500 रूपया कर देना चाहिए और इसमें बुवाई का खर्चा, लेबर का खर्चा, बिजली का बिल, बीज और मोटर मशीन का खर्चा शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए मेरी दुबारा प्रार्थना है कि क्रोप लोन का रेट 2500 रूपया होना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम देहात में जो गरीब लोग है, जिनकी सहायता के लिए यह कानून बनाया जा रहा है, उनको रिलीफ मिलेगी। अगर उनको रिलीफ देने के लिए कोई प्रावधान नहीं करेंगे, तो उसका लाभ नहीं होगा और उनकी दिक्कतें ज्यादा

बढ़ती जाएंगी। मैंने जो बातें कहीं है उनको सरकार ध्यान में रखकर जरूरी अमैंडमैंट करें, तभी हम गरीब और खेतीहर मजदूरों की सहायता कर सकेंगे। इतना कह कर मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री भगवान सहाय रावत (हथीन): उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं अपने मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं जिसने इतना क्रांतिकारी कदम इस बिल को सदन में लाकर उठाया है। चौ. छोटू राम ने एक कदम उठाया था, उसके बाद चौ. चरण सिंह ने उसको बढ़ाया था और अब जो काम अधूरा रह गया था, उसको हरियाणा सरकार पूरा करने जा रही है। इसलिए यह सरकार बधाई की पात्र है और साथ ही दूसरे प्रदेशों की सरकारों के लिए यह प्रेरणा का स्त्रोत बनेगी। मैं इस विधान सभा को भी बधाई देना चाहता हूं जिसने इससे पहले भी कई बिल जैसे कर्जा माफी का बिल और कंसाइनमैंट टैक्स के बारे में प्रस्ताव पास किए हैं। इसी विधान सभा ने तिरगें झंडे के बारे में, जो देहात में कंफयूजन था जिसका कांग्रेस वाले फायदा उइा रहे थे, प्रस्ताव पारित किया थां ये बातें दूसरी सरकारों के लिए प्रेरणा का स्त्रोत बन सकती है। आज इस सरकार ने सदियों से पिछड़े हुए और ऋण के नीचे दबे हुए लोगों को उभारने के लिए एक कदम उठाया है। यह बिल उन सदियों से पिछड़े हुए लोगों को उभारने के लिए एक कदम उठाया है। यह बिल उन सदियों से पिछड़े हुए लोगों का उत्थान करेगा और वे लोग चैन की सांस ले सकेंगे। चौ. देवी लाल की सरकार ने प्रथम बार खेतिहर मजदूरों

को भी उसी तरह का मुआवजा देने का प्रावधान किया है जिस तरह का मुआवजा प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुक्सान के लिए किसानों को दिया जाता था। चौ. देवी लाल की सरकार आने से पहले किसी ने उसके बारे में सोचा तक नहीं था। वे लोग केवल खेती पर निर्भर करते हैं और जब फसलों का नुक्सान हो जाता था तो वे बेचारे भूखे मरने लगते थे लेकिन इस सरकार ने उनकी सहायता की। इसी तरह से ये बिल खेतीहर मजदूरों, छोटे काश्तकारों और छोटे दुकानदारों की सहायता करेगा और उन लोगों को बहुत राहत मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पहले वाले साथियों ने बताया है कि कर्जा उतारने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग कई माध्यमों से कर्जा लेते हैं। ये लोग कई माध्यमों से कर्जा लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जब एक कर्जे को वापिस करने का लोगों के पास कोई चारा नहीं रहता तो देहात में किसान और मजदूर उस कर्जे को वापिस करने के लिए दूसरा कर्जा बैंक से ले लेते हैं और वह बैंक और दूसरी जगहों से दरवाजे क्लोज हो जाते हैं है तो वे साहूकारों से कर्जा लेते हैं और साहूकारों के चंगुल में फंस जाते हैं जिनका ब्याज दस और पन्द्रह परसैन्ट महीने का होता है। निश्चत ही इस बिल के आने से उन लोगों को काफी राहत मिलेगी। जमींदार, किसान और मजदूर जो कर्जे के बोझ से दबे हुए हैं इस बिल के द्वारा उनका बोझ हल्का हो जाएगा लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि कोआप्रेटिव बैंक्स कोआप्रेटिव सोसायटी के

माध्यम से कज्र देते हैं और उनका यह प्रयास रहता है कि पहले जरूरी मदों के लिए ही कर्जा दें। लेकिन निश्चित रूप से हमारी सरकार को यह देखना होगा कि किसान या मजदूरों को जिस मकसद के लिये कर्जा दियाजाता है, उसके अलावा उनकी और भी अलब से जिम्मेदारियां होती है, जरूरतें होती हैं, जैसे विवाह शादियां इत्यादि। अब तक क्या होता रहा है कि जब किसी किसान ने अपनी लड़की या लड़के की शादी करनी होती है तो वह किसी साहूकार की बही पर अंगूठा लगाकर के कर्जा ले लेता था और उसके पास अपनी जमीन तक गिरवी रख देता था लेकिन रिकार्ड में कुछ नहीं होता। आज किसान या दूसरे खेतीहर मजदूर उन साहूकारों के कर्जो के नीचे बुरी तरह से दबे हुए हैं और उनके कर्जे का पैसा मूल राशि से भी दुगुना हो जाता है। अगर बैंकों के जरिये किसानों को इस तरह की सुविधायें दी जाएं तो यह बात रिकार्ड में भी आ जाएगी और किसान लुटने से भी बच जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह का प्रयास सरकार द्वारा 1975 में किया गया था और उसके बाद जब इस प्रथा में कमी देखी गई तो 1976 में फिर इसी प्रकार का बिल पेश किया गया। इसके बावजूद भी जब सरकार ने देखा कि किसान अब भी अपनी अज्ञानता के कारण साहूकारों के ऋण के बोझा के नीचे दबा हुआ है तो साहूकारों क चंगुल से बचाने के लिये सरकार अब यह बिल लेकर आई है। अब हमारी सरकार ने यह बिल लाकर दोबारा प्रयास किया है कि अगर किसान के कर्जे की राशि ब्याज समेत दुगुनी हो जाती है तो उससे फालतू किसान को पैसा नहीं देना पड़ेगा

लेकिन अगर इसमें बैंकों द्वारा दिए गए कर्जों का भी प्रावधान कर दिया जाये तो इससे किसान को और राहत मिल सकेगी। इसलिये मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हुआ तथा आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं।

सेठ लछमन दास बजाज (करनाल): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी हरियाणा कृशि ऋणिता अवमुक्ति विधेयक, 1989, जो यहां पर लाये हैं, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। 2400 रूपये की सालाना आमदनी का जो इस बिल में प्रोविजन है, यह बहुत थोड़ा है। मेरा अनुरोध है कि इसको बढ़ाकर 5000 कर दिया जाए जिससे जमींदारों और व्यापारी वर्ग को और राहत मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, गांव के अंदर जमींदार जब अपने बच्चों की ब्याह शादियां करते हैं तो वे साहूकारों से, आढ़तियों से बही पर अंगूठा लगाकर 10–10, 15–15 हजार रूपये तक का लोन ले लेते हैं जिसका ब्याज डेढ़–दो परसैन्ट महीना होता है जिसके कारण से वह लोग अदायगी न करने के कारण बोझ के नीचे दबे रहते हैं। वह रूपय दिनों दिन बढ़ता ही चला जाता है। इसलिये मेरी यह प्रार्थना है कि जमींदारों को इन कामों के लिये भी अलग से बैंकों से लोन दिलवाने का प्रावधान सरकार की ओर से होना चाहिए और इस बात का प्रावधान होना चाहिये कि वे अपने खेत की कमाई आने पर उस पैसे को चुकता करें। इसके साथ–साथ मैं यह कहता हूं कि जो सबसिडी सरकार की ओर से दी जाती है, वह सबके लिये यकसां होनी चाहिये। किसी के साथ इस मामले में

भेदभाव नहीं होना चाहिये। इतना ही कहता हुआ मैं इस बिल पर पुरजोर समर्थन करता हूं।

Mr. Speaker: Question is –

That the Haryana Relief of Agricultural Indebtedness Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

सब क्लाज (2) औफ क्लाज।

श्री उपाध्यक्ष: मुझे डा. मंगल सैन से इस क्लाज पर अमैंडमैंट का नोटिस मिला है, वे कृपया अपनी अमैंडमैंट प्रैजैंट करें।

Sh. Mangal Sein: Sir, I beg to move –

That sub-clasue (2) of clause 1 be sustituted as under –

"(2) It shall come into force at once."

Mr. Deputy Speaker: Motion moved –

That sub-clasue (2) of clause 1 be sustituted as under –

"(2) It shall come into force at once."

Revenue Minister (Sh. Suraj Bhan): I accept the amendment.

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That sub-clasue (2) of clause 1 be sustituted as under –

"(2) It shall come into force at once."

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That sub-clasue (2) of clause 1, as amended, stand part of he Bill.

The motion was carried.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is –

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is –

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

क्लाज 4

श्री उपाध्यक्ष: मुझे डा. मंगल सैन से इस क्लाज पर अमैंडमैंट का नोटिस मिला है, वे कृपया अपना नोटिस पढ़े।

Sh. Mangal Sein: Sir, I beg to move –

That in clause 4, for the words and figures " on the 30th day of June, 1987," substitute "from the date of commencement of this Act."

Mr. Deputy Speaker: Motion moved –

That in clause 4, for the words and figures " on the 30th day of June, 1987," substitute "from the date of commencement of this Act."

Revenue Minister (Sh. Suraj Bhan): I accept the amendment.

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That in clause 4, for the words and figures " on the 30th day of June, 1987," substitute "from the date of commencement of this Act."

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That clasue 4, as amended, stand part of he Bill.

The motion was carried.

Clause 5 to 24

Mr. Speaker: Question is –

That clause 5 to 24 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-clasue (1) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is –

That Sub-clasue (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is –

That Title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Minister will move that the Bill be passed.

राजस्व मंत्री (श्री सुरज भान): उपाध्यक्ष महोदय, मोशन मूव करने से पहले इस बिल के बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा। इस बिल पर बोलते हुए मेरे माननीय साथियों ने

अपनी—अपनी बातें कही हैं और सभी ने इस बिल को पंसद किया है। दरअसल यह अमैंडमैंड लाने की जरूरत क्यों पड़ी, मैं इस बारे में बताना चाहूंगा। कड़वी सच्चाई यह है कि किसानों को उनकी उपज के ठीक दाम नहीं मिलते। अगर किसानों को उनकी उपज के ठीक दाम मिल जाएं तो न उनको कर्जा लेने की जरूरत है और न किसी प्रकार का कर्जा माफ करवाने की जरूरत है। इसलिये हमें यह कदम उठाना पड़ा है और यह अमैंडमैंट लाए हैं। दूसरे सैक्टर्ज में बड़ी अजीब चीजें चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, महाराश्ट्र स्टेट में वहां के कुछ पोलिटिकल वर्कर्ज ने वेस्पा बजाज स्कूटर के बारे में इनवैस्टीगेशन की और वे इस नतीजें पर पहुंचे कि वैस्पा बजाज स्कूटर बनाने के लिए एक स्कूटर पर मशीनरी की डैप्रिसिएशन मजदूरों की तनखाह और मुनाफा शामिल करके 7 हजार रूपए मालिक का खर्च होता है लेकिन वैस्पा बजाज स्कूटर बाजार में 12 हजार रूपये का बिक रहा है। उस मालिक को 7 हजार रूपये में भी मुनाफा है लेकिन उसकी कीमत 12 हजार रूपए है। दूसरी तरफ जो किसान लोग अपने खेतों में पैदावार करते हैं, उस पर उसकी मजदूरी का कोई हिसाब किताब नहीं लगाया जाता है। उसके परिवार के जो लोग खेतों में काम करते हैं, उसका कोई हिसाब—किताब नहीं लगाया जाता है। वह मेहनत किसी गिनती में नहीं आती है। हमें इस बारे में मौजूदा केन्द्रीय सरकार से उम्मीद भी नहीं है कि वह किसानों के लिये कोई भलाई का काम करेगी, इसलिये हमें यह अमैंडमैंट लानी पड़ी है। उपाध्यक्ष महोदय, श्री भगवान सहाय रावत जी ने एक बात कही कि हमारी

लोकप्रिय सरकार चौ. देवी लाल जी के नेतृत्व में बहुत अनोखे कदम उठा रही है जिनका वर्णन किसी के बराबर नहीं किया जा सकता। उपाध्यक्ष महोदय, 1934 में सर छोटू राम के इशारे पर, उनके सुझाव पर पहली बार इस किस्म का कानून पास किया गया था जिसके तहत देहात के किसानों को रिलीफ दिया गया था। उस कानून के देखा देखी, 1938 में आंध्र प्रदेश में भी वैसा ही कानून पास हुआ था। उपाध्यक्ष महोदय, 1975 में ऐमरजैन्सी के टाईम पर केन्द्रीय सरकार ने एक कानून पास किया था और वह दूसरी स्टेटस से भी पास करवाया था कि हम देश से गरीबी दूर करेंगे। लेकिन उस कानून में यह शर्म लगा दी गई कि किसी आदमी की 200 रूपए से ज्यादा महीने की आमदनी न हो और तीन महीने के अन्दर अन्दर वह अपनी अर्जी दे देगा तो उसका रियायत मिल सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, एक तो उस ऐमरजैन्सी थी, दूसरे उसमें तीन महीन के अन्दर अन्दर अर्जी देने की शर्त लगा दी और तीसरे यह शर्त लगा दी कि 200 रूपए से ज्यादा महीने की आमदनी न हो। उसके बाद 1976 में वह कानून दोबारा लाया गया। उस समय कहा गया कि आमदनी की शर्त तो वही रहेगी 200 रूपए महीना लेकिन जो अर्जी देने की शर्त है उसको तीन महीने की मियाद से बढ़ाकर 6 महीने कर दिया गया यानी 6 महीने के अन्दर–अन्दर यदि कोई अर्जी दे देगा तो उसको रिलीफ मिल जाएगां उस समय 1975–76 में हरियाणा प्रदेश में केवल 213 आदमियों को इस रिलीफ का फायदा हुआ था और केलव 555420 रूपए उन लोगों को रिलीफ के मिले थे जोकि न के बराबर

फायदा था माननीय सदस्य श्री लछमन दास बजाज ने कहा कि यह जो 200 रूपए महीना आमदनी की शर्त है, यह 5 हजार रूपए सालाना की आमदनी की शर्त होनी चाहिये क्योंकि आजकल महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं बजाज साहब और पूरे सदन की इतलाह के लिए बताना चाहूंगा कि हमने इसमें इनकम की लिमिट रखी ही नहीं है। यदि किसी आदमी की पांच हजार की बजाय 10 हजार रूपए सालाना की आमदनी हो, तो उस पर भी यह लागू होगा। आर्य साहब ने कहा कि यह कानून नैशनेलाइज्ड बैंकों पर लागू होना चाहिए। मैं आर्य साहब को बताना चाहूंगा कि यह कानून नैशनेलाइज्ड बैंकों पर लागू होगा। हरियाणा पहली स्टेट है जिसने सभी नैशनेलाइज्ड बैंकों को भी कवर किया है। इसके साथ ही साथ प्राइवेट लैण्डर्ज जो मनी लोगों को देते थे, उनको भी कवर किया है और जो हमारे को–आप्रेटिव बैंक्स हैं, उनको भी कवर किया है। इसमें मोटी दो ही चीजें हैं। एक बात तो यह है किसी भी सूरत में 10 परसैन्ट से अधिक इन्ट्रैस्ट नहीं लिया जायेगा या जो रिजर्व बैंक का इन्ट्रैस्ट होगा, इन दोनों में जो अधिक होगा, वह लिया जायेगा। किसी सदस्य ने यहां पर यह बात कही कि प्रिन्सिपल से चार–चार गुना तक अधिक अमाउन्ट इन्ट्रैस्ट का लोगों से वसूल कर लिया है और प्रिन्सिपल फिर भी खड़े का खड़ा है। इसके लिए एक मोटी सी बात मैं सभी सदस्यों की जानकारी के लिये यह बताना चाहता हूं कि यदि किसी व्यक्ति ने 10 हजार रूपया कहीं से लोन का लिया है और उस 10 हजार के बदले वह 25 हजार रूपए दे चुका है तो अब वह अपने 5 हजार

रूपये वापस ले सकेगा। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि जितना उसने कर्ज लिया है, उसका डबल तक यदि दे दिया है तो कोई पैसा उसे वापस नहीं मिलेगा लेकिन यदि डबल से अधिक वह पे कर चुका है तो उसे डबल से अधिक पे किया हुआ अमाउन्ट वापस मिल सकता है।

श्री हीरा नन्द आर्य: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मैं मंत्री जी से यह क्लीयर करना चाहता हूं कि जो इन्होंने डबल अमाउन्ट से अधिक अमाउन्ट वापस लेने के लिये कहा है, क्या इसमें दूसरा खर्चा कोर्टस वगैरा का भी शामिल है या नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो लोग अधिक पे किए हुए अमाउन्ट को वास लेंगे तो उन्हें कोर्टस आदि जगहों पर खर्चा करना पड़ेगा, क्या वह खर्चा भी डबल में माना जाऐगा या नहीं।

श्री सूरज भान: अभी तक तो इन्ट्रैस्ट और प्रिन्सिपल अमांउन्ट ही शामिल है। Nothing beyond that.

सेठ लछमन दास बजाज: मैं भी मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसमें खेती करने वालों के अलावा इण्डस्ट्रियलिस्टस भी शामिल हैं?

श्री सूरज भान: नहीं, इसमें किसान ही शामिल नहीं हैं बल्कि आर्टीजन्ज भी शामिल होंगे। इससे छोटा जमींदार, बढ़ई, लुहार, दुध उद्योग, बागवानी की किसी वस्तु का उत्पादन, खेती उगाना तथा काटना, पशुपालन, मधु मक्खी पालन या मुर्गी पालन

करना और जो इस खेती मजदूर के साथ लगते धंधे हैं, वे सभी इसमें शामिल होते हैं चाहे वे कोई भी व्यक्ति क्यों न हों। अन्त में मैं उपाध्यक्ष महोदय, उन सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस बिल की सराहना की है। With these words, Sir, I beg to move–

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker: Question is –

That the Bill, as amended, be passed.

The motion was carred.

(iii) दि हरियाणा हाउसिंग बोर्ड (अमैंडमैंट) बिल, 1989

Mr. Deputy Speaker: Now the Minister of State for Housing will introduce the Haryana Housing Board (Amendment) Bill, 1989 and also move the motion for its consideration.

Minister of State for Housing (Sh. Subhash Chand Katyal): Sir, I introduce the Haryana Housing Board (Amendment) Bill, 1989.

Sir, I also beg to move –

That the Haryana Housing Board (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved –

That the Haryana Housing Board (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): उपाध्यक्ष महोदय, आज यहां पर जो हरियाणा आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1989 पेश किया गया है मैं उसके विशय में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। जो अमैंडमैंटस इसमें की गई हैं, वे एक तो इसलिये की गई हैं कि वर्श 1971 के बाद हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान दो बार यानी वर्श 1979 में और 1986 में संशोधित हो चुके हैं। वेतनमानों में संशोधन के फलस्वरूप यह जो संशोधन किया गया है, यह उचित है। अब इसके लिए सरकार को ऐक्ट में संशोधन कराने के लिए बार बार हाउस से इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी। अब इसको ऐसा अधिकार मिल जायेगा कि यह समय–समय पर नोटिफिकेशन के द्वारा उन पदों की कैटेगरीज घोशित कर सकेगी। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे इस बिल द्वारा ऐक्ट में संशोधन यह किया गया है कि यदि कोई जमीन 5 साल से अधिक समय तक के पट्टे पर खरीदनी है या ऐक्सचेंज की जानी है, तो उसकी सीमा 10 लाख से 50 लाख रूपये की गई है। क्योंकि जमीन की कीमतें काफी बढ़ गई हैं इसलिये 10 लाख की बजाय यह सीमा 50 लाख ठीक ही कर दी गई है। हुड्डा भी एक सरकारी ऐजेंन्सी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन भी ठीक है। लेकिन इसके साथ ही एक और अमैंडमैंट की गई है। पहले जिला न्यायाधीश या किसी अन्य न्यायिक अधिकारी जिसे उच्च न्यायालय

की सलाह के साथ सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो, को पैनल्टी आदि की अपील की जा सकती थी। पहले अगर कोई बोर्ड के फैसले से खुश नहीं होती थी तो 30 दिनों में अपील कर सकता था। अब वह अपील डिप्टी कमिश्नर या सरकार द्वारा नियुक्त अन्य अधिकारी को की जा सकती है। अब सैशन जज को हटा कर डिप्टी कमिश्नर या कोई अन्य अधिकारी, जिसे सरकार नियुक्त करे, किया गया है। यह अमैंडमैंट मेरी समझ में नहीं आई। हमारे यहां न्यायपालिका ठीक प्रकार से न्याय दे रही हैं फिर हमारी सरकार ने सैशन कोटर्स से यह अधिकार लेने की अमैंडमैंट क्यों की है, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। सैशन कोर्ट के बजाए डिप्टी कमिश्नर या किसी अन्य अधिकारी को यह अधिकार क्यों दे रहे हैं यह स्थिति स्पश्ट होनी चाहिए ताकि यह पता लगे कि यह किस लिए किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि आज प्रान्त में और देश में हाऊसिंग की बड़ी भारी समस्या है। आज सारे देश में जगह–जगह पर मकानों की समस्या बढ़ती ही जा रही है। जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, इस हिसाब से हाऊसिंग प्रौब्लम देश और प्रदेश में भयावह रूप से बढ़ती जा रही है। जनसंख्या के बढ़ने के साथ ही यह समस्या शहरों और कस्बों में विशेश रूप से विकट रूप धारण करती जा रही है और दिन प्रतिदिन कठिनाइयां पैदा होती चली जा रही हैं। इन कठिनाइयों को हल करने के लिये हाऊसिंग बोर्ड जिस रफतार से कार्य कर रहा है, उस रफतार से आने वाली पीढ़ियों को रिहायशी मकान उपलब्ध नही हो सकेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इसके

लिये कोई ऐसी योजना बनाई जाए, कोई ऐसा प्रावधान किया जाए, जिससे कम कीमत पर लोगों को मकान उपलब्ध करवाए जा सकें। अवांछनीय कालोनीज पर पाबन्दी लगाने से पहले जब तक उसका कोई आल्टरनेटिव अरेंजमैंट तलाश कर मकानों का इन्तजाम नहीं करेंगे, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए यह जरूरी है कि सस्ते मकान बनाकर लोगों को उपलब्ध करवाए जाएं। हुड्डा द्वारा बनाए गए मकानों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, कई जगहों पर हरिजनों के लिए अलग कालोनियां बनाई गई, लेकिन हरिजनों ने उन मकानों का कब्जा लेने से इन्कार कर दिया क्योंकि उन मकानों को बनाने में जो मैटीरियल इस्तेमाल किया गया, वह बहुत ही घटिया स्तर का था। दीवार पर अगर हाथ लगाएं, तो सीमेंट मिट्टी की तरफ दीवारों से गिरता है। इस प्रकार का घटिया मैटीरियल लगाने के लिए जो भी अधिकारी या कर्मचारी जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। ठेकेदार ने अगर कोई गड़बड़ की है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। ठेकेदार ने अगर कोई गड़बड़ी की है तो वह कर्मचारियों और अधिकारियों से मिल कर ही की होगी। इसलिये उन सभी के खिलाफ ऐक्शन होना चाहिए, कार्यवाही होनी चाहिए। मकान बनाने के लिए जो जमीन ऐक्वायर की जाती है, वह केवल शहरों में ही नहीं होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सिर्फ गुड़गांवा, फरीदाबाद या पंचकुला में ही लोग नहीं बसते, देहातों में भी लोग बसते हैं और उनको भी सड़क, सीवरेज, लाईट और अन्य सुविधाएं शहरों की

भान्ति ही मिलनी चाहिएं। किसान से जो जमीन ली जाती है उसको 10 रूपये 20 रूपये 50 रूपये या 100 रूपये प्रति गज के हिसाब से पैसे दिये जाते हैं। लेकिन उसी जमीन को जब हुड्डा या हाउसिंग बोर्ड अपने कब्जे में ले लेता है तो 500, 700 और 800 रूपये प्रति वर्ग मीटर के भाव से बेचता है। इतने महंगे भाव से जमीन परचेज करना आम आदमी के लिए सम्भव नहीं है। यह 500, 700 और 800 रूपये पर सक्वेयर मीटर के हिसाब से कीमत नहीं दे सकता। इसलिये सरकार को कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे वह सस्ते भाव पर जमीन ले सके। डी.सी. हाउसिंग बोर्ड के अफसर या कमेटी के अधिकारियों को ऐसे अधिकार दिये जायें कि वे गरीब आदमी और किसान को 50 रूपये गज के हिसाब से डिवैल्प की हुई जमीन दे सकें। गरीब आदमियों के लिए डबल रोड बनाने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिये तो छोटी सड़कें, छोटी ईटों की बनी हुई स्ट्रीट बनाकर मकान दिये जायें। उन लोगों का रहन–सहन और आर्थिक स्थिति को देखते हुए मकान दिये जाने चाहिये। उनको कम कीमत के मकान दिये जाने चाहियें उनके लिए 500 रूप्ये गज का प्लाट खरीदना सम्भव नहीं है। किसी भी व्यक्ति को जीने के लिए मकान जरूरी है। जब तक यह हाउसिंग प्रौब्लम हल नहीं होगी तब तक गन्दी बस्तियां इसी प्रकार से बढ़ती चली जायेंगी। उन्हें कोई रोक नहीं पायेगा। जहां तक अन–अथोराइज्ड कालोनी ज बनाने की बात है, वह इसी तरह से चालू रहेंगी क्योंकि जब उन लोगों को मकान बनाने के लिए 100 और 50 रूपये गज के भाव से प्लाटस मिलेंगे तो वे 500

रूपये गज के हिसाब से सरकार से क्यों खरीदेंगे? अगर आप इन लोगों को रोकेंगे तो सारे प्रदेश और देश के लोगों के लिए कानून बना कर कहां तक जेलों में डालेंगे? ऐमरजैंसी में कांग्रेस सरकार ने लोगौं को जेलों में डाला था। उसके क्या परिणाम रहे, वे सब जानते हैं। इसलिये इस प्रकार से नहीं किया जा सकता। जब तक उनके रहने की व्यवस्था नहीं करेंगे, आवासीय सुविधा नहीं देंगे, सस्ती दर पर प्लाटस नहीं देंगे तब तक यह प्रौब्लम बढ़ती ही जायेगी। इसी प्रकार से गन्दी बस्तियां भी बढ़ती जायेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री मंगल सैन (रोहतक): डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे हाउसिंग बोर्ड के नवयुवक मंत्री महोदय ने सदन में संशोधित बिल पेश किया है। भाई आर्य जी ने बड़ी खूबसूरती से अपनी बातें कहीं हैं। मैं केवल एक बात पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। सुभाश जी स्वयं वकील हैं, उन्हें जुडिशियरी से डर क्यों लग गया? जो फरीयाद करने वाला आदमी है, वह जुडिशियरी के पास जायेगा। अब जुडिशियरीके पावर छीन कर ऐग्जैक्टिव के पास भेज रहे हैं। जब बड़ी बदकिस्मती है। कांग्रेस ने यह मामला बिगाड़ा हुआ था कि न्यायपालिका रहे ही नहीं। अव्वल तो जीवन का पहलू कोई ठीक ही नहीं रहा लेकिन जो रही सही बात थी, वह तो रहनी चाहिए थी। न्यायापालिका में भरोसा करना चाहिए। हम इस बात में सही नहीं है कि न्यायापालिका ठीक फैसला नहीं करती।

अगर न्यायपालिका का फैसला हमारे खिलाफ आता है, तो हमें रूल आफ ला पर विश्वास करना चाहिए, उसको मान लेना चाहिए यह कदम बहुत ही गलत होगा यदि हम ऐग्जैक्टिव के हाथ में पावर देंगे। अब डिप्टी कमिश्नर और एस.डी.ओ. फैसला करेंगे। एस.डी.एम. से इसका ताल्लुक होगा। यह तो पहले कांग्रेस पार्टी ने बरबादी की थी। हमीर दो पार्टीज की सरकार है। हम जो भी काम करते हैं, वह अपने बलबूते पर करते हैं। एस.डी.एम. का काम ला मेनटेन करने का है। उससे वही काम खूबसूरती से लिया जाना चाहिए। जो हमने उन्हें इस काम का बैनिफिट दिया है, इससे वे अपना ही बैनिफिट लेंगे। इसलिये यह प्रवृति ठीक नहीं है। इसे रोकना चाहिए। इसके अलावा इसमें हुड्डा की भी चर्चा है। हुड्डा का जमीन लेने का दूसरा भाव होता है और देने का दूसरा भाव होता है। आज हुड्डा वाले बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने जो काम अटैंशन मोशन दिया था, उसको ऐडमिट नहीं किया गया। कहा गया कि स्ट्राईक, बन्ध और हड़ताल यह काल अटैंशन मोशन के कारण नहीं होते। डिप्टी स्पीकर साहब, आखिरकार जब टैंशन लोगों में क्रिएट होती है, बेचैनी होती है, तो यह सदन किस मर्ज की दवा है? सदन में ही तो चर्चा होगी। कहीं चौराहे पर तो चच्र होगी नहीं। आखिरकार जन प्रतिनिधि कहां बोलेंगे? जहां सरकार बैठी होगी, वहीं पर तो सीधा सवाल–जवाब हो सकता है। सरकार की ओर से वक्तव्य आयेगा, उस पर सदस्य अपनी शंकाओं का समाधान करेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि हुड्डा एक बड़ा ही नोटोरियस डिपार्टमैंट बन

चुका है इस सरकार ने सत्ता में आते ही एक रात को कागज गुम हो गये थे लेकिन फिर मिल भी गये। इस बारे में जितने भी ब्यान दिये गये, उनसे मामला उलझा है, सुलझा नहीं है। अब इस क्षेत्र में कई ऐसे कौलोनाइजर्ज घुम आये हैं जिनके बारे में मैं व्यंग्य में कहता हूं कि ये बारहमासी लोग हर सरकार में पाये जाते हैं। कहीं आपको ऐक्सपोर्ट कारपोरेशन में मिल जायेंगे तो कहीं हुड्डा में मिल जायेंगे, लेकिन ये पाये अवश्य जायेंगे। अब वे गुड़गावां की और फरीदाबाद की अथौरिटी के प्रधान बनने के चक्कर में हैं। बीटवीन दी लाईन्ज पढ़ने से यहा पता चलता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। हमारी सरकार तो दाल को काला होने ही नहीं देगी। दाल का जो रंग है, वह तो वही रहेगा, जो उसका असली रंग है। मैं अपनी बात को पुनः कहते हुए यह कहना चाहता हूं कि कृपया जुडीशियरी से यह अधिकार न लें। बाकी इस बिल के द्वारा जो दूसरी शक्तियां बढ़ाई गयी हैं उनको बढ़ाने का आपको अधिकार है। आप को सारे अधिकार मिले हैं, जब चाहें, जो कर लो। गवर्नर साहब बैठे हुए हैं, उनसे आर्डीनैन्स करवा दो या यहां अनुमोदन के लिये रख दो। क्या दिक्कत है? मैं इतनी सी बात कहते हुए, क्योंकि सरकार का साथ देना है, इसलिये इसका समर्थन करता हूं।

श्री रघु यादव (रिवाड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सम्मुख हरियाणा आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक,1989 प्रस्तुत है। यह विधेयक जो है, स्वागत योग्य है। मैं इसका समर्थन करने

के लिये खड़ा हुआ हूं। (व्यवधान व शोर) डाक्टर साहब, मजबूरी में समर्थन करते है। हम इस सरकार के साथ हैं और अपनी इच्छा से समर्थन कर रहे हैं। (व्यवधान व शोर) मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। समर्थन करने लायक ही यह संशोधन विधेयक है लेकिन जैसे मेरे से पूर्व वक्ता हमारे वरिश्ठ सदस्य डाक्टर मंगल सैन जी ने कहा, उक्त ऐक्ट की धारा 54 तथा 72 के तहत सरकार की संशोधन शक्तियां स्पश्ट नहीं हैं। धारा 54 (i)(ii) के अन्तर्गत लगाई गयी पैनल्टी आदि की अपील जिला न्यायाधीश या किसी अन्य न्यायिक अधिकारी जो उच्च न्यायालय की सलाह के साथ सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो, को की जा सकती थी। लेकिन अब यह शक्ति उपायुक्त और ऐनी अदर ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर को देने की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में कांग्रेस का राज रहा। इस देश में जो सरकारी तन्त्र रहा, उसको देखकर लोगों में बड़ी निराशा फैल रही है। लोग बड़े निराश हो गये हैं कि यह भ्रश्टाचार बन्द होगा या नहीं, पक्षपात और भाई भतीजावाद दूर होगा या नहीं। लोगों को यह लगता है कि हर काम रिकोमैंडेशन से होते हैं। हर काम पक्षपातपूर्ण तरीके से किया जाता है। कांग्रेस राज के दौरान ऐसा माहौल गड़बड़ा गया, ऐसी सड़न भरी गयी कि लोग बड़े निराश हो गये हैं। मेरा खुद का अनुभव है, उपाध्यक्ष महोदय, अधिकारीगण जो है, यह प्रभावित होकर काम करत हैं। अभी चर्चा भी हुई। सारा हरियाणा जानता है कि * * * *

Mr. Deputy Speaker: This is not to be recorded. Yadav Sahab, it is not relevant. Please try to be relevant.

12.00 बजे

श्री रघु यादव: उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को न्यायिक अधिकारी या जो जुडिशियरी है, उस पर काफी विश्वास है। अगर किसी के साथ ज्यादती हो किसी के साथ अन्याय हो तो वे यह उम्मीद करता है कि अगर वे न्यायालय में जायेंगे तो वहां पर ही उनको न्याय मिल सकेगा। इसलिये अपील करने का जो अधिकार है, यह न्यायालय के पास ही रहना चाहिए, जुडिशियरी के पास ही रहना चाहिए। अधिकारियों के पास नहीं रहना चाहिए। मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि इस क्लाज को विदड्रा कर लिया जाए और न्यायालयों को ही अपील के बारे में फैसला करने का अधिकार रहना चाहिए ताकि लोगों का जो विश्वास न्यायालयों पर है, वह कायम रहे। बाकी, मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मेरे इस निवेदन को मंत्री महोदय मानेंगे और न्याय के अधिकार को न्यायालयों के पास ही रखेंगे।

श्री योगेश चन्द शर्मा (बल्लभगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आवास मंत्री जी ने जो संशोधन विधेयक रख है इसमें सबसे बड़ी बता यह है कि एक क्लाज को ये अमैंड कर रहे हैं। पहले ऐक्ट में यह था – ''उस जिले के, जिसमें बोर्ड का परिसर स्थित है, जिला न्यायाधीश को या उस जिले के किसी ऐसे अन्य न्यायिक अधिकारी

को, जिसे राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से इस निमित करें''। इसकी जगह अब इन्होंने कहा है –''उस जिले के, जिसमें बोर्ड का परिसर स्थित है, उपायुक्त को या किसी ऐसे अन्य अधिकारी को जिसे राज्य सरकार इस निमित नियुक्त करे''। यह जो क्लाज है, इसमें ऐक्बिगियूटी है। इसमें उन अधिकारों का डिप्टी कमिश्नर का देने की बात कही गई है जोकि ठीक नहीं है। वैसे तो मैं इस बिल में संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं लेकिन इसमें जो यह क्लाज ऐड की जा रही है मैं समझता हूं कि यह जरूरी नहीं है और इसको निकाल दिया जाए क्योंकि आज भी इस मुल्क में डैमोक्रेसी की जो आधारशीला है, वह जुडीशियरी है। पिछले दिनों हमारे उच्च न्यायालय ने हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ वरडिक्ट दिया था। चाहे उन्होंने अपने पद को नहीं छोड़ा, यह दूसरी बात है लेकिन बाद में उनको इसके परिणाम भुगतने पड़े थे। मैं समझता हूं कि जुडीशियरी डैमोक्रेसी के ऊपर से हमारा फेथ हट जाएगा, उसी दिन डैमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। मैं मंत्री जी से रिक्वैस्ट करूंगा कि वे कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे जुडीशियरी का फेथ अन्डरमाईन हो। इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं।

सेठ लछमन दास बजाज (करनाल): डिप्टी स्पीकर साहब, आवास मंत्री जी जो यह बिल लाए हैं, यह बिल ठीक नहीं है। वैसे तो हम इसका समर्थन करेंगे ही लेकिन मेरी प्रार्थना है कि इसको वापिस लिया जाए। हमारे शहर में बाईस कालोनीज है

लेकिन आज तक वहां कोई डिवैल्पमैंट नहीं हुई है न वहां सड़क है, न वहां गलियां ठीक हैं और न ही वहां पर पानी निकालने के लिये नालियां हैं। वहां पर सड़कें इस तरह की हैं कि उन पर चलना भी मुश्किल है। इस संशोधन के जरिये जुडिशियरी से छीनकर जो डिप्टी कमिश्नर्ज और कमिश्नर्ज को अधिकार दिया जा रहा है, यह ठीक नहीं है। यह अधिकार जुडीशियरी के पास ही रहना चाहिए। ऐसा करने से लोगों को न्याय नहीं मिल सकेगा। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि इस पर दुबारा विचार किया जाए। वैसे मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

आवास राज्य मंत्री (श्री सुभाश चन्द कटियाल): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने कुछ शंकाएं रखी हैं। यह बात काफी सोच समझकर इस बिल में लाई गई है। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड 1971 में बना था। अब तक लगभग बत्तीस हजार मकान हाउसिंग बोर्ड ने बनाए हैं और इनमें से सत्तर प्रतिशत ई.डब्ल्यू.एस. और लो इंकम ग्रुप के लिए बनाए गए हैं। इस काम को और तेजी से बढ़ाने के लिए यह बिल लाया गया है ताकि जल्दी मकान बनें और कस्टमर्ज को कोई असुविधा न हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह अमैंडिग बिल लाया गया है। जुडिशियरी से कोई डरने की बात नहीं है। जुडीशियरी पर हम कोई शंका नहीं कर रहे हैं लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं कि कोर्ट में जाने के बाद पांच सात साल फैसले में लग जाते हैं। हम चाहते हैं कि जो लोग मकान लें, अगर उनको मकानों के खिलाफ कोई शिकातय है तो

उसका जल्दी फैसला हो। उनकी सुविधा के लिए यह बिल लाया गया है। यह बिल इसलिये लाया गया है कि अगर कोई ऐग्जैक्टिव नेचर का मामला हो, तो उसको जल्दी हल किया जा सके। हुड्डा में भी इस प्रकार ऐग्जैक्टिव नेचर के मामले होते हैं। लोगों को अपील की पावर तो रहेगी ही। कोर्ट में जाने के लिये हम नहीं रोकते और न रोकेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल बड़ा सोच–समझकर लाया गया है। इसलिये इसको पास किया जाए।

Mr. Speaker: Question is –

That the Haryana Housing Board (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is –

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is –

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker: Question is –

That clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 5

Mr. Speaker: Question is –

That clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 6

Mr. Speaker: Question is –

That clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is –

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is –

That Title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Minister of State for Housing will move that the Bill be passed.

Minister of State for Housing (Sh. Subhash Chand Katyal): Sir, I beg to move –

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is –

That the Bill be passed.

The motion was carred.

(iv) दि पंजाब मोटर व्हीकल्ज टैक्सेशन (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1989

श्री उपाध्यक्ष: अब एक मंत्री दि पंजाब मोटर व्हीकल्ज टैक्सेशन (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1989 को इन्ट्रोडयूस करेंगे तथा उसे कंसीडर करने के लिये मोशन मूव करेंगे।

Minister of State for Housing (Sh. Subhash Chand Katyal): Sir, I beg to introduce the Punjab Motor Vehicles Taxation (Haryana Amendment) Bill, 1989.

Sir, I also beg to move –

That the Punjab Motor Vehicles Taxation (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved –

That the Punjab Motor Vehicles Taxation (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री मंगल सैन: उपाध्यक्ष महोदय, परिवहन मंत्री तो शायद आज पधारे नहीं हैं भिवानी गये हुए हैं रैली को कामयाब करवाने के लिये इसलिये हाउसिंग राज्य मंत्री महोदय ने यह बिल इंट्रोडयूस किया है। चलो ठीक है। मन्त्रिपरिशद की यह सांझी जिम्मेदारी होती है। इस बिल के जरिये ये हमसे यह करवाना चाह रहे हैं कि सदन से यह अनुमोदन करवा लिया जाए कि पहले स्कूटर, मोटर साईकल व कारों पर जो रोड टैक्स तीन महीनों के बाद लिया जाया करता था, अब वह हमेशा के लिये एक साथ ही इकट्ठा ले लिया जायेगा। डिप्टी स्पीकर साहब, अभी अभी हमने एक बिल जोकि खेतीहर मजदूरों के बारे में था, पर चर्चा की है। जो लोग गांव में बसते हैं, उनके बारे में यहां पर चर्चा की गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, गांव हो या शहर हो लेकिन यह देश तो गरीबों का है। एक प्रगतिशील नेशन तो जरूर है। आजादी के बाद लोग अपने अपने पांव पर खड़े हुए हैं और हो रहे हैं।

नये—नये आविश्कार भी हुए हैं। हर लिहाज से यह देश आगे बढ़ा है। इस बिल के जरिये हमारी सरकार ने यह तो कह दिया कि रोज रोज की दिक्कतों से बचने के लिये एक बार ही टोकन टैक्स वसूल किया जाएगा लेकिन इसमें वह राशि नहीं दर्शायी गई है कि कितनी राशि ली जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, पता नहीं ईश्वर जाने वह मोटर साईकिल, स्कूटर कब तक रहेंगे। कहीं ऐक्सीडैन्ट में न आ जाएं लेकिन इनका पैसा एक ही बार भर दिया जाए, यह कुछ अटपटा सा लगता है। यह तो हम मान लेते हैं कि तीन महीने की बजाय इकट्ठा पैसा इसलिए ले रहे हैं कि सरकार को पैसों की जरूरत है। सरकार ने कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई, पैन्शन बढ़ाई है और कर्जे माफ किए हैं इसलिये रूपयों की जरूरत रहती है लेकिन थोड़ा यह स्पश्टीकरण कर दें कि लम्प—सम टैक्स कितना लिया जायेगा। आवास मंत्री जी को अगर इस बारे में पता हो तो वे हमें समझा दें। यह भी समझा दें कि पहला सिस्टम क्यों खराब है और नया सिस्टम क्यों अच्छा है? इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब मोटरयान कराधान (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1989, जो सदन में प्रस्तुत हुआ है, के विशय में बोलने के साथ साथ मैं कुछ सुझाव भी प्रस्तुत करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि हमारे प्रदेश में तो सवारी वाली ट्रांसपोर्ट नेशनेलाईज्ड है, लेकिन राजस्थान और दूसरे प्रदेशों में नेशनेइज्ड नहीं है। ऐसा न

होने के कारण बहुत सी प्राइवेट बसिज हमारे महेन्द्रगढ़ साइड से, भिवानी साइड से और सिरसा साइड से हरियाणा में आती हैं। इन तीनों जगहों के साथ राजसाान बोर्डर लगता है। कई प्राइवेट पार्टीज ऐसी है जो असरदार हैं और जिनको राजनीतिक समर्थन प्राप्त है। वे अपनी बसें चलाते हैं और सवारियां को टिकट भी काट कर नहीं देते इस कारण से सरकार को घाटा होता है और उनके वारे–न्यारे हो रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस बारे में भी सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिएं ताकि वे प्रदेश में लूट न मचा सकें। इस बात की भी जांच की जाए कि उनके साथ किस किस अफसर की मिली भगत है। मैंने इस सारी बातों के संबंध में मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भी लिखा था। मैंने उनसे यह भी प्रार्थना की थी कि हमारे प्रदेश में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट जब कंडम व्हीकल्ज की नीलामी करता है, उस वक्त भी बहुत से एंटी सोशल ऐलीमैंटस का एक गिरोह सा बन जाता है। कई बार तो नीलामी के समय ऐसी हालत हो जाती है कि वे लोग बोली करने ही नहीं देते। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) बुक वैल्यू के हिसाब से डैप्रीसिएशन निकाल कर व्हीकल को ले लेते हैं। स्पीकर साहब, वे उस व्हीकल को वहीं खड़े–खड़े ज्यादा कीमत पर बेच देते हैं। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्यवाही करनी चाहिए ताकि सरकार को घाटा न हो। अध्यक्ष महोदय, इस विशय में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सेल्ज टैक्स से आमदनी हमारे प्रदेश में न के बराबर हो चली है। दूसरे प्रदेश जैसे गोआ और दिल्ली हैं, वहां पर हमारे प्रदेश से सेल्ज टैक्स में काफी

अन्तर है। उनके यहां सेल्ज टैस की दर कम है और हमारे यहां ज्यादा है। इसलिए लोग अपने व्हीकल खरीदने के लिए गोआ तक चले जाते हैं। हम वजह से हमारी टैक्स से आमदनी न के बराबर रह जाती हे। मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे हमारा रैवेन्यू बढ़े। अब लोग व्हीकल लेने के लिए बाहर चले जात हैं, जिसके कारण हमारे प्रदेश को काफी हानि होती है। अध्यक्ष महोदय, यह सेल्ज टैक्स में जो गड़बड़ है इसे ठीक किया जाना चाहिए। जो मैटाडोर, जीप या दूसरी व्हीकल्ज वगैरह हैं उनके ऊपर सेल्ज टैक्स ऐसी दर से लगाना चाहिए जिससे सरकार को इन्कम हो सके। इसके साथ–साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में जो फोर व्हीलर्ज या मैटाडोर हैं, उनके मालिक ऊंचे पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के संरक्षण के कारण सावारियां ढोते हैं जबकि हरियाणा में फोर व्हीलर्ज और मैटाडोर्ज के मालिक हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब को बदनाम करते हैं। वे कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हमारा आदमी है। हम अपने व्हीकल्ज से सवारी ले जाएंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता। वे अपने फोर व्हीलर्ज और मैटाडोर बस अड्डे के सामने खड़ा कर लेते हैं और बस अड्डे के सामने से सवारियां उठाकर ले जाते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि जो इनकम हमारे रोडवेज डिपार्टमैंअ को आनी चाहिए, वह नहीं आती। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस ओर हमारी सरकार को कोई न कोई दकम अवश्य उठाना चाहिए जिससे यह प्राइवेट व्हीकल्ज द्वारा सवारियां ढोने का काम बन्द हो। अगर यह बात

सही है कि हमारी सरकार या हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के संरक्षण से वे लोग ऐसा करते हैं, तो जो लोग सरंक्षण देते हैं, उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जाए। इस बारे में पूरी तरह से जांच पड़ताल की जानी चाहिए। किसी आदमी की असलियत का पता तभी चलता है, जब उसकी जांच की जाती है। अध्यक्ष महोदय, 9 जनवरी, 1989 को मैंने सी.एम. साहब को एक डिटेल्ड लैटर लिखा था कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट में बोगस टिकटें बिकती हैं और बसों के अनेकों बार ऐक्सीडैंड भी हुए हैं, उनकी जांच पड़ताल करवाई जाए। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमैंट की दो बसों का आपस में टकराव हो गया था। उन दोनों बवों के ड्राइवर्ज और कंडक्टर्ज एक ही गांव के रहने वाले थे। पता नहीं वे नशे में थे या किसी और कारण से, वह ऐक्सीडैंड हो गया था। यह मुझे पता नहीं है लेकिन वह ड्राइवर कई बार बसों का ऐक्सीडैंट कर चुका है और हर बार ऐक्सीडैंट करने के बाद उसको नई बस दे दी जाती है लेकिन यह बात अभी तक रिकार्ड में नहीं आई। इस बार रिकार्ड में इसलिए आ गई क्योंकि इस ऐक्सीडैंट में दो आदमी मर गए। वे कहते हैं कि हमारे घर का मंत्री है। यह बात मैं तो नहीं कह सकता कि मंत्री जी उनके घरके हैं लेकिन उनका गांव तालू है और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी तालू गांव के रहने वाले हैं। इस तरह से लोगों के मन में शंकााएं जरूर पैदा हो जाती हैं। ऐसे अवांच्छित तत्वों को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट में भर्ती नहीं किया जाना चाहिए। मैंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से हाउस में एक सवाल पूछा था कि ट्रांसपोर्ट

डिपार्टमैंट में डेली वेजिज और ऐडहाक बेसिज पर कितने कर्मचारी लगाए हें तो उसका मिनिस्टर साहब ने सही जवाब नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के मुताबिक पिछले दो साल में लगभग 1500 आदमी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट में डेलीवेजिज और ऐडहाक बेसिज पर लगाए गए हैं जिनकी उम्र 50–55 साल तक है और उनके फिक्टिशीयस लाईसैंस बनवाए गए हैं जिनमें उम्र कम दिखाई गई है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि चौ. देवी लाल जी का भ्रश्टाचार मिटाने का जो नारा है, उसको लैटर एंड स्पिरिट में इम्पलीमैंट किया जाए। अगर भ्रश्टाचार नहीं मिटता है तो उससे उनके नारे का मखौल उड़ता है।

श्री अध्यक्षः आर्य साहब, अब आप वाइंड अप करें। आपने जो मुख्य बात कहनी थी वह तो आपने कह दी हैं।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मैंने जो मुख्य बातें कहनी थीं, वह तो कह दी हैं। लेकिन ....

Mr. Speaker: Then you please take your seat.

श्री हीरा नन्द आर्यः अच्छा जी, धन्यवाद।

श्री बलबीर सिंह चौधरी (फतेहाबाद): स्पीकर साहब, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने जो यह दि पंजाब मोटर व्हीकल्ज टैक्सेशन (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1989 पेश किया है, इस पर मैं अपने विचार प्रकट करने क लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, जो छोटी–छोटी गाड़ियों जैसे मोटर साइकिल, मोपेड

वगैरह हैं या जिनके पास कारें हैं, उनको सुविधा देने के लिए सरकार का ध्यान उनकी तरफ गया है। इन छोटी–छोटी व्हीकल्ज के ओनर्ज को दफतरों के चक्कर काटने पड़ते थे। उससे वे बच जाएंगे और सरकार को यह जो मुफ्त का काम बढ़ जाता था वह घटेगा। इसमें कोई शक नहीं है। यह अमैंडमैंट समर्थन के योग्य है लेकिन इसके फाइनैंशियल मैमोरैंडम में लिखा है किः–

".........The lumpsum tax will be total of the average tax paid by a vehicle owner rounded off to next ten ...."

This is not clear.

इसलिए यह वेग अमैंडमैंट है और मैं यह कहूंगा कि जहां प्राईवेट काम करने वालों की सुविधाओं की तरफ ध्यान दिया जाए वहां गरीब जनता जो गांव में बसती है और जिनके पास आने–जाने के साधन नहीं हैं, उनकी समस्या की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। वे लोग प्राईवेट कार, स्कूटर या मोपेड लेने के काबिल नहीं हैं। इसलिए सरकार को उनकी आने–जाने की सुविधा के लिए कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस समय कई स्थानों पर पीटर इंजन के गड्डे चल रहे हैं। इनमें जो लोग बैठकर सफर करते हैं, उन्हें बड़ी भारी परेशानी होती है। इस इन्जनों को पंजाब में मारूता और हरियाणा में स्काईलैब कहा जाता है। मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्ट अधिकारियों द्वारा, आर.टी.ए. और जनरल मैनेजरों द्वारा चैकिंग की जा रही है, उसके

बावजूद भी वे लोग इन पीटर इंजनों के गड्डों को खूब चला रहे हैं। इन पर कोई रोक नहीं है। ऐसे इंजनों पर लोड उठाने की बजाए भेड़—बकरियों की तरफ सवारियों को ढोते हैं। क्या कभी सरकार ने यह विचार किया कि गांव में रहने वाले और खेतों में रहने वालों का क्या कसूर है कि उनको सुविधाजनक सवारी नहीं उपलब्ध करवाई जा रही? यदि रात के समय गांवों में रहने वाले और खेत में रहने वाले लोग बीमार हो जाएं तो उनके पास कोई सवारी नहीं है कि वे उसको शहर के हस्पताल में ले आयें। वहां पर कोई साधन नहीं है कि वे 100 रूपए देकर या 150 रूपए देकर अपने बीमार आदमी को कड़कती धूप में या सर्दी में शहर ले आयें। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या खेतों में रहने वाले और गांवों में रहने वाले लोगों को इस असुविधा से बचाया जाएगा? मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि कई स्थानों में खेतों में अन्डर ग्राउंड वाटर स्वीट होने के कारण वहां पर लोग गांवों से निकल कर खेतों में बस गए हैं। उन लोगों के पास साधन नहीं हैं किवे अपने आने—जाने के लिए कार वगैरा खरीद सकें। जब वे खेत से बाहर निकलते हैं तो उन्हें बसें उपलब्ध नहीं होतीं। जो ये पीटर इन्जन चल रहे हैं, ये खेतों में जहां सवारी बैठना चाहती है, ब्रेक लगा कर बैठा लेते हैं और उन लोगों को फिर कड़कती धूप और सर्दी में भेड़—बकरियों की तरह शहर में आना पड़ता है। आज के दिन हरियाणा के काफी नौजवान बेरोजगार हैं। अध्यक्ष महोदय, यू.पी. राजस्थान, पंजाब, हिमाचल और दिल्ली में टोटल ट्रांसपोर्ट नेशनेलाइज नहीं हैं। यहां तक कि

कलकत्ता के अन्दर, जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, वहां पर भी पूरी ट्रांसपोर्ट नेशनेलाइजड नहीं की हुई है। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जब बंसी लाल जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री थे उस समय तो ट्रांसपोर्ट बिजनैस पंजाबियों के हाथों में था, उसको विकटेमाइज करने के लिए टोटल ट्रांसपोर्ट नेशनेलाइज कर दिया जो कि अनुचित था। मैं वैस्ट बंगाल की बात कर रहा थां मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि वहां पर भी 65 प्रतिशत ट्रांसपोर्ट का नेशनेलाईजेशन है और 35 प्रतिशत ट्रांसपोर्ट प्राईवेट लोगों के हाथों में है। मैं सदन की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि जब सरकारी ट्रांसपोर्ट की हड़ताल होती है तो यह प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वाले ही सरकार का साथ देते हैं। पिछले दिनों जब दिल्ली में डी.टी.सी. के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी तो उस समय दिल्ली में यातायात को चलाने का काम इन प्राईवेट ट्रांसपोर्ट वालों ने संभाला और सरकार का साथ दिया। मेरे कहरने का अभिप्राय यह है कि जहां हरियाणा के चारों तरफ पूरा ट्रांसपोर्ट नेशनेलाइजड नहीं है, तो हरियाणा में क्यों है? यहां पर कम से कम 9 सीटस के और 16 सीटस के जो वाहन हैं, उनको लोगों को परमिट वगैरा व लाईसैंस आदि देकर चलाने की अनुमति दी जाए। ऐसे वाहन के परमिट इशू करते समय उनसे पैसेंजर टैक्स ले लिया जाए। इससे एक फायदा तो यह होगा कि हरियाणा के जो नौजवान बेकार घूम रहे हैं, उन्हें काम मिलेगा। इसके लिए मेरा सुझाव है कि जो मैटाडोर या मिनि बसें 16 सीटस की हैं,

उनके परमिट ग्रेजुएटस लड़कों को दे दिए जाएं और 9 सीटस सवारियों के परमिट मैट्रिक पास लड़कों को दे दिए जाएं। यदि ऐसा कर दिया जाता है और हर गांव के दो–दो या चार–चार लोगों को परमिट दे दिए जाते हैं तो उससे बेरोजगारी भी दूर होगी और लोगों को आने–जाने में भी सुविधा होगी। हम चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, 100 साल के अन्दर भी हर गांव को बसों की सुविधा उपलब्ध नहीं करवा सकते। इस तरह की सुविधा जब दूसरे प्रदेशों में है तो यहां के लोगों को भी मिलनी चाहिए। हरियाणा में इस सरकार के आने के बाद जनक्रान्ति हुई है और सरकार ने कई पालिसीज भी बदली हैं। लोगों ने बड़ी कुर्बानियां देकर यह सरकार बनाई है। इस बारे में मैं मंत्री महोदय को एक सुझाव दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहता हूं कि औफिसर्ज को यह गलतफहमी है कि हरियाणा रोडवेज को इससे घाटा होगा। सवाल हरियाणा रोडवेज को घाटे या फायदे का नहीं है सवाल है गरीब जनता की सुविधा का। इसलिए मेरी यह प्रार्थना है कि इसको जरूर ध्यान में रखा जाए।

श्री अध्यक्ष: अब आप खत्म कीजिए।

श्री बलबीर सिंह चौधरी: अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि मिनि बसिज के परमिट अलौट किए जाएं। इन सुझावों के साथ ही मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री भगवान सहाय रावत (हथीन): अध्यक्ष महोदय, आज यहां पर माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की अनुपस्थिति में आवास मंत्री जी ने यह बिल रखा है। इस में मुख्य रूप से दो बाते हैं। एक तो बार–बार टैक्स जमा करवाने में जो असुविधा होती थी, वह नहीं होगी और इससे समय और पैसे की बरबादी भी बचेगी। पहले लोगों को टैक्स जमा करवाने के लिए आने–जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता था, उससे वे बच सकेंगे। दूसरे इस टैक्स को जमा करवाने में वैकल्पिक उपाय भी किए जा सकते हैं। जैसे कि आदरणीय मंगल सैन जी ने कहा कि गरीब आदमी के पास पैसा जमा करने की शक्ति नहीं होती लेकिन उन्हें भी सुविधा की जरूरत है। कई प्राईवेट ट्रांसपोर्टरज ने पैरेलल व्यवस्था की हुई है, उसको बड़े आराम से चैक किया जा सकता है। इस तरह कर की चोरी निश्चित रूप से होती है और इस तरह की कई मिसालें हैं। एक मिसाल तो स्वयं मेरे फरीदाबाद जिले के विशय में दी जाती हे। इस मामले में मुझे मालूम है कि हरियाणा की दूसरी सड़कों पर भी कर की चोरी होती है। जहां हरियाणा रोडवेज की बसें नहीं चलती, वहां पर मिनि बसें चलाई जा सकती हैं। मिनि बसों वाले टैक्स पे करके सवारियां ले जाएं, वह तो ठीक है लेकिन बिन टैक्स दिए गाड़ियों चलती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही जहां तक इस बात का सवाल है कि हरियाणा में हम लोगों को कम किराए पर बस सुविधा उपलब्ध करवाएं, इस मामले में हमें दिल्ली की मिसाल लेनी चाहिए। दिल्ली में ट्रांसपोर्टशन ऐसी है कि वहां पर किराया कम है और वे लोग इसे

मैनेज भी कर सकते हैं। धन की व्यवस्था कर सकते हैं। इसी प्रकार हरियाणा के देहात में भी ट्रांसपोर्टशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि जब से हरियाणा रोडवेज का नेशनेलाईजेशन हुआ है, बस सर्विस में बहुत सुधार हुआ है। आप जानते हे। कि हरियाणा की बस सर्विस आज सारे प्रान्तों से बढ़िया समझी जाती है। हरियाणा रोडवेज की जो बसें लम्बे रूटस पर चलती हैं, उनकी व्यवस्था अच्छी है और उनमें हेरा–फेरी भी नहीं होती। लेकिन जो बसें लोकल रूटस पर चलती हैं, उनके रख–रखाव की हालत बहुत ही खस्ता है। इन बसों के रख–रखाव पर दसवां हिस्सा तो क्या 100वां हिस्सा भी पैसा खर्च नहीं किया जाता है। इन बसों में न खिड़कियां हैं, न शीशे हैं और न ही टायर हैं। उनकी हालत अत्यन्त शोचनीय होती है। इन रूटस पर बसें खाली चलती रहती हैं या कई बार ऐसा होता है कि अगर एक बस ने चार चक्कर लगाने हैं तो एक–दो चक्कर के बाद टायर पंचर हो गया या कोई और खराबी हो जाने के कारण बसें खड़ी रहती हैं, और सवारियां परेशान होती हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें लम्बे रूटस की बसों की तरह लोकल रूटस की बसों पर रख–रखवा की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि प्राईवेट ट्रांसपोर्टरज पर अंकुश रखते हुए विधिवत परमिट देने चाहिएं। इससे गांवों की जनता और सरकार दोनों को लाभ हो सकेगा। स्माल रूटस पर जहां हरियाणा रोडवेज की बसें नहीं जातीं, इन रूटस के परमिट अगर दे दिए जाए तो निश्चित

रूप से सरकार को टैक्स आएगा। 3 साल के लिए मिनी बसों को परमिट दिए जाएं। इससे तीन फायदें होंगे। एक तो सरकार की आय में वृद्धि होगी दूसरे बेरोजगार लोगों को कुछ काम मिलेगा और तीसरे गावों की जनता को ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस वित्तीय ज्ञापन के अन्दर यह लिखा है –

''.......... वाहन मालिक द्वारा अदा किया जाने वाला एक मुश्त टैक्स औसतन टैक्स का कुल योग होगा जो अगले दस वर्श के बराबर होगा। ....''

मंत्री महोदय इस बारे में स्थिति स्पश्ट करने की कृपा करें। इससे आगे इसी वित्तीय ज्ञापन में यह लिखा है –

''......... यह प्रावधान राज्य सरकार को बिना किसी लाभ हानि के आधार पर टैक्स की दर निर्धारित करने के योग्य बनाएगा। ....''

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वे जरा इस बात को स्पश्ट करें कि इस एक मुश्त टैक्स का रेट क्या होगा? इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर सर, एक छोटी सी अमैंडमैंट सदन के सम्मुख आयी है। अमैंडमैंट केवल इतनी है कि मेन ऐक्ट की सैक्शन 3 की सब सैक्शन (1)

की सैकिन्ड प्रोवाइजो के बाद निम्नलिखित प्रोवाइजो ऐड की जाए।

"Provided further that the tax on cars, motor-cycles and other two-wheeler motor vehicles used for personal purposes shall be deviable in lumpsum as one-time tax, as may be prescribed."

स्पीकर सर, मन्शा केवल इतनी हैं और बैकग्राउन्ड भी यही है कि अप्रैल, 1986 में देश के सभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्ज की कांफ्रेंस हुई थी जिसमें यह तय हुआ था कि जो हम थ्रू आउट दि ईयर टैंक्स वसूल करते रहते हैं, वह इक्ट्ठा वसूल किया जाए। यह टैक्स उन वाहनों का वसूल करते हैं जो पर्सनल व्हीकल्ज हैं, चाहे वहा कार है, मोटर साईकिल है या स्कूटर है। ऐसा करने से उनके औनर्ज को तकलीफ होती थी। कई दफा ओनर टैक्स जमा कराना भूल जाता है, उस पर पैनेल्टी पड़ जाती है। उसे बार बार रजिस्ट्रेशन बुक संभाल कर रखनी पड़ती है और फिर उसमें ऐन्टरी करवानी पड़ती है। इस तकलीफ को देखते हुए यह फैसला किया गया कि क्यों नहीं इसे इक्ट्ठा ही वसूल कर लिया जाए। गवर्नमैंट औफ इंडिया की तरफ से रिक्वैस्ट भी आयी थी कि इसे लागू किया जाए। यह सब लोगों की सुविधा के लिए लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह लोगों की तकलीफ दूर करने के लिए लागू किया जाए। इसके अलावा तीन–चार माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए। वैसे इस अमैंडमैंट को सभी ने सराहा

है, लेकिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो कमियां नजर आती है, उनकी चर्चा की गई है। इस अमैंडमैंट का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। इस अमैंडमैंट की चर्चा पर कहा गया कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यह कमी है और उन कमियों में इम्प्रूवमैंट के कई सुविधा भी यहां पर मैम्बर्ज दे रहे थे और कई प्राइवेट बसों के परमिट के बारे में सुझाव दे रहे थे। उनका कतई तोर पर इस अमैंडमैंट से संबंध नहीं था। जब यहां हाउस में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट की डिमांड पर चर्चा हुई, उस समय इन बातों की चर्चा करनी चाहिए थी। बजट पर चर्चा करनी चाहिए थी परन्तु यह तो बहुत ही सीमित अमैंडमैंट है। जो कन्फयूजन माननीय सदस्यों को हुआ हे कि इस 'टैन टाईमज' का मतलब क्या है और क्या नहीं है, यह मैं स्पश्ट करना चाहता हूं। माननीय मैम्बरान के रूबरू जो शडयूल बना हुआ है, उसको दस साल का इकट्ठा कर लीजिए। 'टैन टाईम' शडयूल का करते हैं। फर्ज करो एक मोटर साइकिल वाले को दस रूपए जमा कराना है, दस को दस से जरब कर देकर सौ रूपए हो जाएगा। अगर उसने साढ़े दस रूपए जमा कराने हैं तो वे 105 रूपए बनते हैं लेकिन उससे जो राउन्ड फिगर बनती है यानी सौ रूपए ही वसूल किए जायेंगे। यह टैन टाईम का मतलब होता है। दस को दस से जरब देकर टैन टाईम करते हैं। डाक्टर मंगल सैन जी का यह एतराज था कि गरीब आदमी इक्ट्ठा टैक्स कैसे भरेंगे? मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि कार का मालिक कोई गरीब आदमी नहीं होता। अमरीका में गरीब आदमी भी कार का मालिक माना जाता है लेकिन हिन्दोस्तान में कार रखने वाला गरीब आदमी की

जद में नहीं आता। जहां तक मोपेड वगैरह के टैक्स की बात है, वह कोई खास नहीं है। मैं इस बात को फिर दोहराना चाहता हूं कि इस अमैंडमैंट को सब ने सराहा है और बाकी सुझाव इस बिल से इररैलेवैन्ट हैं। इसके अलावा उनका जवाब हमारे माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब बजट पर हुई चर्चा और डिमांडज पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए दे चुके हैं। तो मैं यह गुजारिश करूंगा कि इस अमैंडमैंट को पास कर दिया जाए।

Mr. Speaker: Question is –

That the Punjab Motor Vehicles Taxation (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is –

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is –

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is –

That Title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Minister will move that the Bill be passed.

Irrigation and Power Minister (Sh. Verender Singh): Sir, I beg to move –

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is –

That the Bill be passed.

The motion was carred.

(v) दि पंजाब ऐन्टरटेनमैंटस डियूटी (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1989

श्री अध्यक्ष: अब ऐक्साईज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर, दि पंजाब ऐन्टरटेनमैंटस डियूटी (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1989 को इंट्रोडयूस करेंगे तथा उसे कंसीडर करने के लिए मोशन मूव करेंगे।

Excise and Taxation Minister (Rao Ram Narain): Sir, I beg to introduce the Punjab Entertainments Duty (Haryana Amendment) Bill, 1989.

I also move –

That the Punjab Entertainments Duty (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Punjab Entertainments Duty (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

चौ. कुलबीर सिंह मलिक (जुलाना): अध्यक्ष महोदय, आज यह जो सदन में पंजाब मनोरंजन शुल्क (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1989 लाया गया है, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन एक दो राय इस बारे में में देना चाहूंगा। एक तो यह है कि यह जो वीडियों पार्लर हैं, यह छोटे–छोटे कस्बों में हैं, जहां पर कोई सिनेमा नहीं है। मेरे जुलाना हल्के में जुलाना मंडी में भी इसी तरह का एक वीडियों शो दिखाया जाता है। जुलाना से जो बड़े शहर हैं, वे 25–30 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इससे सिनेमा पर किसी किस्म का असर नहीं पड़ता और

न ही सरकार पर टैक्स का कोई असरर पड़ता है। छोटे कस्बों में स्पीकर साहब, आपको पता ही है कि छोटे गरीब लोग रहते हैं। कुद लोग ऐसे भी रहते हैं जिनके घरों में वीडियों तो क्या, टैलीविजन तो क्या, रेडियों या साइकिल भी नहीं हैं। वे लोग भी चाहते हैं कि वे भी किसी न किसी किस्म का मनोरंजन करें। ये जो वीडियों पार्लर खोले गए हैं, ये बहुत थोड़े खर्चे में ही खुल जाते हैं। इनके मालिक बहुत ज्यादा अमीर आदमी नहीं होते, बड़े कारखाने दार नहीं होते। ये दो–सौ, तीन–सौ या चार–सौ सीटस की कैपेसिटी के होते हैं और पिक्चर छोटी स्क्रिन पर देखी जाती है। जो टैलीविजन या वीडियों देखने वाले लोग होते है, वे तो मेरे ख्याल में वहां शो देखना भी पसन्द नहीं करते क्योंकि पूरी पिक्चर उसमें दिखाई नहीं देती। लेकिन जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो रिक्शा चलाने वाले हैं, रेहड़ी चलाने वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनके लिए यह एक इज्जत का साधन है। अगर वे किसी अमीर की कोठी पर देखने जायें तो उन्हें कोई इजाजत नहीं देता इसलिए वे दो या तीन रूपए देकर एक शो वहां पर देख आते हैं। एक शो में यह जो एक सौ सीटस का प्रावधान किया गया है, यह बहुत थोड़ा है। अगर यह प्रावधान दो–अढ़ाई सौ सीटस का कर दिया जाता तो जिन्होंने यह शो चालू करने हैं, उनको भी कुछ प्रोत्साहन होता। मुझे डर है कि कहीं ऐसा न हो कि यह बन्द ही हो जायें। इनके बन्द होने से सरकार को घाटा ही होगा क्योंकि साल में ये 40–50 हजार रूपए का टैक्स तो देते ही हैं। सिनेमाघर छोटे देहातों और कस्बों में अभी लोग बनाने

वाले नहीं हैं क्योंकि देहात की तरफ उनका इतना ध्यान नहीं है क्योंकि जो सिनेमा बनाने वाले लोग हैं, वे शहरों में बैठे हुए हैं। इसलिए ये सौ सीटें बहुत थोड़ी हैं। अगर सरकार को खजाने की चिन्ता है, जोकि होनी भी चाहिए तो मैं एक बात इस बारे में कहना चाहता हूं। जो कैसट लाइब्रेरीज हैं, उनकी तरह मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो बड़े–बड़े शहर हैं जैसे करनाल, हिसार, अम्बाला और सोनीपत इन बड़े शहरों में बहुत बड़ी–बड़ी कैसट लाईब्रेरीज बनी हुई हैं और ये दस पन्द्रह रूपया रोज पर कैसट के हिसाब से किराया लेते हैं। अगर सौ कैसट भी किराए पर चले जाते हैं तो एक हजार या डेढ़ हजार रूपया एक दिन में इकट्ठा हो जाता है। जो वीडियों शो दिखाते हैं, अगर उनके साथ इनका मुकाबला यिका जाए तो कई गुणा उनकी ज्यादा आमदनी होती है। मैं यह प्रार्थना करूंगा कि यह जो लाइब्रेरीज बनाई हुई हैं उन पर टैक्स लगना चाहिए ओर उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मुझे पता नहीं है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया होता है या नहीं। रजिस्ट्रेशन कराने से उनकी आमदनी का पता लग जाएगा कि कितने कैसेट किराए पर गए हैं। स्पीकर साहब, कई बार अखबारों में ब्लू फिल्मज के बारे में चर्चा होती है। इससे हमारे देश का कितना नुक्सान हो रहा है। पिछले दिनों मुझे पता लगा कि हिसार में कई बार ब्यू फिल्म दिखाते हैं। हमारे नौजवानों में ब्लू फिल्म देखने का बड़ा आकर्शण होता है। वे सारी–सारी रात ब्यू फिल्म देखते हैं। इससे उनका चरित्र खराब होता है। वे बुरा काम करते हैं। इसलिए चरित्र की तरफ ध्यान रखते हुए यह जरूरी है कि इस

किस्म की लाइब्रेरीज पर कोई पाबन्दी लगाई जाए और कोई टैक्स भी लगाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, जो बात मैं अब कहने जा रहा हूं, उसकी इस समय इस बिल से जयादा रैलीवैन्सी तो नहीं है लेकिन टैलीविजन पर जब भी खबरें आती हैं तो पांच–छः सात मिनट तक सिर्फ राजीव को ही दिखाया जाता है। यह पापुलैरिटी का अजीब तरीका हमारे प्रधानमंत्री ने अख्तियार कर रखा है। जिन बातों का ऐन्टरटेनमैंट में ध्यान रखना चाहिए, उनकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। आज सैन्सर बोर्ड का कोई ध्यान इस तरफ नहीं है कि कैसी फिल्म जनता को टैलीविजन पर दिखानी चाहिए। कई बार इतनी अश्लील फिल्म टैलीविजन पर दिखाई जाती है कि मां–बेटी, बाप–बेटी, बहिन–भाई और नई बहू, सारे परिवार को एक साथ बैठकर फिल्म देखने में संकोच होता है। राव राम नारायण और श्री बनारसी दास गुप्ता तो शरमाते हुए उठकर चले जाते हैं। इसलिए सैन्सरशिप ठीक तरह से होनी चाहिए। टैलीविजन पर करैक्टर की और अच्छी–अच्छी बातें तथा देशभक्ति की बातें दर्शानी चाहिएं।

परसों चण्डीगढ़ में एक दुर्घटना हो गई जिसमें तीन नौजवान लड़कियों ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। यह हमारे समाज पर और केन्द्रीय सरकार पर बहुत बड़ा तमाचा है। हमारे ऊपर एक कलंक है। आजकल यह जो अल्ट्रा साउंड टैस्ट चला है, इसके कारण हरेक आदमी की इच्दा हो गई है कि मेरे

घर में लड़का हो और लड़की न हो। पढ़े–लिखें लोग भी इस भ्रम में पड़े हुए हैं। जब कभी लड़की की शंका होती है, तो गर्भ गिरवा दिया जाता है जिससे उनके घर में लड़की पैदा न हो। इस फ्रस्ट्रेशन के कारण ही और हमें शिक्षा देने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई है। मैं कहना चाहता हूं कि हमें अच्छी–अच्छी फिल्में सिनेमाओं में और टैलीविजन पर दिखानी चाहिएं। ऐसी वीडियों फिल्म दिखानी चाहिए जिससे कि लोगों का चरित्र ऊंचा उठे। बसों के अन्दर अच्छी पिक्चर दिखानी चाहिए जिनका लोगों पर अच्छा असर हो। वहां पर न्यूज रील भी दिखानी चाहिए कि हरियाणा में कितनी तरक्की हो रही है। मैंने कई बार डिलक्स बस में देखा है कि वहां पर न्यूज रील नहीं दिखाते हैं। जोकि बहुत जरूरी है। 15–20 मिनट या आधा घंटा अगर बसिज में न्यू रील दिखायी जाए तो उसे हमारी सरकार की उपलब्धियों का लोगों को पता चलेगा कि कैसे हमारी सरकार ने गरीब लोगों के कर्जे माफ किए हैं और बूढों को पैंशन दी है। अगर ऐसी–ऐसी न्यूज रील्ज बसिज में दिखाई जाएंगी तो इन को देखने से लोगों के दिमाग पर अच्छा असर पड़ेगा और यह कहा जा सकेगा कि हमारी सरकार की क्या–क्या उपलब्धियां है और आगे हमारी सरकार क्या–क्या करने जा रही है। इसलिए सरकार इस ओर विशेश ध्यान दे। अब ज्यादा समय न लेता हुआ मैं स्पीकर साहब, आपका धन्यवाद करता हूं और अपनी राय देता हूं कि इस बिल को सर्वसम्मपति से पास किया जाए।

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, आपका धन्यवाद जो आपने डिप्टी स्पीकर साहब, को बोलने का मौका देकर हमारा भी हौसला बढ़ाया है और आशा है कि यदि कभी हम भी पटरी से उतर जाएं तो आप कोई एतराज नहीं करेंगे। स्पीकर साहब, यह तो बिल यहां पर लाया गया है, यह वास्तव में हरियाणा में गरीब आदमी को उत्साहित करने के लिए ठीक बिल लाया गया हैं। जो बड़े–बड़े सिनेमा मालिक हैं, वे नहीं चाहते कि कोई छोटी सी आमदनी वाला आदमी अपने घर के जेवर (टूम) बेचकर, वीडियों वगैरह खरीद कर अपना गुजारा कर सके। वे तो चाहते हैं कि उन्हीं की चांदी रहे। स्पीकर साहब, जहां रोटी खाना जरूरी है। पहले जमाने में गांव–गांव में मनोरंजन के लिए सांग व नाटक हुआ करते थे। अब तो वे लोग पाकिस्तान में चले गए हें और अब यह इलैक्ट्रोनिक्स का युग आ गया है। नए नए आविश्कार हो गए और कुछ लोगों ने सोचा कि थोड़ी सी पूंजी लगाकर के गांव के लोगों को इस मनोरंजन द्वारा ऐनलाइटन किया जाए और ऐसे लोगों ने हिम्मत से काम भी किया। स्पीकर साहब, ये बेचारे लोग शायद आप के पास आए होंगे। मेरे पास तो आए थे और अपनी दास्तां सुना रहे थे। गुप्ता जी के पास भी अवश्य आए होंगे और भी कई मंत्रियों के पास बेचारे गए होंगे। वे लोग कहने लगे कि आबादी के हिसाब से 40 हजार, 60 हजार और कहीं पर पहले 1 लाख वार्शिक टैक्स के रूप में हमसे लेते थे लेकिन अब सरकार टैक्स 1 लाख से बढ़ाकर दो लाख करने जा रही है जोकि अनुचित है। मैं तो स्पीकर साहब, यह कहूंगा कि

इसकी सारी मार देखने वालों के ऊपर ही पड़ेगी। वे लोग टिकट बढ़ा देंगे। स्पीकर साहब, जितनी भी टिकट होगी इसका सारा बोझ गरीब आदमियों पर ही पड़ेगा। वे ज्यादा टिकट लगाकर गांव में जाकर दिखाएंगे। कोई कुर्सियां सप्लाई नहीं करेंगे या फिर हाफ टाइम के वक्त कोई ठण्डा–गर्म नहीं देंगे। केवल तपड़ी में बैठकर लोग मनोरंजन करते हैं। कहीं कोई मकान बना हुआ दिखायी दिया या फिर कहीं चार दीवारी के अन्दर वे लोगों को मनोरंजन करवाते हैं। राव राम नारायण जी का तो चुनाव क्षेत्र भी देहाती है। उनके क्षेत्र में अगर कोई मेहनीती आदमी ऐस करना चाहता है तो ऐसे लोगों को ऐनकरेज करना चाहिए। हमारी सरकार तो रूरल ओरिऐंटिड है। मेरे विचार में जो ग्रामीण जनता के लिए कोई इस तरह का काम करता है, उसकी तो पीठ ठोंकनी चहिए ताकि उसका हौसला बढ़ सके। स्पीकर साहब, राव साहब के अधिकारियों ने शायद बताया होगा कि आप ऐसा बिल लाएं क्योंकि सिनेमा वालेां की आमदनी कम हो रही है लेकिन मलिक साहब कह रहे थे कि आमदनी कम क्यों न हो? टी.वी. के ऊपर राजीव जी की लोग शक्ल देखते हैं और शक्ल के साथ–साथ और तरह के सीरियल भी दिखाए जाते हैं। पिक्चरें भी आती हैं इस कारण से सिनेमा हाल में कोई जाता नहीं है। उनकी आमदन तो उस कारण से कम हुई है। यह गरीबों के लिए न्यायोचित बात नहीं हैं। इसलिए एक लाख से दो लाख पर छलांग लगाना ठीक नहीं है। जनता किस–किस चीज का टैक्स भरेगी? अगर मंहगाई बढ़ेगी तो क्राईम भी बढ़ेंगे और सरकार को ला एंड आर्डर मेनटेन

करने में कठिनाई आएगी। कई बार अखबारों में छपा है कि सिकी ने रात को पिक्चर देख कर या उपन्या पढ़ कर कोई अपराध कर दिया इसलिए हमें अच्छी पिक्चरों के लिए प्रैस करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय कह रहे थे कि लाइब्रेरी से 15 रूपए में कैसेट किराए पर मिल जाती हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि इसमें इतना कम्पीटीशन आ चुका है कि 15 रूपए नहीं बल्कि 5 रूपए में मिल जाती है। (विघ्न) तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दो लाख वाली शर्त उनके साथ एक बहुत ज्यादती है। राव साहब अगर आपने 5–10 हजार बढ़ाना है तो बेशक उनको बुलाकर समझा दें, वे इसके लिए तैयार हैं।

राव राम नारायणः दो लाख रूपए तो अगर लिमिट हे।

श्री मंगल सैनः तो फिर एक लाख दस हजार कर लें। (विघ्न) इन शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री बलबीर सिंह चौधरी (फतेहाबाद)ः अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन विधेयक लाकर राव साहब ने हरियाणा की जनता पर एक बहुत बड़ा अहसान किया है। हरियाणा के अन्दर पिछले 8–9 सालों से एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया है कि किसी भी काम की आड़ में टैक्स की चोरी की जाती है। सारी रात लाउड स्पीकर चलते हैं। किसी भी प्रदेश में इस तरह की पब्लिक कैरियर कारें नहीं मिलेगी जो परमिट लेने की जरूरत न समझती हों।

छोटे–छोटे मामलों में इस तरह से टैक्स की चोरी करोड़ों रूपए तक पहुंच चुकी है। इस वीडियों की आड़ में बराबर के सिनेमा घर बनने लगे हैं और बन चुके हैं जिनका उदघाटन भी हो चुका है और वे चल रहे हैं। साढ़े छः सौ सीटों का एक सिनेमा लगने से एक लाख रूपए महीने का घाटा हो और वे लोग आठ हजार रूपए महीना देते हैं। आप देखेंगे कि उन पर न तो यह रिस्ट्रिक्शन है कि हाल कैसा हो, हाल में पूरा वैटीलेशन है, उसकी मजबूती है या नहीं, उसमें एयर कंडीशन सिस्टम है या उसमें कूलर लगे हैं या नहीं। किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं है। तो मेरा यह कहना है कि इस तरफ से कुछ लोग कानूनी कायदे को खत्म करके एक आड़ लेकर टैक्स की चोरी करते हैं। जहां तक जनता का सवाल है, उनके लिए दोनों जगह टिकट बराबर हैं। एक सिनेमा पर तो एक करोड़ रूपया लगता है, उसकी टिकट पांच रूपए है और दूसरी तरफ वीडियों वाले भी पांच रूपए टिकट लेते हैं। सरकार की आमदन तो दोनों तरफ से बराबर नहीं है इसमें कोई शक नहीं है। वीडियों को जो अलाऊ किया जा रहा है, यह अलाउड नहीं होना चाहिए। इतने ज्यादा लोगों को इक्ट्ठे बैठने के लिए छोटी स्कीन नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से उनकी आंखों पर बुरा असर पड़ेगा। स्क्रीन 70 फुट चौड़ी और 120 फुट लम्बी होनी चाहिए। आज कल जो नए सिनेमा बन रहे हैं, उनमें इसी साइज की स्क्रीन होती है। अगर छोटी स्क्रीन के आगे साढ़े छः सौ लोग बैठेंगे तो जैसे मैंने पहले कहा उनकी आंखों पर क्या असर नहीं पड़ेगा? जनता के साथ यह एक बहुत बड़ा मजाक है।

इस तरह से उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उसके साथ साथ लाखों रूपए की सरकार की आमदनी इस आड़ में चोरी हो रही है। आज हरियाणा प्रदेश के अन्दर स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों का शोर मचा हुआ है। उनको बनाने के लिए हर आदमी हम सबको कह रहा है। टैक्स की चोरी होती रही है और इस तरह से यदि टैक्स इवेजन किया जाता है तो मैं इसके विरोध में हूं। मैं इस अमैंडमैंट के बारे में सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि जो लोग वीडियों चलाते हैं और जहां पर 100 से कम आदमी बैठते हैं, उन पर अपर लिमिट दो लाख रूपए की नहीं होनी चाहिए। जहां पर 100 से ज्यादा आदमी बैठकर पिक्चर देखते हैं उनके लिए ऐन्टरटेनमैंट टैक्स की दर दूसरे सिनेमा के बराबर होनी चाहिए। लेकिन जहां पर 100 से कम यानी 99 आदमी बैठ कर पिक्चर देखते हैं उन पर केवल एक लाख रूपए की लिमिट रखी जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

चौ. सतबीर सिंह कादयान (नौलथा): स्पीकर साहब, जो दि पंजाब ऐन्टरटेनमैंट डियूटी (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1989, पेश किया गया है, मैं इस पर अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बिल मे एम्ज एंड औबजैक्टस से यह जाहिर होता है कि यह अमैंडमैंट बड़े–बड़े सिनेमा हालों को प्रोजैक्ट करने के लिए है। हिन्दुस्तान जैसे गरीब देश में जहां पर खेलों के मैदान नहीं हैं, बच्चों के लिए पार्क नहीं हैं, उनकी ऐन्टरटेनमैंट के

लिए केवल मात्र सिनेमा ही रह जाते हैं। यह वीडियों शो पर एक लाख रूपए सालाना ऐन्टरटेनमैंट टैक्स लगता है तो यह रोजाना का 300 रूपए पड़ता है। यदि 100 सीटें हैं और उसकी औसत 50 आदमियों की पड़ती है तो दो रूपए के हिसाब से उसको रोज के मिले। वीडियों शो देहात के गांवों में गरीब लोगों को दिखाए जाते हैं। जो बड़े–बड़े सिनेमा हाल हैं उनमें तो बड़े–बड़े आदमी शो देखते हैं जिनके पास पैसा ज्यादा होता। ह। आज जरूरत इस बात है की है कि देहातों में जो वीडियों शो दिखाए जाते हैं, उनकी इंस्पैक्शन की जाए और यह देखा जाए कि वहां पर कोई इस तरह का शो तो नहीं दिखाया जाता, जिससे देहात के लोगों पर कुप्रभाव पड़ता हो। इस चीज को चैक किया जाए। यह देखा जाए कि सिनेमा हाल की तरह वह शो दिखाते हैं या नहीं। वीडियों शो गावों के गरीब लोग देखते हैं, इसलिए वीडियों पर ऐन्टरनेटमैंट टैक्स नहीं लगना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस अमैंडमैंट का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री रघु यादव (रिवाड़ी): अध्यक्ष महोदय, सदन के सम्मुख पंजाब मनोरंजन शुल्क (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1989 पेश है और उस पर चर्चा चल रही है। अध्यक्ष महोदय, ठीक ही कहा गया है कि इन्सान के लिए मनोरंजन बहुत जरूरी चीज है। हमारा गरीब मुल्क है। इसलिए इस मुल्क में मनोरंजन के लिए सिनेमा और वीडियों शो बड़ा सस्ता और सुलभ मनोरंजन है। अब चूंकि घर–घर में टी.वी. पहुंच गए हैं और कई घरों में वीडियें भी

पहुंच गए हैं इसलिए सिनेमा हाल और वीडियों पारलर पर वही गरीब लोग शो देखन के लिए जाते हैं, जिनके पा टी.वी. नहीं हैं, जिनके पास वीडियों खरीदने की शक्ति नहीं है। सिनेमा हाल में भी गरीब लोग शो देखने के लिए जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सिनेमा हाल पर जो 125 परसैंट ऐन्टरटेनमैंट टैक्स है, वह भी कम होना चाहिए। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि सिनेमा हाल पर जो 125 परसैंट ऐन्टरटेनमैंट टैक्स लगाया जाता है, वह कम किया जाए ताकि वहां पर गरीब लोगों को सस्ता और सुलभ मनोरंजन मिल सके। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के जमाने में मनोरंजब के लिए केवल शहरों में ही पैसा खर्च किया जाता था। अब यदि गांवों में मनोरंजन के साधन पहुंचे हैं, तो हमें उसे प्रोत्साहन देना चाहिए। जो अमैंडमैंट सदन के सम्मुख प्रस्तुत है, इसमें मैं सुझाव देना चाहूंगा कि जो वीडियों शो गावों में दिखाए जाते हैं, उनको सिनेमा एक्ट से अलग रखा जाए ताकि सस्ती दरों पर देहात के गरीब लोगों को मनोरंजन के साधन उपलब्ध करवाए जा सकें। अध्यक्ष महोदय, देहात के गरीब लोगों के पास मनोरंजन के साधन केवल सिनेमा और वीडियों शो ही हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि सिनेमा शो और वीडियों शो दोनों पर टैक्स कम किया जाए। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं।

13.00 बजे

श्री भगवान सहाय रावत (हथीन): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आबकारी व कराधान मंत्री महोदय ने जो पंजबा

मनोरजंग शुल्क (हरियाणा संशोधन) विधेयक इस सदन में पेश किया है, इस पर अपनी कुछ बात कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज यह बिल हमारे सामने है और इसके उदेश्य में यह निहित है कि वीडियों के कुप्रभाव को रोकने के लिए इस बिल के जरिए वीडियों पर टैक्स की दर बढ़ाई जा रही है। हमारी सरकार का ध्येय यह है कि देहात के लोगों का भी ज्यादा से ज्यादा मनोरंजन करवाया जाए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि लोंगों को अस्वस्थ मनोरंजन करवाया जाए। अगर सिद्धांत रूप में विचार किया जाए तो आप देखेंगे कि इन वीडियोंज पर जो आजकल फिल्में दिखाई जाती हैं, उन्होंने गावों के पुराने शान्त वातावरण को दूशित कर दिया है और उसे अशान्त वातावरण में परिवर्तित कर दिया हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि गांवों के लोगों के लिए भी मनोरंजन होना चाहिए। इसी बात को मदेनजर रखते हुए सरकार यह बिल लाई है। इस बात को भी मैं मानता हूं कि ऐसा प्रावधान करने से सरकार को आमदनी होगी। इस बिल के जरिए सरकार ने वीडियों शोज पर अधिकतम यकमुश्त लगने वाले कर को 1 लाख रूपये से बढ़ा कर 2 लाख रूपए प्रति वश्र कर दिया है जिससे सरकार की काफी आमदनी होगी। मेरी सरकार से यह भी प्रार्थना है कि सरकार साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करे कि वहां पर कोई ऐसी फिल्में न दिखाई जायें जिससे लोगों का चरित्र हनन हो और उनका जीवन खराब हो। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

सेठ लछमन दास बजाज (करनाल): अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मंत्री जी जो पंजाब मनोरंजबन शुल्क (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1989 सदन के सामने लाए हैं, उस पर मैं अपनी एक दो बात कहना चाहता हूं। आज गांवों, जो शहर से 20–25 मील की दूरी पर हैं, में मनोरंजन के उतने साधन नहीं हैं जितने शहरों में हैं। सरकार गांवों के लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा मनोरंजन के साधन उपलब्ध करवाना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, जो वीडियों शो दिखाए जाते हैं, ये बुरे नहीं हैं क्योंकि गांवों के लोगों की भी मनोरंजन के साधन चाहिएं। इसमें एक बात जरूर है कि जो वीडियों पर फिल्में दिखाई जायें, वे अच्छी दिखाई जायें ताकि लोगों का मनोरंजन भी अच्छा हो सके जैसे आजकल महाभारत और रामायण सीरियल टी.वी. पर आ रहे हैं और ये सीरियल लोगों में बहुत पापुलर हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि गांवों में इसी प्रकार की फिल्में या गावों की सभ्यता, प्राचीन सभ्यता और पुराने महापुरूशों के जीवन संबंधी फिल्में लोगों को दिखाई जायें ताकि उनके चरित्र में सुधार हो सके। जो यहां पर यह बात कही जा रही है कि वीडियों की वजह से हमारे शुल्क में नुकसान हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। उसका कारण यह है कि आज शहरों में घर–घर में टी.वी. लगे हुए हैं और टी.वी. पर दूरदर्शन की तरफ से फिल्में भी दिखाई जाती हैं और दूसरे प्रोग्राम्ज भी आते हैं। इसी वजह से लोग सिनेमा देखने के लिए बहुत कम जाते हैं। टैक्स की रिसीट कम होने की वजह घर–घर में टी.वी. होना है न कि वीडियो शो। अगर सरकार देहात में

मनोरंजन की सुविधा पहुंचाना चाहती है तो सरकार को इन वीडियों शो पर टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा मनोरंजन कर सकें। इस बिल में जो 100 सीटों का प्रावधान किया गया इसकी जगह 200/250 सीटों का प्रावधान होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री हरनाम सिंह (शाहबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं भी पंजाब मनोरंजन शुल्क (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1989, जो सदन में पेश किया गया है, पर अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सरकार हमेशा एक ही बात सोचती है कि उसकी आमदनी कैसे बढ़े। इस बात को तो मैं भी मानता हूं कि सरकार की आमदनी अवश्य बढ़नी चाहिए लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिस प्रकार रोटी खानी जरूरी है, उसी प्रकार मनोरंजन टैक्स या दूसरे टैक्स भी बढ़ें। आज हर आदमी जो रोटी खा रहा है, क्या कल को उस पर भी टैक्स लगाया जाएगा। टैक्य यदि अमीर लोगों पर लगे तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा। गांव का आदमी यदि मनोरंजन करना चाहता है तो उस पर सरकार टैक्स क्यों लगा रही है? मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि यदि कहीं पर हमारे हरियाणा का कोई राग-रंग होता है या गीत गाए जाते हैं, तो उनको सुनने के लिए वहां पर लाखों लोग पहुंच जाते हैं। जहां पर सिकी कल्चर का बहुत बड़ा भाग जुडा हुआ हो, वहां पर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगना

चाहिए। इस बिल के बारे में पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह टैक्स बढ़ाना बिल्कुल उचित बात नहीं है। जो गांव का कल्चर है, सरकार को उसे बढ़ावा देना चाहिए ओर जो दूसरी अश्लील फिल्में दिखाई जाती है, वे बन्द होनी चाहिए। सरकार खुद भी अश्लील फिल्में दिखाती है। ऐसी फिल्में जो हमारी डिलैक्स बसें चलती हैं उसमें दिखाई जाती है। ऐसी जगहों पर दिखाई जानी वाली फिल्मों को सरकार स्वयं कंट्रोल कर सकती है और वहां पर कन्ट्रोल करना भी चाहिए। एक बात मुझे याद आ रही है। जब फतेहाबाद में आतंकवादियों द्वारा वहां पर कांट किया गया था तो उसके लिए एक पीस कमेटी का गठन किया गया था। उसी पीस कमेटी में में भी था। उस समय मैंने कहा था कि जो हमारी वीडियों बसें चलती हैं, उनमें धार्मिक और देश–भक्ति से संबंधित फिल्में दिखाई जायें लेकिन मुझे इन बसों में ये धार्मिक और देश–भक्ति की फिल्में कभी भी देखने को नहीं मिली। यह ठीक है कि जनरल पाबंदी लगाना मुश्किल होगा लेकिन सरकार अपनी बसों में जो फिल्में दिखाती है वहां पर तो यह पांबदी लगा सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जिस प्रकार गांवों में सरकार ने शराब के ठेकों पर पैसा कमाने की बात की है, उसी प्रकार से इन वीडियों शोज से भी पैसा कमाना चाहिए। अब सरकार ने शराब के ठेकों पर यह कर दिया है कि एक बोतल पर एक रूपया जो होगा, वह उस गांव की पंचायत या शहर की म्यूनिसिपल कमेटी को जाएगा। जब सरकार शराब से अपनी इंकम बढ़ा रही है और उसकी आमदनी का कुछ भाग उस

गांव या कमेटी को जाएगा तो इस बिल के जरिए भी यह प्रावधान कर दिया जाए कि वीडियों शोज पर लगने वाले मनोरंजन कर में से कुछ भाग उस गांव या नगरपालिका को मिलेगा। अध्यक्ष महोदय शहरो में तो लोगों के पास अपने वीडियों और टेलीविजन भी हैं, जिनसे वे अपना मनोरंजन कर लेते हैं। लेकिन गांव के अन्दर वीडियों शोज पर जो टैक्स लगाने का प्रोविजन है, इस टैक्स में पंचायत का भी हिस्सा होना चाहिए जोकि पंचायत को मिले ताकि उस पैसे से पंचायत गांव के अन्दर कोई विकास के कार्य कर सके। धन्यवाद।

श्री कुन्दन लाल भाटिया (फरीदाबाद): अध्यक्ष महोदय, सदन में पंजाब मनोरंजन शुल्क (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1989 पेश किया गया है। मैं इस बिल का समर्थन भी करता हूं और नहीं भी करता। इस बिल के बारे में इतना जरूर कहूंगा कि झूग्गी–झोंपडी़ में और देहात में रहने वाले गरीब लोगों के पास इसके सिवाय मनोरंजन का दूसरा कोई साधन नहीं है इसलिए मैं तो यह कहूंगा कि सरकार ने जो 100 सीटों से कम की लिमिट रखी है, उसको बढ़ा कर कम से कम 200 या 250 तक करना चाहिए क्योंकि वीडियों–शो देखने के लिए देहात के गरीब लोग ही आते हैं। अमीर लोग नहीं आते। अगर अमीर लोगों ने फिल्म का शो देखना ही होता है तो वे वैसे ही बड़े–बड़े सिनेमाघरों में शो देखते हैं। इन शब्दों के साथ सरकार से मेरी गुजारिश है कि मैंने जो सुझाव दिया है इस पर सहानुभूतिपूर्वक गौर किया जाए।

आबकारी तथा कराधान मंत्री (राव राम नारायण): अध्यक्ष महोदय, बिल इसलिए लाया गया है कि क्योंकि पिछले 2–3 सालों में महसूस किया जा रहा है कि ऐन्टरटेनमैंट टैक्स जो हमारे खजाने में आता है, उसमें कमी होती जा रही है। इस टैक्स के कम आने का सबसे बड़ा कारण वीडियो शो का प्रचलन है। इसके अलावा मनोरंजन कर इसलिए भी कम आया क्योंकि आतंकवादी घटनाओं के कारण कईं जगह पर रात के शो दिखाने बन्द कर दिए गए। अध्यक्ष महोदय, मनोरंजन कर में कमी होने का सबसे प्रमुख कारण वीडियों शो की बीमारी फैलना है। यह बात ठीक है कि आजकल देहातों में या स्लम एरियाज में वीडियों शो देखने के लिए लोगों के बैठने के लिए भी प्रौपर सुविधा नहीं होती। इस चीज को ध्यान में रखते हुए वीडियो–शो को बिल्कुल बन्द तो नहीं किया गया है बल्कि उन पर थोड़ा सा कंट्रोल किया है। जहां पर वीडियो–शो दिखाया जाएगा वहां पर यदि सीटों की लिमिट 100 से कम होगी तो रूल्ज के तहत टैक्स लिया जाएगा और उन पर 2 लाख रूपए प्रतिवर्श मनोरंजन कर यकमुश्त लगाया जाएगा। यदि किसी वीडियों घर की सीटों की लिमिट 100 या 100 से अधिक होगी तो उसको सिनेमा हाल के बराबर माना जाएगा और उस पर 125 प्रतिशत की दर से मनोरंजन कर लगेगा। वीडियो–शो की बीमारी इतनी फैली हुई है कि फतेहाबाद के एक सिनेमा हाल के मालिक ने वीडियो शो दिखाने वालों से तंग आकर हाई कोर्ट में दावा कर दिया कि वीडियों–शो पर भी सिनेमा हाल के बराबर मनोरंजन कर लगना चाहिए। इसलिए हमने

वीडियों—शो को कण्ट्रोल करने के लिए थोड़ा टैक्स ज्यादा किया है ताकि ज्यादा गन्दगी न फैले। शहरों में जो सिनेमा हाल बने हुए हैं, उनमें टायलैट और सैनिटेशन का प्रबन्ध होता है। लेकिन वीडियों शो के लिए यह सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। शहरों में स्लम एरिया में भी वीडियों शो चलते हैं। इन शब्दों के साथ मैं हाउस से प्रार्थना करूंगा कि बिल पास किया जाए।

Mr. Speaker: Question is –

That the Punjab Entertainments Duty (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is –

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is –

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is –

That Title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Minister will move that the Bill be passed.

Excise and Taxation Minister (Rao Ram Narain): Sir, I beg to move –

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is –

That the Bill be passed.

The motion was carred.

श्री अध्यक्ष: अब हाउस कल सुबह 9.30 बजे तक ऐडजर्न किया जाता हैं

***13.12 बजे**

(तत्पश्चात सदन बुधवार, दिनांक 15.3.1989 प्रातः 9.30 बजे तक *स्थगित हुआ।)